



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 4 - 2025
(अनुपालन लेखापरीक्षा - वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 4 - 2025
(अनुपालन लेखापरीक्षा - वाणिज्यिक)

विषय सूची			
क्रम संख्या	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
1.	प्राक्कथन		vii
2.	विहंगावलोकन		ix
अध्याय-1			
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश			
3.	परिचय	1.1	1
4.	लेखापरीक्षा अधिदेश	1.1.1	2
5.	सरकार और विधायिका की भूमिका	1.1.2	2
6.	वित्तीय विवरणों की स्थिति	1.1.3	3
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में रा सा क्षे उ का योगदान	1.1.4	4
8.	रा सा क्षे उ में निवेश	1.2	5
9.	उत्तराखण्ड सरकार की रा सा क्षे उ में हिस्सेदारी	1.2.1	5
10.	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	1.2.2	7
11.	रा सा क्षे उ को प्रदान किए गए ऋण	1.2.3	7
12.	अन्य बजटीय सहायता	1.2.4	8
13.	बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ में निवेश एवं अन्य बजटीय सहायता	1.2.5	9
14.	उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान	1.2.6	9
15.	अकार्यरत रा सा क्षे उ का समापन	1.2.7	10
16.	ऋणों का विश्लेषण	1.3	10
17.	ब्याज कवरेज अनुपात	1.3.1	10
18.	दीर्घकालिक ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	1.3.2	11
19.	ब्याज शुल्क की अदायगी और मूलधन का पुनर्भुगतान	1.3.3	12
20.	उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण	1.3.4	13
21.	रा सा क्षे उ का तरलता विश्लेषण	1.4	13
22.	रा सा क्षे उ में निवेश पर प्रतिफल	1.4.1	14
23.	इक्विटी पर प्रतिफल	1.4.2	14
24.	निवल संपत्ति का क्षरण	1.4.3	16

क्रम संख्या	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
25.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	1.4.4	17
26.	रा सा क्षे उ में लाभांश भुगतान	1.4.5	18
27.	रा सा क्षे उ की परिचालन दक्षता	1.5	18
28.	रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ	1.5.1	18
29.	रा सा क्षे उ को हुई हानि	1.5.2	19
30.	टर्नओवर के सापेक्ष निवल लाभ मार्जिन	1.5.3	20
अध्याय-2			
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका			
31.	रा सा क्षे उ के लेखाओं की लेखापरीक्षा	2.1	21
32.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	2.1.1	21
33.	सांविधिक लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	2.1.2	22
34.	लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता	2.1.3	22
35.	रा सा क्षे उ के लेखाओं की लेखापरीक्षा में सी ए जी की निगरानी भूमिका	2.2	25
36.	सी ए जी की निगरानी भूमिका के परिणाम	2.3	26
37.	रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर जारी सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	2.3.1	26
38.	लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना	2.3.2	28
39.	प्रबंधन पत्र	2.4	29
40.	सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	2.5	30
अध्याय-3			
कॉर्पोरेट गवर्नेंस			
41.	परिचय	3.1	33
42.	कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान	3.1.1	33
43.	कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी के दिशानिर्देश	3.1.2	34
44.	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.2	34
45.	निदेशक मण्डल की संरचना	3.3	35

क्रम संख्या	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
46.	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक	3.3.1	35
47.	बोर्ड में महिला निदेशक	3.3.2	37
48.	निदेशक मण्डल की बैठकें	3.4	37
49.	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कामकाज	3.5	38
50.	स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करने की घोषणा	3.5.1	38
51.	स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक का आयोजन	3.5.2	39
52.	निदेशक मण्डल की समितियाँ	3.6	40
53.	लेखापरीक्षा समिति	3.6.1	40
54.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	3.6.2	41
55.	आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचा	3.7	42
56.	रा सा क्षे उ में आंतरिक लेखापरीक्षा	3.7.1	43
57.	निष्कर्ष	3.8	44
58.	अनुशंसा	3.9	44
अध्याय-4			
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ			
59.	उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में बिलिंग दक्षता एवं राजस्व वसूली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	4.1	45
60.	परिचय	4.1.1	45
61.	संगठनात्मक संरचना	4.1.2	45
62.	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	4.1.3	46
63.	लेखापरीक्षा मानदण्ड	4.1.4	47
64.	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	4.1.5	47
65.	वित्तीय मुख्यांश	4.1.6	48
66.	वित्तीय प्रदर्शन	4.1.6.1	49
67.	उ पा का लि की परिचालन प्रोफाइल	4.1.7	50
68.	टैरिफ आधारित वर्गीकरण	4.1.7.1	50
69.	उ पा का लि में बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया	4.1.7.2	50
70.	उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल	4.1.7.3	51
71.	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	4.1.8	53

क्रम संख्या	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
72.	बिलिंग दक्षता	4.1.8.1	54
73.	राजस्व वसूली से संबंधित निष्कर्ष	4.1.8.2	71
74.	आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र से संबंधित मुद्दे	4.1.8.3	89
75.	निष्कर्ष	4.1.9	95
76.	अनुशंसाएँ	4.1.10	96

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	30 सितम्बर 2023 तक उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार रा सा क्षे उ की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण	99
1.2	रा सा क्षे उ के जिस अवधि के लिए उनके लेखे बकाया थे, में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश और प्रदान की गई अन्य बजटीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण	102
2.1	बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण	104
2.2	रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान सी ए जी की जारी टिप्पणियों का विवरण	106
2.3	रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 के दौरान जारी सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण	107
2.4	रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों ने ले मा का अनुपालन न करने की सूचना दी	113
2.5	रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण जिसमें सी ए जी द्वारा इंगित अनिवार्य ले मा/ भा ले मा का अनुपालन नहीं किया गया	113
2.6	रा सा क्षे उ को 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान जारी प्रबंधन पत्र दर्शाने वाला विवरण	114

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
3.1	रा सा क्षे उ में स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों, बोर्ड बैठकों, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	115
3.2	रा सा क्षे उ में आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचे की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	118
4.1	टैरिफ के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणी को दर्शाने वाला विवरण	120
4.2	विद्युत वितरण खण्डों में वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण	122
4.3	आई डी एफ/आर डी एफ/एन ए/एन आर के लिए उ पा का लि के विरुद्ध पारित सी जी आर एफ/लोकपाल के निर्णय को दर्शाने वाला विवरण	124
4.4	उ पा का लि के खिलाफ लोकपाल के फैसलों को दर्शाने वाला विवरण	127
4.5	अधिक भार/माँग दण्ड लगाने में विलंब के कारण हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण	132
4.6	जाँच के लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण	134
4.7	पाँच प्रभागों की संग्रहण क्षमता दर्शाने वाला विवरण	135
4.8	तिमाही के अंत में बकाया दर्शाने वाला विवरण	136
4.9	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जी एस टी रिटर्न दाखिल करने वाले पी डी उपभोक्ताओं को दर्शाने वाला विवरण	137
4.10	मानवशक्ति की अतिरिक्त तैनाती को दर्शाने वाला विवरण	138
4.11	मानवशक्ति की कमी को दर्शाने वाला विवरण	139

प्राक्कथन

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय-समय पर संशोधित, की धारा 19ए के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. यह प्रतिवेदन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (रा सा क्षे उ) के वित्तीय प्रदर्शन के सारांश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका, सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के वित्तीय लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों और कॉर्पोरेट गवर्नेन्स से संबंधित है।
3. इस प्रतिवेदन में की गई समीक्षा, रा सा क्षे उ के अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 तक प्राप्त वार्षिक लेखाओं को आच्छादित करती हैं। जिन रा सा क्षे उ के वर्ष 2022-23 के लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उनके नवीनतम प्राप्त अंतिमीकृत लेखाओं के आँकड़े लिए गए हैं।
4. इस प्रतिवेदन में "उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बिलिंग दक्षता एवं राजस्व वसूली" पर अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम भी सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2023-24 में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहाँ भी आवश्यक समझा गया, वर्ष 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी सम्मिलित किया गया है।
5. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित हैं:

- अध्याय-1:** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश
अध्याय-2: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका
अध्याय-3: कॉर्पोरेट गवर्नेंस
अध्याय-4: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

उत्तराखण्ड में 31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रा सा क्षे उ) थे। इन 32 रा सा क्षे उ में से, 27 सरकारी कंपनियाँ, एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी और चार सांविधिक निगम थे। इसके अतिरिक्त, 32 रा सा क्षे उ में से, 23 रा सा क्षे उ कार्यरत थे, और नौ रा सा क्षे उ निष्क्रिय थे (जिनमें परिसमापन के अधीन आठ रा सा क्षे उ सम्मिलित हैं), जिनका परिचालन बंद हो चुका था। कोई भी रा सा क्षे उ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

कार्यरत 23 रा सा क्षे उ में से, केवल पाँच रा सा क्षे उ (उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, यू जे वी एन लिमिटेड, किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड) ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। दो रा सा क्षे उ, अर्थात् सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड, ने अपना पहला वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया था।

कार्यरत 18 रा सा क्षे उ (बिना टर्नओवर वाले तीन रा सा क्षे उ को छोड़कर) का कुल टर्नओवर ₹ 12,569 करोड़ रहा, जो वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 3,03,781 करोड़) का 4.14 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा था, जिसने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 3.27 प्रतिशत का योगदान दिया।

उत्तराखण्ड सरकार ने रा सा क्षे उ में ₹ 4,939.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 3,989.52 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण: ₹ 950.01 करोड़) का निवेश किया था, जो इन रा सा क्षे उ में कुल निवेश का 56 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, अनुदान

और उपदान के रूप में रा सा क्षे उ को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जाने वाली बजटीय सहायता 2021-22 में ₹ 1,284.27 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 2,097.31 करोड़ हो गयी।

21 रा सा क्षे उ में से, सात रा सा क्षे उ में शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। शेष 14 रा सा क्षे उ के लिए उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर इक्विटी पर प्रतिफल (ई प प्र) - शेयरधारकों की निधि द्वारा विभाजित करों के बाद शुद्ध लाभ - और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (नि पू प्र) - नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित ब्याज और करों से पहले की कमाई का विश्लेषण, इंगित करता है कि नौ रा सा क्षे उ ने सकारात्मक ई प प्र / नि पू प्र दर्ज किया, तीन रा सा क्षे उ ने ऋणात्मक ई प प्र/ नि पू प्र की सूचना दी, और दो रा सा क्षे उ ने 'निरंक' ई प प्र/ नि पू प्र दर्शाया।

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 10 रा सा क्षे उ ने कुल ₹ 231.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें से शीर्ष पाँच लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ, यू जे वी एन लिमिटेड, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड थे। नौ रा सा क्षे उ को ₹ 1,279.69 करोड़ की हानि हुई, जिसमें से शीर्ष पाँच हानि वाले रा सा क्षे उ, उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड थे। दो रा सा क्षे उ ने निरंक लाभ/ हानि की सूचना दी।

उत्तराखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके अन्तर्गत रा सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम लाभांश का भुगतान करना आवश्यक हो। लाभ अर्जित करने वाले 10 रा सा क्षे उ में से, केवल दो ऊर्जा क्षेत्र के रा सा क्षे उ, अर्थात् यू जे वी एन लिमिटेड और पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 20 करोड़ और ₹ 5 करोड़ का लाभांश दिया/घोषित किया।

21 रा सा क्षे उ की निवल संपत्ति के विश्लेषण से पता चला कि छः रा सा क्षे उ की निवल संपत्ति, उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर, पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इन छः रा सा क्षे उ ने ₹ 6,588.68 करोड़ की संचित हानि दर्ज

की, जो उनकी ₹ 1,796.68 करोड़ की संयुक्त प्रदत्त पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों तथा अधिशेष से अधिक है।

21 रा सा क्षे उ में से, 20 रा सा क्षे उ की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया दीर्घकालिक ऋणों से अधिक था, जबकि केवल एक रा सा क्षे उ, अर्थात् डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियाँ बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम थीं।

रा सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ (परिसमापन के अधीन आठ सहित) में ₹ 16.26 करोड़ का निवेश था, जिसमें ₹ 12.14 करोड़ की पूंजी (राज्य सरकार: ₹ 9.45 करोड़) और ₹ 4.12 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण (राज्य सरकार: ₹ 4.09 करोड़) सम्मिलित था।

अध्याय-2: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

सी ए जी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 13 रा सा क्षे उ (12 सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) के 19 वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की और उन पर टिप्पणियाँ/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ ले प्र) जारी किए। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान तीन रा सा क्षे उ, जहाँ सी ए जी एकमात्र लेखापरीक्षक है, के आठ वित्तीय विवरणों पर पृ ले प्र जारी किए गए।

सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों का लाभप्रदता पर ₹ 166.93 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 64.96 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों का लाभप्रदता पर ₹ 163.97 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 185.57 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

अध्याय-3: कॉर्पोरेट गवर्नेंस

लेखापरीक्षा ने रा सा क्षे उ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढाँचे के क्रियाकलाप में कई कमियाँ पाई, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

- कार्यरत 12 रा सा क्षे उ में से, जहाँ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी, सात रा सा क्षे उ ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की और एक रा सा क्षे उ में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित संख्या में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, दो रा सा क्षे उ, जिनके बोर्ड में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे, द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आयोजित नहीं की गई।

- चार कार्यरत रा सा क्षे उ, जहाँ महिला निदेशक की नियुक्ति की जानी थी, में से एक रा सा क्षे उ में पूरे वर्ष 2022-23 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी।
- कार्यरत 19 रा सा क्षे उ में से, आठ रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकें अपेक्षित संख्या (न्यूनतम चार) में आयोजित नहीं कीं। इसके अतिरिक्त, चार रा सा क्षे उ में निदेशक मण्डल की दो बैठकों की मध्यांतर अवधि, 120 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के सापेक्ष 127 दिनों से 181 दिनों के बीच रही।
- जिन 12 रा सा क्षे उ के लिए लेखापरीक्षा समिति का होना आवश्यक था, उनमें से छः रा सा क्षे उ ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया।
- जिन 12 रा सा क्षे उ के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (ना पा स) का होना आवश्यक था, उनमें से नौ रा सा क्षे उ ने ना पा स का गठन नहीं किया।

अध्याय-4: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बिलिंग दक्षता और राजस्व वसूली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उ पा का लि) की बिलिंग गतिविधियाँ निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही थीं, राजस्व वसूली गतिविधियाँ पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी थीं, उ पा का लि, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) द्वारा निर्धारित संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम था, और एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र स्थापित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरिद्वार (रुड़की-ग्रामीण, रुड़की-शहरी, रुड़की-रामनगर और लक्सर) और उधम सिंह नगर (विशेष रूप से रुद्रपुर-II) में स्थित खण्डों में वितरण हानि सबसे अधिक थी। अकेले विद्युत वितरण मंडल- रुड़की ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान ₹ 488.50 करोड़ की लागत की 964.465 मिलियन इकाई वितरण की हानि वहन की।

उत्तराखण्ड सरकार ने उ पा का लि में एक सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना (नवंबर 2018) की। हालाँकि, पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी तैनात नहीं किए गए। छापेमारी एवं राजस्व निरीक्षण विभाग अस्तित्व में नहीं था, और सम्बंधित

गतिविधियों की देखरेख उप महाप्रबंधक/अधीक्षण अभियंता स्तर के किसी अधिकारी द्वारा नहीं की गई।

उत्तराखण्ड के पड़ोसी राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों ने विद्युत चोरी और अनधिकृत उपयोग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समर्पित पुलिस थाने स्थापित किए हैं। हालाँकि, दो सबसे अधिक प्रभावित जिलों, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में समर्पित पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय पाँच वर्षों से भी अधिक समय (जनवरी 2025) से लंबित है।

उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जाँचे गए मीटरों की संख्या, प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम रही और 2021-22 से 2023-24 के दौरान केवल 31.78 प्रतिशत (1,81,920 के लक्ष्य के सापेक्ष 57,825 मीटरों की जाँच हुई) रही।

उ पा का लि ने ₹ 385.34 करोड़ के बकाया वाले 1.13 लाख उपभोक्ताओं (जिनके मीटर पहुँच में नहीं हैं/ पढ़े नहीं गए हैं/ दोषपूर्ण हैं) को दो निरंतर बिलिंग चक्रों की निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए अनंतिम बिलिंग जारी रखी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपभोक्ताओं और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंधित भार के उल्लंघन पर जुर्माने से सम्बंधित प्रावधानों (चार गुना जुर्माना) को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद लागू किया गया।

राजस्व प्राप्ति से सम्बंधित मुद्दों की लेखापरीक्षा में अन्य बातों के अतिरिक्त, चूककर्ता उपभोक्ताओं के समय पर संयोजन विच्छेदित नहीं किए गए, जिसके कारण उ पा का लि के पास उपलब्ध प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त ₹ 769.10 करोड़ का बकाया जमा हो गया। राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों (चूककर्ता उपभोक्ताओं से भू-राजस्व के रूप में बकाया राशि की वसूली के लिए जिला अधिकारियों को जारी) के सापेक्ष वसूली दर खराब थी और 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के मूल्य के 10 प्रतिशत से भी कम रही। अन्य मुद्दों में ₹ 80.13 करोड़ के बकाया वाले 16,060 उपभोक्ताओं के स्थायी कनेक्शन काटने में विलंब, कुछ उपभोक्ताओं को कई बार किस्त की सुविधा प्रदान करना, ₹ 441.63 करोड़ के बकाया वाले बिल निर्गत नहीं/ रोके गए बिल वाले उपभोक्ताओं के 1.30 लाख मामलों का निपटारा न करना और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने स्वीकार किया कि उ पा का लि ने लेखापरीक्षा में उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की:

- लेखापरीक्षा में बिना उचित जाँच-पड़ताल के कई बार किस्त सुविधा प्रदान करने का मुद्दा उठाया गया था। इसके अनुपालन में, उ पा का लि ने किस्त सुविधा प्रदान करते समय अपनाई जाने वाली उचित जाँच-पड़ताल प्रक्रिया तैयार (जनवरी 2024) की, जिसके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को किस्त सुविधा की माँग की गई राशि के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी, ताकि जोखिम कम से कम हो और उ पा का लि को कोई हानि न हो।
- लेखापरीक्षा ने, पिछले वर्ष की खपत के आधार पर, उपभोक्ताओं से अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि की वसूली न होने का मामला उठाया (जनवरी-फरवरी 2023)। इसके अनुपालन में, उ पा का लि ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर की (मार्च 2023), जिसके द्वारा उ पा का लि को अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि की बकाया राशि 12 समान मासिक किशतों में वसूलने की अनुमति (नवंबर 2023) प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप ₹ 181.08 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि (अक्टूबर 2024 तक) वसूल की गई।
- लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 32,041 घरेलू उपभोक्ताओं ने पाँच बिलिंग चक्रों में लगातार अनुबंधित भार को पार कर लिया था, लेकिन उ पा का लि ने छठे बिलिंग चक्र से उनके अनुबंधित भार में वृद्धि नहीं की, जो कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के अनुसार आवश्यक था। अनुपालन में, उ पा का लि ने घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंधित भार के उल्लंघन से सम्बंधित प्रावधानों को लागू किया (अगस्त 2023) और अपने अनुबंधित भार का उल्लंघन करने वाले 1.34 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के अनुबंधित भार में वृद्धि की। परिणामस्वरूप, उ पा का लि बढ़ी हुई प्रतिभूति जमा राशि के आधार पर ₹ 10.83 करोड़ का बिल जारी कर सका।
- लेखापरीक्षा ने अपने अनुबंधित भार का उल्लंघन करने वाले 43 औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलिंग आँकड़ों का नमूना-जाँच के आधार पर विश्लेषण किया, और जून 2021 से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान ₹ 1.59 करोड़ के अतिरिक्त भार माँग दण्ड का आरोपण न किए जाने की गणना की। लेखापरीक्षा

द्वारा इंगित किए जाने पर, उ पा का लि ने गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में चार गुना अधिक माँग दण्ड लगाने के प्रावधानों को लागू (दिसम्बर 2023) किया, ₹ 40.85 करोड़ के अतिरिक्त माँग शुल्क को बढ़ाया और ₹ 27.93 करोड़ वसूले (अगस्त 2024)।

अनुशंसाएँ

1. उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चोरी संभावित क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में प्रगति ला सकता है एवं उसे प्राथमिकता दे सकता है तथा अधिक वितरण हानि वाले विद्युत वितरण मंडलों/खण्डों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमित रोटेशन सुनिश्चित कर सकता है।
2. उत्तराखण्ड सरकार चोरी संभावित क्षेत्रों में समर्पित पुलिस थानों की स्थापना में प्रगति ला सकती है तथा पर्याप्त मानव शक्ति (पुलिस अधिकारियों सहित) के माध्यम से सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त कर सकती है।
3. उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह सुनिश्चित कर सकता है कि मुख्य/अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खण्डों का निर्धारित समय पर निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा इन प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड छापाँ और राजस्व निरीक्षणों की निगरानी हेतु एक उप महाप्रबंधक/अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को नामित कर सकता है।
4. उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनंतिम बिलिंग को अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक सीमित करने और बिल निर्गत न किए जाने/रोके गए बिल वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों का समय पर समाधान करने के लिए निर्देशित कर सकती है।
5. उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनुवर्ती कार्रवाई बढ़ाने के लिए ऑफलाइन जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विवरण को बिलिंग माँड्यूल में दर्ज करने को प्राथमिकता दे सकता है।
6. उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों एवं विद्युत लोकपाल के आदेशों/निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक तंत्र विकसित कर सकता है। इसमें संरचित आंतरिक दिशानिर्देश/एस ओ पी आदि तैयार करना और अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना सम्मिलित हो सकता है।

अध्याय-1

**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के
वित्तीय निष्पादन का सारांश**

अध्याय-1

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

यह अध्याय इक्विटी और दीर्घावधि ऋणों में सरकारी निवेश, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाले विभिन्न अनुपातों, और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.1 परिचय

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रा सा क्षे उ) शब्द में सरकारी कम्पनियाँ और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ, जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया है, और संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम हैं, शामिल हैं।

सरकारी कम्पनी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों के पास या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास है, इसमें ऐसी कम्पनी भी शामिल है जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य कम्पनी¹ को सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में संदर्भित किया जाता है।

सांविधिक निगम

एक निगम की स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के अंतर्गत की जाती है।

¹ कम्पनियाँ (कठिनाइयों को दूर) सातवां आदेश, 2014 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (4 सितंबर 2014)।

उत्तराखण्ड में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक, 32 रा सा क्षे उ थे। 32 रा सा क्षे उ में से 27 सरकारी कम्पनियाँ, एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी, और चार सांविधिक निगम थे। कोई भी रा सा क्षे उ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, 32 रा सा क्षे उ में से 23 रा सा क्षे उ² कार्यरत थे, और नौ रा सा क्षे उ (परिसमापन के अंतर्गत आठ रा सा क्षे उ सहित), जिन्होंने अपना संचालन बंद कर दिया था, अकार्यरत थे। रा सा क्षे उ द्वारा की जा रही गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् ऊर्जा क्षेत्र (चार रा सा क्षे उ) और ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य (19 रा सा क्षे उ)।

1.1.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों एवं सी ए जी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सी ए जी, सनदी लेखाकार को सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है, और लेखाओं की लेखापरीक्षा के तरीकों पर निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, सी ए जी को इन कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले कानून या तो सी ए जी को एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा, या सांविधिक निगमों को शासित करने वाली सम्बन्धित संविधियों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करनी होती है।

1.1.2 सरकार और विधायिका की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रा सा क्षे उ के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। राज्य विधानमंडल भी रा सा क्षे उ के वार्षिक वित्तीय परिणामों की निगरानी करता है। इसके लिए, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों और सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर सी ए जी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन, और सांविधिक निगमों

² 18 सरकारी कम्पनियाँ, एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ, और चार सांविधिक निगम।

के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394/395 के अंतर्गत या सांविधिक निगमों को शासित करने वाली सम्बन्धित संविधियों के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.1.3 वित्तीय विवरणों की स्थिति

कार्यरत 23 रा सा क्षे उ में से केवल पाँच रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त, दो रा सा क्षे उ अर्थात् सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड ने अपना प्रथम वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया था। 21 रा सा क्षे उ³ द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की क्षेत्रवार स्थिति तालिका-1.1 में दी गई है।

तालिका-1.1: कार्यरत रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों की क्षेत्रवार स्थिति

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत किए गए नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों की स्थिति		
		वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या	वर्ष 2020-21 या पिछले वर्षों के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाले रा सा क्षे उ की संख्या
ऊर्जा क्षेत्र	04	04	-	-
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	17	01	07	09
योग	21	05	07	09

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत किए गए 21 कार्यरत रा सा क्षे उ की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार परिशिष्ट-1.1 में दिए गए हैं एवं तालिका-1.2 में संक्षेप में दिए गए हैं।

³ दो रा सा क्षे उ को छोड़कर, जिन्होंने 30 सितंबर 2023 तक अपना प्रथम वित्तीय विवरण भी जमा नहीं किया था।

तालिका-1.2: कार्यरत रा सा क्षे उ की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणामों का सारांश⁴

विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)
शेयर आवेदन राशि सहित प्रदत्त शेयर पूंजी (21 रा सा क्षे उ) ⁵	4,001.62
दीर्घकालिक ऋण (13 रा सा क्षे उ)	5,027.21
टर्नओवर (18 रा सा क्षे उ)	12,569.17
शुद्ध लाभ (10 रा सा क्षे उ)	231.34
शुद्ध हानि (नौ रा सा क्षे उ)	(-)1,279.69
निरंक लाभ/हानि (दो रा सा क्षे उ)	-
लाभांश घोषित/भुगतान (दो रा सा क्षे उ)	25.01
कुल संपत्ति	32,432.58
निवल संपत्ति	(-)180.72

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

1.1.4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में रा सा क्षे उ का योगदान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) की तुलना में रा सा क्षे उ के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में उनकी गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखण्ड के स रा घ उ (₹ 3,03,781.00 करोड़)⁶ में 18 कार्यरत रा सा क्षे उ⁷ के टर्नओवर की हिस्सेदारी की तुलना क्षेत्रवार टर्नओवर⁸ से तालिका-1.3 में दी गयी है।

तालिका-1.3: उत्तराखण्ड के स रा घ उ में क्षेत्रवार टर्नओवर के सापेक्ष रा सा क्षे उ के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र.सं.	क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	स रा घ उ में टर्नओवर की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)
1.	ऊर्जा क्षेत्र	03	9,936.49	3.27
2.	ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	15	2,632.68	0.87
योग		18	12,569.17	4.14

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

⁴ तालिका-1.2 में दिए गए आँकड़े विभिन्न वर्षों के लिए रा सा क्षे उ के वित्तीय आँकड़ों के आधार पर संकलित किए गए हैं जैसा कि तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

⁵ दो रा सा क्षे उ अर्थात् सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड को छोड़कर, जिनसे प्रथम वित्तीय विवरण भी प्राप्त नहीं हुआ था।

⁶ अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, योजना विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के आँकड़ों के अनुसार।

⁷ 23 रा सा क्षे उ में से 18 में टर्नओवर।

⁸ 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार।

तालिका-1.3 से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के लिए इन 18 कार्यरत रा सा क्षे उ का टर्नओवर (₹ 12,569.17 करोड़), उत्तराखण्ड के स रा घ उ का 4.14 प्रतिशत था। स रा घ उ में टर्नओवर की उच्चतम हिस्सेदारी ऊर्जा क्षेत्र की थी, जिसने 3.27 प्रतिशत का योगदान दिया, जबकि ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य ने केवल 0.87 प्रतिशत का योगदान दिया।

1.2 रा सा क्षे उ में निवेश

रा सा क्षे उ में किए गए निवेश में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं। उत्तराखण्ड सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से रा सा क्षे उ को अनुदान और उपदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में निवेश पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

1.2.1 उत्तराखण्ड सरकार की रा सा क्षे उ में हिस्सेदारी

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 तक, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किया गया क्षेत्रवार निवेश तालिका-1.4 में दिया गया है।

तालिका-1.4: 31 मार्च 2023 तक रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	कुल निवेश			उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश		
		इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	योग	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	योग
ऊर्जा क्षेत्र	04	3,660.29	4,431.49	8,091.78	3,655.29	618.28	4,273.57
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	19	370.67	399.03	769.70	334.23	331.73	665.96
योग	23	4,030.96	4,830.52	8,861.48	3,989.52	950.01	4,939.53

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार।

तालिका-1.4 से यह देखा जा सकता है कि उत्तराखण्ड सरकार ने रा सा क्षे उ में ₹ 4,939.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 3,989.52 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण: ₹ 950.01 करोड़) का निवेश किया था, जो इन रा सा क्षे उ में कुल निवेश का 56 प्रतिशत था। आगे यह भी देखा जा सकता है कि रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए कुल निवेश का 87 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के रा सा क्षे उ में था।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 तक, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किए गए निवेश का विवरण तालिका-1.5 में दिया गया है।


तालिका-1.5: रा सा क्षे उ में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में किए गए निवेश का विवरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक			31 मार्च 2023 तक		
	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	योग	इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	योग
राज्य सरकार	3,856.25	929.70	4,785.95	3,989.52	950.01	4,939.53
केंद्र सरकार	15.42	2.30	17.72	15.42	1.91	17.33
अन्य	16.03	4,073.27	4,089.30	26.02	3,878.60	3,904.62
कुल	3,887.70	5,005.27	8,892.97	4,030.96	4,830.52	8,861.48
कुल निवेश में उत्तराखण्ड सरकार का अंश (प्रतिशत में)	99.19	18.57	53.82	98.97	19.67	55.74

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

तालिका-1.5 में, यह देखा जा सकता है कि रा सा क्षे उ में कुल निवेश 31 मार्च 2022 को ₹ 8,892.97 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹ 8,861.48 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 से 2022-23 के अंत में रा सा क्षे उ में कुल निवेश के स्रोतों का वर्षवार ब्यौरा चार्ट-1.1 में नीचे दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1: रा सा क्षे उ में कुल निवेश के स्रोत



स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

1.2.2 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

उत्तराखण्ड सरकार ने 2021-22 से 2022-23 तक दो वर्षों के दौरान चार रा सा क्षे उ में इक्विटी के रूप में ₹ 234.68 करोड़ की राशि का निवेश किया। रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी 2021-22 में ₹ 101.41 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 133.27 करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त, 2021-22 से 2022-23 तक दो वर्षों के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी का रा सा क्षे उ-वार विवरण तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6: 2021-22 और 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी का रा सा क्षे उ-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	इक्विटी निवेश		
		2021-22	2022-23	योग
1.	उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.00	40.00	55.00
2.	पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	20.00	69.00	89.00
3.	यू जे वी एन लिमिटेड.	65.91	23.82	89.73
4.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	0.50	0.45	0.95
योग		101.41	133.27	234.68

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संकलित।


तालिका-1.6 में यह देखा जा सकता है कि अधिकतम इक्विटी तीन ऊर्जा क्षेत्र के रा सा क्षे उ अर्थात् यू जे वी एन लिमिटेड (38.24 प्रतिशत), पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (37.92 प्रतिशत) और उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (23.44 प्रतिशत) में की गई थी।

1.2.3 रा सा क्षे उ को प्रदान किए गए ऋण

रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, 10 कार्यरत रा सा क्षे उ के पास 31 मार्च 2022 तक ₹ 5,005.27 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक कुल ₹ 4,830.52 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण बकाया था। इनमें से, उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त ऋण 31 मार्च 2022 को ₹ 929.70 करोड़ (18.57 प्रतिशत) के सापेक्ष 31 मार्च 2023 को ₹ 950.01 करोड़ (19.67 प्रतिशत) था।

रा सा क्षे उ के बकाया दीर्घकालिक ऋणों की वर्ष-वार स्थिति चार्ट-1.2 में दर्शाई गई है।

चार्ट-1.2: रा सा क्षे उ के बकाया दीर्घकालिक ऋण



स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

चार्ट-1.2 में, यह देखा जा सकता है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा रा सा क्षे उ को दिए गए दीर्घकालिक ऋण की बकाया राशि 31 मार्च 2022 को ₹ 929.70 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2023 तक ₹ 950.01 करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त, अन्य स्रोतों से बकाया दीर्घकालिक ऋण 31 मार्च 2022 को ₹ 4,075.57 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2023 को ₹ 3,880.51 करोड़ हो गया।

1.2.4 अन्य बजटीय सहायता

इक्विटी में निवेश करने और रा सा क्षे उ को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से रा सा क्षे उ को अनुदान और उपदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले दो वर्षों के दौरान अनुदान और उपदान के रूप में रा सा क्षे उ को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई बजटीय सहायता का विवरण तालिका-1.7 में संक्षेप में दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले रा सा क्षे उ को गारंटियाँ प्रदान की।

तालिका-1.7: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा रा सा क्षे उ को प्रदान की गई बजटीय सहायता और गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22		2022-23	
	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि	रा सा क्षे उ की संख्या	धनराशि
अनुदान और उपदान	09	1,284.27	11	2,097.31
वर्ष के दौरान जारी की गई गारंटी	04	318.71	03	225.57
वर्ष के अंत में बकाया गारंटी प्रतिबद्धताएं	04	186.48	03	101.18

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

तालिका-1.7 से, यह देखा जा सकता है कि अनुदान और उपदान के रूप में रा सा क्षे उ को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई बजटीय सहायता 2021-22 में ₹ 1,284.27 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 2,097.31 करोड़ हो गई।

1.2.5 बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ में निवेश एवं अन्य बजटीय सहायता

प्रशासनिक विभागों का यह उत्तरदायित्व है कि वे रा सा क्षे उ के कार्यकलापों की निगरानी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित अवधि के भीतर रा सा क्षे उ लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करे तथा अपना लें। प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभागों को बकाया लेखाओं की स्थिति के बारे में नियमित रूप⁹ से सूचित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सरकार ने, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में से, 10 रा सा क्षे उ को ₹ 2,208.10 करोड़ (इक्विटी: ₹ 13.20 करोड़; दीर्घकालिक ऋण: ₹ 46.17 करोड़; अनुदान और उपदान: ₹ 2,148.73 करोड़) की बजटीय सहायता उस अवधि के दौरान प्रदान की, जिस अवधि के लिए इन रा सा क्षे उ के लेखे, 31 मार्च 2023 तक बकाया थे। जिस अवधि के लिए लेखे बकाया थे, उस अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेशों और प्रदान की गई अन्य बजटीय सहायता का रा सा क्षे उ-वार ब्यौरा परिशिष्ट-1.2 में दिया गया है।

लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने और तदुपरांत उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जिस प्रयोजन के लिए राशि का निवेश/प्रदान किया गया था, उसे प्राप्त कर लिया गया। अतः इन रा सा क्षे उ में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया निवेश/अन्य बजटीय सहायता राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रही।

1.2.6 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, दीर्घकालिक ऋणों तथा बकाया गारंटियों के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित रा सा क्षे उ और उत्तराखण्ड सरकार के वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिए। 31 मार्च 2023 तक इक्विटी, ऋण और गारंटी¹⁰ के आँकड़ों में अंतर तालिका-1.8 में दिए गए हैं।

⁹ तिमाही आधार पर।

¹⁰ 20 रा सा क्षे उ के संबंध में इक्विटी, आठ रा सा क्षे उ के संबंध में ऋण और तीन रा सा क्षे उ के संबंध में गारंटी।

तालिका-1.8: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ-साथ रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण और गारंटियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार राशि	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि
इक्विटी	3,989.52	4,043.90
ऋण	950.01	731.13
गारंटी	101.18	33.45

स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई जानकारी और वित्त लेखाओं के आधार पर संकलित।

1.2.7 अकार्यरत रा सा क्षे उ का समापन

राज्य में नौ अकार्यरत रा सा क्षे उ (परिसमापन के अंतर्गत आठ सहित) थे। इन रा सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, इनमें ₹ 16.26 करोड़ का निवेश था, जिसमें पूंजी ₹ 12.14 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 9.45 करोड़ और अन्य: ₹ 2.69 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण ₹ 4.12 करोड़ (राज्य सरकार: ₹ 4.09 करोड़ और अन्य: ₹ 0.03 करोड़) थे। यह एक गंभीर क्षेत्र है क्योंकि अकार्यरत रा सा क्षे उ में निवेश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं करता है। उत्तराखण्ड सरकार इन रा सा क्षे उ के संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई कर सकती है।

1.3 ऋणों का विश्लेषण

रा सा क्षे उ द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 23 कार्यरत रा सा क्षे उ में से 13 रा सा क्षे उ के पास कुल ₹ 5027.21 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट-1.1** में वर्णित किया गया है। इन रा सा क्षे उ के ऋणों का विश्लेषण, सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण को चुकाने की रा सा क्षे उ की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका आकलन ब्याज कवरेज अनुपात और दीर्घकालिक ऋणों के लिए कुल परिसंपत्तियों के अनुपात के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण भी किया गया था। विश्लेषण के परिणामों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

1.3.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की किसी इकाई की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसी अवधि के लिए ब्याज व्यय द्वारा ब्याज और करों से पहले इकाई की आय (ई बी आई टी) को विभाजित

करके गणना की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, इकाई की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि इकाई ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर रही है। नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, बकाया ऋण और वित्त लागत वाले 12 रा सा क्षे उ के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-1.9 में दिया गया है।

तालिका-1.9: रा सा क्षे उ के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	रा सा क्षे उ की संख्या जिनके पास बकाया ऋण और वित्त लागत थी	ब्याज (₹ करोड़ में)	ई बी आई टी (₹ करोड़ में)	एक के बराबर या अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले रा सा क्षे उ की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले रा सा क्षे उ की संख्या
सरकारी कम्पनियाँ	10	429.03	-611.16	5	5
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1	2.17	-2.65	-	1
सांविधिक निगम	1	8.35	-10.95	-	1
योग	12¹¹	439.55	-624.76	5	7

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.9 में यह देखा जा सकता है कि सात रा सा क्षे उ का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि ये रा सा क्षे उ अपनी ब्याज देयता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर सके।

1.3.2 दीर्घकालिक ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल संपत्तियों से दीर्घकालिक ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई इकाई शोधनक्षम है। शोधनक्षम माना जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 21 रा सा क्षे उ में कुल संपत्तियों के मूल्य के अनुसार दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज तालिका-1.10 में दिया गया है।

¹¹ एक रा सा क्षे उ यानी उत्तराखण्ड परिवहन निगम की ऋण देयता है लेकिन वित्त लागत (ब्याज) की प्रतिपूर्ति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार, वित्त लागत "शून्य" है।

तालिका-1.10: रा सा क्षे उ की कुल संपत्तियों के साथ दीर्घकालिक ऋणों के कवरेज का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	रा सा क्षे उ की संख्या	दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति का कुल दीर्घकालिक ऋणों से अनुपात	रा सा क्षे उ की संख्या	दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति (₹ करोड़ में)	कुल संपत्ति का कुल दीर्घकालिक ऋणों से अनुपात
सरकारी कम्पनियाँ	15	4,770.56	22,710.94	4.76	1	131.14	105.66	0.81
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1	19.5	78.89	4.05	0	0	0	0
सांविधिक निगम	4	106.01	9,537.09	89.96	0	0	0	0
कुल	20	4,896.07	32,326.92	6.60	1	131.14	105.66	0.81

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.10 से यह देखा जा सकता है कि 21 रा सा क्षे उ में से 20 रा सा क्षे उ की सम्पत्ति उसके द्वारा लिय गए ऋण से अधिक थी जबकि एक रा सा क्षे उ अर्थात् डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड की कुल संपत्तियां बकाया दीर्घावधि ऋणों से कम थीं।

1.3.3 ब्याज शुल्क की अदायगी और मूलधन का पुनर्भूगतान

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुसार जिन 13 रा सा क्षे उ पर ऋण देयता थी, उनमें से तालिका-1.11 में दिए गए शीर्ष तीन रा सा क्षे उ अपने ऋण (मूलधन/ब्याज लागत) की अदायगी में चूक गए थे।

तालिका-1.11: उन रा सा क्षे उ का विवरण जो अपने ऋण की अदायगी में चूक गए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	ऋण का स्रोत	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	डिफॉल्ट की राशि
1.	यू जे वी एन लिमिटेड	उत्तराखण्ड सरकार	2022-23	42.03
2.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	उत्तराखण्ड सरकार और मंडी परिषद	2021-22	388.33
3.	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	उत्तराखण्ड सरकार और बैंक	2021-22	2.11
योग				432.47

स्रोत: सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.11 से, यह देखा जा सकता है कि ऋण की अदायगी में चूक राशि की उच्चतम राशि (कुल चूक राशि का 89.79 प्रतिशत) डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड की थी।

1.3.4 उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋणों का चार रा सा क्षे उ पर ₹ 512.36 करोड़ का ब्याज बकाया था। उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका-1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.12: उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	उत्तराखण्ड सरकार के ऋणों पर कुल बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम का बकाया ब्याज	1 वर्ष से 3 वर्ष का बकाया ब्याज	3 वर्षों से अधिक का बकाया ब्याज
1.	यू जे वी एन लिमिटेड	10.16	3.33	4.17	2.66
2.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	273.12	21.29	63.87	187.96
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	223.79	0	0	223.79
4.	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	5.29	0.88	2.82	1.59
	योग	512.36	25.50	70.86	416.00

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

तालिका-1.12 से यह देखा जा सकता है कि तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया ब्याज का एक बड़ा हिस्सा दो रा सा क्षे उ अर्थात् डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड से संबंधित था।

1.4 रा सा क्षे उ का तरलता विश्लेषण

चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक इकाई की अपने अल्पकालिक दायित्वों या उन बकाया राशि का भुगतान करने की क्षमता को मापता है जो एक वर्ष के भीतर देय हैं। यह इकाई की चालू परिसंपत्तियों की तुलना उसकी चालू देनदारियों से करता है। यह एक इकाई की अल्पकालिक शोधन क्षमता का एक उपयोगी आकलन है। एक से कम का चालू अनुपात इंगित करता है कि इकाई के अल्पकालिक दायित्व उसकी अल्पकालिक परिसंपत्तियों से अधिक हैं, और यह अपनी उपलब्ध चालू परिसंपत्तियों के साथ इस तरह के बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। एक से अधिक का चालू अनुपात इंगित करता है कि इकाई के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अल्पकालिक संपत्ति है। चालू अनुपात का सूत्र है:

चालू अनुपात =	$\frac{\text{चालू संपत्ति}}{\text{चालू दायित्व}}$
---------------	---

लेखापरीक्षा ने 21 कार्यरत रा सा क्षे उ¹² के चालू अनुपात का विश्लेषण उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार किया और पाया कि वर्ष के अंत में सात रा सा क्षे उ का चालू अनुपात एक से कम था, जो दर्शाता है कि इन रा सा क्षे उ के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अल्पकालिक परिसंपत्तियाँ नहीं थीं। एक से कम के चालू अनुपात वाले रा सा क्षे उ का विवरण तालिका-1.13 में दिया गया है।

तालिका-1.13: एक से कम के चालू अनुपात वाले रा सा क्षे उ का विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	चालू संपत्ति (₹ करोड़ में)	चालू दायित्व (₹ करोड़ में)	चालू अनुपात
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1,442.78	7,786.93	0.19
2.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	103.05	526.56	0.20
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	149.92	426.13	0.35
4.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	2022-23	2.78	6.43	0.43
5.	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2021-22	63.51	72.85	0.87
6.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	159.41	435.63	0.37
7.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	1,033.66	2,086.88	0.50

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

1.4.1 रा सा क्षे उ में निवेश पर प्रतिफल

रा सा क्षे उ में निवेश पर प्रतिफल का मूल्यांकन इक्विटी पर आय और नियोजित पूंजी पर आय अनुपातों का उपयोग करके किया गया था। इसके अतिरिक्त, लाभ कमाने वाले रा सा क्षे उ द्वारा लाभांश भुगतान का भी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

1.4.2 इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (ई प प्र) वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन लाभ उत्पन्न करने के लिए किसी इकाई की संपत्ति का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से कर रहा है। इसकी गणना शेयरधारक निधि द्वारा शुद्ध आय (अर्थात्,

¹² दो रा सा क्षे उ को छोड़कर जिन्होंने अपना प्रथम वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

करों के बाद शुद्ध लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना किसी भी इकाई के लिए की जा सकती है जहाँ शेयरधारक निधि सकारात्मक है।

किसी इकाई के शेयरधारक निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय से, संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है। यह उस राशि को प्रदर्शित करता है जो इकाई के हितधारकों के लिए छोड़ी जाएगी, यदि सभी संपत्तियां बेची जाएं और ऋण चुका दिए जाएं। एक सकारात्मक शेयरधारक निधि इंगित करती है कि इकाई के पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि एक ऋणात्मक शेयरधारक निधि का मतलब है कि देनदारियां संपत्ति से अधिक हैं।

21 रा सा क्षे उ में से सात रा सा क्षे उ के पास ऋणात्मक शेयरधारक निधि थी। लेखापरीक्षा ने शेष 14 रा सा क्षे उ के लिए ई प प्र की गणना उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर की और पाया कि नौ रा सा क्षे उ का ई प प्र सकारात्मक था, तीन रा सा क्षे उ का ई प प्र ऋणात्मक था¹³, और दो रा सा क्षे उ का ई प प्र निरंक¹⁴ था, जैसा कि तालिका-1.14 में वर्णित गया है।

तालिका-1.14: रा सा क्षे उ की इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	ई प प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	निरंक ई प प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	सकारात्मक ई प प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	
			10 प्रतिशत तक	10 प्रतिशत से अधिक
सरकारी कम्पनियाँ	3	2	3	4
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	-	-	-	-
सांविधिक निगम	-	-	1	1
योग	3	2	4	5

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त 14 रा सा क्षे उ का क्षेत्र-वार ई प प्र तालिका-1.15 में दिया गया है।

¹³ ई प प्र ऋणात्मक था क्योंकि इन रा सा क्षे उ ने अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार नुकसान उठाया था।

¹⁴ ई प प्र 'शून्य' था क्योंकि इन रा सा क्षे उ ने अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार न तो लाभ अर्जित किया था और न ही नुकसान उठाया था।

तालिका-1.15: इक्विटी पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारक निधि (₹ करोड़ में)	ई प प्र (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र	3	137.51	3,802.32	3.62
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	11	62.16	1,116.52	5.57
कुल	14	199.67	4,918.84	4.06

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.15 से, यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा क्षेत्र का ई प प्र 3.62 प्रतिशत था, ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य का ई प प्र 5.57 प्रतिशत था।

1.4.3 निवल संपत्ति का क्षरण

निवल संपत्ति से तात्पर्य कुल प्रदत्त पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष से संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर है। यह इस बात का माप है कि कोई इकाई मालिकों के लिए कितनी मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल संपत्ति इंगित करती है कि मालिकों का पूरा निवेश संचित घाटे और आस्थगित राजस्व व्यय से समाप्त हो गया है।

21 रा सा क्षे उ की प्रदत्त पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष/संचित घाटे, आस्थगित राजस्व व्यय और निवल संपत्ति¹⁵, उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, **परिशिष्ट-1.1** में वर्णित हैं और **तालिका-1.16** में संक्षेप में दिए गए हैं।

तालिका-1.16: रा सा क्षे उ के निवल संपत्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

रा सा क्षे उ का प्रकार	प्रदत्त पूंजी	मुक्त संचय और अधिशेष (+)/ संचित घाटा (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल संपत्ति
सरकारी कम्पनियाँ	3,758.57	-3,847.64	निरंक	-89.07
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4.08	-29.68		-25.60
सांविधिक निगम	238.97	-305.02		-66.05
कुल	4,001.62	-4,182.34		-180.72

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

21 रा सा क्षे उ के निवल संपत्ति के विश्लेषण से पता चला कि, उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, छः रा सा क्षे उ की कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इन रा सा क्षे उ की प्रदत्त पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष ₹ 1,796.68 करोड़ था, जबकि संचित घाटा (-) ₹ 6,588.68 करोड़ था। इन छः रा सा क्षे उ का विवरण **तालिका-1.17** में दिया गया है।

¹⁵ दो रा सा क्षे उ ने अपने प्रथम लेखाओं को जमा नहीं किया।

तालिका-1.17: अधिकतम निवल संपत्ति क्षरण वाले रा सा क्षे उ का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	निवल संपत्ति क्षरण
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3,758.16
2	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	-435.65
3	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	-276.41
4	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	-3.06
5	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	-25.60
6	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	-293.12
	कुल योग	-4,792.00

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

1.4.4 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (नि पू प्र) एक अनुपात है जो किसी इकाई की लाभप्रदता और उसकी पूंजी के उपयोग की दक्षता को मापता है। नि पू प्र की गणना ई बी आई टी को नियोजित पूंजी¹⁶ से विभाजित करके की जाती है। 21 रा सा क्षे उ में से सात रा सा क्षे उ की ऋणात्मक नियोजित पूंजी थी। लेखापरीक्षा ने शेष 14 रा सा क्षे उ के नि पू प्र की गणना उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर की, और पाया कि नौ रा सा क्षे उ का नि पू प्र सकारात्मक था, तीन रा सा क्षे उ का नि पू प्र ऋणात्मक था, और दो रा सा क्षे उ में 'निरंक' नि पू प्र था, जैसा कि तालिका-1.18 में वर्णित है।

तालिका-1.18: रा सा क्षे उ के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	ऋणात्मक नि पू प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	निरंक नि पू प्र वाले रा सा क्षे उ की संख्या	सकारात्मक नि पू प्र ई वाले रा सा क्षे उ की संख्या	
			10 प्रतिशत तक	10 प्रतिशत से अधिक
सरकारी कम्पनियाँ	3	2	4	3
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	-	-	-	-
सांविधिक निगम	-	-	1	1
योग	3	2	5	4

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, सभी 21 रा सा क्षे उ की क्षेत्र-वार नि पू प्र तालिका-1.19 में दी गई है।

¹⁶ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा-आस्थगित राजस्व व्यय। ये आँकड़े रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार हैं।

तालिका-1.19: नियोजित पूंजी पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	ई बी आई टी	नियोजित पूंजी	नि पू प्र (प्रतिशत में)
1.	ऊर्जा क्षेत्र	4	-666.83	4,475.66	-14.90
2.	ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	17	108.85	370.83	29.35
योग		21	-557.98	4,846.49	-11.51

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका-1.19 में यह देखा जा सकता कि ऊर्जा क्षेत्र की नि पू प्र (-)14.90 प्रतिशत था जबकि ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य की नि पू प्र 29.35 प्रतिशत था।

1.4.5 रा सा क्षे उ में लाभांश भुगतान

उत्तराखण्ड सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है जिसके अंतर्गत रा सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम लाभांश का भुगतान करना अपेक्षित हो। 10 रा सा क्षे उ¹⁷ में से, जिन्होंने अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया, ऊर्जा क्षेत्र के केवल दो रा सा क्षे उ अर्थात् यू जे वी एन लिमिटेड और पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 20.01 करोड़ और ₹ 5.00 करोड़ के लाभांश का भुगतान/घोषणा किया।

1.5 रा सा क्षे उ की परिचालन दक्षता

रा सा क्षे उ की परिचालन दक्षता का आकलन उनके द्वारा अर्जित लाभ और हुई हानि का विश्लेषण करके किया गया था। इसके अतिरिक्त, उनके टर्नओवर के सापेक्ष निवल लाभ मार्जिन का भी आकलन किया गया था। विश्लेषण के परिणामों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

1.5.1 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित लाभ

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 10 रा सा क्षे उ ने कुल ₹ 231.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया। ₹ 20 करोड़ या उससे अधिक का लाभ अर्जित करने वाले चार रा सा क्षे उ का विवरण तालिका-1.20 में दिया गया है।

¹⁷ एक रा सा क्षे उ अर्थात् किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड को अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरण के अनुसार ₹ 294.40 करोड़ का घाटा हुआ था।

तालिका-1.20: ₹ 20 करोड़ या उससे अधिक का लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ का विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	कर के पश्चात शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	रा सा क्षे उ के कुल लाभ में लाभ की प्रतिशतता
1.	पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	21.87	9.45
2.	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	115.64	49.99
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	20.26	8.76
4.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	48.65	21.03
योग			206.42	89.23

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.20 से यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त चार रा सा क्षे उ ने 10 रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 231.34 करोड़) का लगभग 89 प्रतिशत योगदान दिया, जिसमें अकेले यू जे वी एन लिमिटेड का लाभ, कुल लाभ का लगभग 50 प्रतिशत था।

1.5.2 रा सा क्षे उ को हुई हानि

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, नौ रा सा क्षे उ को कुल ₹ 1,279.69 करोड़ की हानि हुई। ₹ 1,259.53 करोड़ की हानि उठाने वाले शीर्ष तीन रा सा क्षे उ का विवरण तालिका-1.21 में दिया गया है।

तालिका-1.21: ₹ 1,259.53 करोड़ की हानि उठाने वाले शीर्ष तीन रा सा क्षे उ का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों का वर्ष	हानि की राशि	रा सा क्षे उ के कुल हानि में हानि की प्रतिशतता
1.	उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1,223.64	95.62
2.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	16.59	1.30
3.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	19.30	1.51
योग			1,259.53	98.43

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

तालिका-1.21 से यह देखा जा सकता है कि उपर्युक्त तीन रा सा क्षे उ की हानि नौ रा सा क्षे उ को हुई कुल हानि (₹ 1,279.69 करोड़) का लगभग 98 प्रतिशत है, जिसमें अकेले उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का योगदान कुल हानि का लगभग 96 प्रतिशत है।

1.5.3 टर्नओवर के सापेक्ष निवल लाभ मार्जिन

टर्नओवर के सापेक्ष निवल लाभ मार्जिन एक अवधि के दौरान टर्नओवर की प्रतिशतता के रूप में सृजित लाभ को मापता है। यह एक इकाई के वित्तीय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। यह हितधारकों को इकाई की परिचालन दक्षता का आकलन करने और यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या इकाई अपने टर्नओवर से पर्याप्त आय उत्पन्न कर रही है। इसकी गणना इकाई के टर्नओवर के सापेक्ष शुद्ध लाभ की प्रतिशतता के रूप में की जाती है।

अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 21 रा सा क्षे उ में से नौ रा सा क्षे उ को हानि हुई, दो रा सा क्षे उ ने न लाभ न हानि की सूचना दी और तीन रा सा क्षे उ¹⁸ ने 'निरंक' टर्नओवर की सूचना दी। शेष 10 रा सा क्षे उ के टर्नओवर की तुलना में निवल लाभ मार्जिन का ब्यौरा तालिका-1.22 में दिया गया है।

तालिका-1.22: रा सा क्षे उ के टर्नओवर के सापेक्ष शुद्ध लाभ मार्जिन का विवरण

रा सा क्षे उ का प्रकार	10 प्रतिशत से कम शुद्ध लाभ मार्जिन वाले रा सा क्षे उ की संख्या	10 से 20 प्रतिशत के बीच शुद्ध लाभ मार्जिन वाले रा सा क्षे उ की संख्या	20 प्रतिशत ¹⁹ से अधिक शुद्ध लाभ मार्जिन वाले रा सा क्षे उ की संख्या
सरकारी कम्पनियाँ	5	1	2
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	-	-	-
सांविधिक निगम	1	-	1
योग	6	1	3

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त 10 रा सा क्षे उ के टर्नओवर के सापेक्ष क्षेत्र-वार निवल लाभ मार्जिन तालिका-1.23 में दिया गया है।

तालिका-1.23: टर्नओवर के सापेक्ष क्षेत्र-वार निवल लाभ मार्जिन

क्षेत्र	रा सा क्षे उ की संख्या	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	निवल लाभ मार्जिन (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र	2	137.51	1,382.19	9.95
ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य	8	93.83	1,564.66	6.00
योग	10	231.34	2,946.85	7.85

स्रोत: रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित।

¹⁸ हानि/न लाभ न हानि वाले रा सा क्षे उ में सम्मिलित।

¹⁹ यह 22.63 प्रतिशत से 261.76 प्रतिशत के बीच है।

अध्याय-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की
निगरानी भूमिका

अध्याय-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

यह अध्याय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा सा क्षे उ) द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की निगरानी भूमिका, इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव और लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के दृष्टांत से संबंधित है।

2.1 रा सा क्षे उ के लेखाओं की लेखापरीक्षा

2.1.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, सी ए जी किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सी ए जी द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 60 दिनों के भीतर की जाएगी। यदि सी ए जी 60 दिनों की उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो कंपनी का निदेशक मंडल अगले 30 दिनों के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा; और अगले 30 दिनों के भीतर ऐसे लेखापरीक्षक को नियुक्त करने में बोर्ड की विफलता के मामले में, यह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा जो अगले 60 दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक में ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेंगे। इस प्रकार नियुक्त प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक पहली साधारण बैठक के समापन तक पद धारण करेगा। उत्तराखण्ड में सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चार सांविधिक निगमों में से सी ए जी तीन सांविधिक निगमों¹ का एकमात्र लेखापरीक्षक है और एक सांविधिक निगम नामतः उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के संबंध में, सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सी ए जी की सलाह पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की जाती है।

¹ उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

2.1.2 सांविधिक लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाती है।

जैसा कि प्रस्तर-2.1.1 में चर्चा की गई है, सी ए जी तीन सांविधिक निगमों का एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक सांविधिक निगम के मामले में, सांविधिक लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है और अनुपूरक लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जाती है।

2.1.3 लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी² प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक आम बैठक (वा आ बै) के रूप में एक आम बैठक आयोजित करेगी, तथा एक वा आ बै की तिथि और अगली वा आ बै की तिथि के मध्य 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रथम वा आ बै के प्रकरण में, यह कंपनी की प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित धारा 129 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी की प्रत्येक वा आ बै में कंपनी का निदेशक मंडल ऐसी बैठक के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। यह रूपरेखा नियमित कॉर्पोरेट और वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती है, जिससे कंपनी के शेयरधारकों द्वारा जाँच और निगरानी संभव होती है। तदनुसार, कंपनियों को 30 सितम्बर 2023 तक वा आ बै आयोजित करनी थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 और 395 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लिए अतिरिक्त जवाबदेही के मापदंड निर्धारित किए गए हैं जिनमें यह प्रावधान है कि किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और कार्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वा आ बै के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना चाहिए और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र, वार्षिक प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों और/या राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों

² एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त।

सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सी ए जी द्वारा की गई टिप्पणियों या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले संबंधित अधिनियमों में भी लगभग ऐसे ही प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब शेयरधारकों के जाँच और निगरानी के अधिकार को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के मामले में ऐसे विलंब के परिणामस्वरूप वार्षिक प्रतिवेदनों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में विलंब होता है जिससे विधायी नियंत्रण और निगरानी प्रभावित होती है।

उपरोक्त शर्तों के होते हुए भी, विभिन्न रा सा क्षे उ के वार्षिक लेखें 30 सितम्बर 2023 तक लंबित थे। उत्तराखण्ड में सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 32 रा सा क्षे उ में से केवल पाँच रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरणों 30 सितम्बर 2023 तक सी ए जी को प्रस्तुत किए थे। 27 रा सा क्षे उ के 135 लेखें विभिन्न कारणों से बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.1** में वर्णित है। रा सा क्षे उ द्वारा प्रस्तुत लेखाओं में बकाया का विवरण **तालिका-2.1** में दिया गया है।

तालिका-2.1: 30 सितम्बर 2023 तक बकाया लेखाओं की स्थिति

विवरण	रा सा क्षे उ का प्रकार			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	योग
31 मार्च, 2023 तक सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रा सा क्षे उ की संख्या	27	01	04	32
कार्यरत रा सा क्षे उ				
रा सा क्षे उ की संख्या	18	01	04	23
सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की संख्या	05	-	-	05

विवरण	रा सा क्षे उ का प्रकार			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	योग
बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ की संख्या	13	01	04	18
बकाया लेखाओं की संख्या	69	01	10	80
बकाया लेखाओं का विस्तार	1 से 17 वर्ष	1 वर्ष	1 से 04 वर्ष	1 से 17 वर्ष
निष्क्रिय रा सा क्षे उ जो परिसमापन के अधीन नहीं हैं				
रा सा क्षे उ की संख्या	01	-	-	01
रा सा क्षे उ जिन्होंने सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर 2023 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए	-	-	-	-
बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ	01	-	-	01
बकाया लेखाओं की संख्या	36	-	-	36
बकाया लेखाओं का विस्तार	36	-	-	36
परिसमापन के अधीन निष्क्रिय रा सा क्षे उ				
रा सा क्षे उ की संख्या	08	-	-	08
रा सा क्षे उ जिन्होंने परिसमापन की तिथि तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए	-	-	-	-
बकाया ³ लेखाओं वाले रा सा क्षे उ	03 ⁴	-	-	03
बकाया लेखाओं की संख्या	19	-	-	19
बकाया लेखाओं का विस्तार	3 से 10 वर्ष	-	-	3 से 10 वर्ष

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा 30 सितम्बर 2023 तक प्रस्तुत नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरण।

तालिका-2.1 से, यह अवलोकन किया जा सकता है कि 18 कार्यरत रा सा क्षे उ के 80 वार्षिक लेखे और एक निष्क्रिय रा सा क्षे उ (परिसमापन के अंतर्गत रा सा क्षे उ को छोड़कर) के 36 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2023 तक एक से 36 वर्ष के मध्य की अवधि के लिए बकाया थे। इसके अतिरिक्त, परिसमापन के अंतर्गत तीन रा सा क्षे उ के 19 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2023 तक तीन से 10 वर्षों के मध्य की अवधि के लिए बकाया थे।

³ परिसमापन के अधीन रा सा क्षे उ के मामले में, बकाया लेखाओं की गणना रा सा क्षे उ के परिसमापन की तिथि तक की गई है।

⁴ परिसमापन के अंतर्गत पाँच रा सा क्षे उ ने सूचना प्रदान नहीं की।

2.2 रा सा क्षे उ के लेखाओं की लेखापरीक्षा में सी ए जी की निगरानी भूमिका

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी रा सा क्षे उ के प्रबंधन की है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी करके, सी ए जी सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा में एक निरीक्षण भूमिका निभाता है। इस भूमिका का निर्वहन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करने और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पूरक या उस पर टिप्पणी करने के अधिकार का प्रयोग करके किया जाता है।

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के मामले में, सी ए जी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों और सी ए जी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी ए जी को प्रस्तुत करना होता है।

चयनित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा सी ए जी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, वा आ बै के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

सांविधिक निगमों के मामले में, लेखाओं पर सी ए जी की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प्र) के माध्यम से प्रतिवेदित की जाती हैं। कार्यरत 23 रा सा क्षे उ में से 17 रा सा क्षे उ ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 28 वित्तीय विवरण सी ए जी को अग्रेषित किए। इनमें वर्ष 2005-06 से 2022-23 तक के वित्तीय विवरण शामिल थे। प्राप्त वित्तीय विवरणों, समीक्षित और जारी की गई टिप्पणियों/ पृ ले प्र का विवरण तालिका-2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: प्राप्त वित्तीय विवरणों, समीक्षित और जारी की गई टिप्पणियों/ पृ ले प्र का विवरण

वित्तीय विवरणों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23			पूर्व वर्षों में		
	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनी	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त	05	-	05	17	06	23
समीक्षित	04	-	04	12	06	18
लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन ⁵	01	-	01	02	-	02
शून्य टिप्पणी जारी	01	-	01	-	-	-
जारी की गई टिप्पणियाँ	03	-	03	12	06	18
गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र	-	-	-	03	-	03

स्रोत: रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों से संकलित।

तालिका-2.2 से यह अवलोकन किया जा सकता है कि अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान प्राप्त 28 वित्तीय विवरणों में से सी ए जी ने 14 रा सा क्षे उ के 22 लेखाओं की पूरक/एकमात्र लेखापरीक्षा⁶ की। तीनों लेखाओं में सी ए जी ने 'गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र' जारी किया और शेष तीन लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रक्रिया 30 सितम्बर 2023 के पश्चात पूर्ण की गई।

2.3 सी ए जी की निगरानी भूमिका के परिणाम

अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 के दौरान परिशिष्ट-2.2 में दिए गए विवरण के अनुसार 16 रा सा क्षे उ (12 सरकारी कंपनियाँ और चार सांविधिक निगम) के 27 वित्तीय विवरणों पर सी ए जी द्वारा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ/ पृ ले प्र जारी किए गए। सी ए जी की निगरानी भूमिका के परिणामों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

2.3.1 रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर जारी सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सी ए जी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 13 रा सा क्षे उ (12 सरकारी कंपनियाँ और एक सांविधिक निगम) के 19 वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की और उन पर टिप्पणियाँ/ पृ ले प्र जारी किए। इसके अतिरिक्त, तीन रा सा क्षे उ⁷,

⁵ 30 सितंबर 2023 के पश्चात समीक्षित/टिप्पणियाँ/एन आर सी जारी की गयी।

⁶ वार्षिक, त्रैवार्षिक और पाँच वर्षों में एक बार अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए रा सा क्षे उ के लेखाओं का चयन प्रदत्त पूंजी, नियोजित पूंजी और टर्नओवर के मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

⁷ उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

जहाँ सी ए जी एकमात्र लेखापरीक्षक है, के आठ वित्तीय विवरणों पर पृ ले प्र इसी अवधि के दौरान जारी किए गए। तदनुसार, 16 रा सा क्षे उ⁸ के 27 वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियाँ/ पृ ले प्र जारी किए गए, जिनका विवरण **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है। लाभप्रदता (लाभ/हानि का अतिकथन/अल्पकथन) और वित्तीय स्थिति (परिसंपत्तियों और देनदारियों का अतिकथन/अल्पकथन) पर प्रभाव दर्शाने वाली कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे संक्षेप में दी गई हैं और **परिशिष्ट-2.3** में विस्तृत रूप से दी गई हैं।

(क) सरकारी कंपनियाँ

सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों का प्रभाव ₹ 166.93 करोड़ (लाभप्रदता पर) और ₹ 64.96 करोड़ (वित्तीय स्थिति पर) था, जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

(i) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2016-17 से 2022-23 के लिए चार रा सा क्षे उ के चार वित्तीय विवरणों के मामले में, हानि को ₹ 63.50 करोड़ से कम बताया गया था।
- वर्ष 2021-22 से 2022-23 के लिए एक रा सा क्षे उ (यू जे वी एन लिमिटेड) के दो वित्तीय विवरणों के मामले में, लाभ को ₹ 101.14 करोड़ से अधिक बताया गया था।
- वर्ष 2022-23 के लिए एक रा सा क्षे उ (पाँवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड) के एक वित्तीय विवरण के मामले में, लाभ को ₹ 2.29 करोड़ से कम बताया गया था।

(ii) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2021-22 से 2022-23 के लिए तीन रा सा क्षे उ के तीन वित्तीय विवरणों के मामले में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹ 61.13 करोड़ से कम बताया गया था।

⁸ एक रा सा क्षे उ अर्थात् उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी बुनियादी ढाँचा और भवन निर्माण निगम लिमिटेड के एक वित्तीय विवरण के मामले में, कोई टिप्पणी जारी नहीं की गई थी।

- वर्ष 2021-22 के लिए एक रा सा क्षे उ (देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड) के एक वित्तीय विवरण के मामले में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹ 3.83 करोड़ से अधिक बताया गया था।

(ख) सांविधिक निगम

सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों का प्रभाव ₹ 163.97 करोड़ (लाभप्रदता पर) और ₹ 185.57 करोड़ (वित्तीय स्थिति पर) था, जैसा नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

(i) लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2019-20 के लिए एक सांविधिक निगम (उत्तराखण्ड परिवहन निगम) के एक वित्तीय विवरण के मामले में, हानि को ₹ 83.72 करोड़ से अधिक बताया गया था।
- वर्ष 2019-20 और 2021-22 के लिए दो सांविधिक निगमों के दो वित्तीय विवरणों के मामले में, हानि को ₹ 58.47 करोड़ से कम बताया गया था।
- वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए दो सांविधिक निगमों के दो वित्तीय विवरणों के मामले में, लाभ को ₹ 21.78 करोड़ से अधिक बताया गया था।

(ii) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

- वर्ष 2021-22 के लिए एक रा सा क्षे उ के एक वित्तीय विवरण के मामले में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹ 56.02 करोड़ से कम बताया गया था।
- वर्ष 2021-22 के लिए एक रा सा क्षे उ (उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम) के एक वित्तीय विवरण के मामले में, परिसंपत्तियों और देनदारियों को ₹ 129.55 करोड़ से अधिक बताया गया था।

2.3.2 लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1) में प्रावधान है कि वित्तीय विवरण, कंपनी के मामलों की स्थिति का एक सही और निष्पक्ष विवरण देंगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करेंगे और अनुसूची-III में प्रदत्त प्रारूप में होंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 के द्वारा भारतीय लेखा मानकों (भा ले मा) को भारतीय आर्थिक और कानूनी

परिवेश को ध्यान में रखते हुए और आई एफ आर एस मानकों का संदर्भ देते हुए अधिसूचित किया। भा ले मा, आई एफ आर एस पर आधारित थे, जो भारतीय समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों से मुख्य रूप से तीन प्रमुख पहलुओं अर्थात् उचित मूल्यांकन, कानूनी प्रारूप से अधिक सार, और बैलेंस शीट पर बल, में भिन्न थे। इन भा ले मा को 01 अप्रैल 2016 से कंपनियों के निर्धारित वर्ग द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाया जाना है। भा ले मा के अंतर्गत न आने वाली कम्पनियाँ लेखा मानक (ले मा) लागू करना जारी रखेंगी। उत्तराखण्ड में 31 मार्च 2023 तक, सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 28 रा सा क्षे उ थे, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों द्वारा शासित थे। इन 28 रा सा क्षे उ में से केवल दो रा सा क्षे उ अर्थात् यू जे वी एन लिमिटेड और पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने ही भा ले मा को अपनाया था। दो रा सा क्षे उ के नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित किए गए भा ले मा/ ले मा के गैर-अनुपालन के मामलों को नीचे संक्षेपित किया गया है और विस्तार से **परिशिष्ट-2.4** में वर्णित किया गया है।

- दो रा सा क्षे उ (गढ़वाल मंडल विकास निगम और देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड) के दो वित्तीय विवरणों में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 ले मा का गैर-अनुपालन प्रतिवेदित किया है।

इसके अतिरिक्त, 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान दो रा सा क्षे उ के दो अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों पर सी ए जी द्वारा इंगित भा ले मा/ ले मा के गैर-अनुपालन के मामलों को नीचे संक्षेपित किया गया है और विस्तार से **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित किया गया है।

- एक रा सा क्षे उ (यू जे वी एन लिमिटेड) के एक वित्तीय विवरण में, भा ले मा के गैर-अनुपालन का एक मामला था।
- एक रा सा क्षे उ (किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के एक वित्तीय विवरण में, ले मा के गैर-अनुपालन के दो मामले थे।

2.4 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य, लेखापरीक्षक और निगमित इकाई के संचालन के उत्तरदायी लोगों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संवाद स्थापित करना है।

रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण निष्कर्षों को कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 143(6) के अंतर्गत सी ए जी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किए गए थे। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय प्रतिवेदन अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में सी ए जी द्वारा पाई गई अनियमितताओं अथवा कमियों के बारे में भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रबंधन पत्र के माध्यम से रा सा क्षे उ के प्रबंधन को सूचित किया गया था। ये कमियाँ सामान्यतः लेखांकन नीतियों और पद्धतियों के अनुप्रयोग एवं व्याख्या, लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले समायोजनों, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है तथा कतिपय सूचना के अपर्याप्त अथवा गैर-प्रकटीकरण से संबंधित होती हैं जिन पर संबंधित रा सा क्षे उ के प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सी ए जी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 12 रा सा क्षे उ को 47 'प्रबंधन पत्र' जारी किए थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.6** में विस्तृत है। इन प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति निम्नानुसार थी:

- लेखांकन नीतियों का अपर्याप्त/गैर-प्रकटीकरण।
- शेष राशियों का गैर-मिलान।
- परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय आदि का गलत वर्गीकरण।
- 'लेखाओं के नोट्स' में अपर्याप्त/गैर-प्रकटीकरण।

2.5 सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सी ए जी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। इन प्रतिवेदनों को सांविधिक निगमों को शासित करने वाले संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना होता है। 30 सितम्बर 2023 तक राज्य विधानमंडल में पृ ले प्र के प्रस्तुतीकरण की स्थिति का विवरण **तालिका-2.3** में दिया गया है।

तालिका-2.3: पृ ले प्र के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	लेखाओं का वर्ष जिसके लिए पृ ले प्र सांविधिक निगम को जारी किया गया	लेखाओं का नवीनतम वर्ष जिसके लिए पृ ले प्र को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया	लेखाओं का वर्ष जिसके लिए पृ ले प्र राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	कोई सूचना नहीं दी गई	कोई सूचना नहीं दी गई
2.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	2019-20 एवं 2020-21	2021-22
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	2020-21	2021-22 से 2022-23
4.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	--	2015-16 से 2018-19

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना।

तालिका-2.3 से यह अवलोकन किया जा सकता है कि चार सांविधिक निगमों में से दो सांविधिक निगमों ने सी ए जी द्वारा जारी तीन पृ ले प्र को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया था। शेष दो में से एक ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी और दूसरे ने राज्य विधान मंडल में पृ ले प्र को प्रस्तुत नहीं किया था।

अध्याय-3
कॉर्पोरेट गवर्नेंस

अध्याय-3

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के पालन से संबंधित है, जिसमें निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित करने, निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की नियुक्ति और निदेशक मण्डल और उसके अंतर्गत गठित समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

3.1 परिचय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक आंतरिक प्रणाली है जिसमें व्यापक नीतियों, प्रक्रियाओं और लोगों को शामिल किया गया है, जो प्रबंधन गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जरूरतों को पूरा करती है। किसी संगठन का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढाँचा चार स्तंभों नामतः पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए निष्पक्षता पर निर्भर करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों का पालन, व्यवसाय में जवाबदेही और पारदर्शिता लाता है, और हितधारकों का विश्वास बढ़ाता है।

3.1.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 2013¹ उन्नत एवं नए अनुपालन मानदंडों के माध्यम से प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता को बढ़ाकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक औपचारिक संरचना प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबंधन एवं प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता, बोर्ड की बैठकों तथा इसकी शक्तियों और लेखाओं के संबंध में कम्पनी नियम, 2014 भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किए। कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं कम्पनी नियम, 2014 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सुदृढ़ ढाँचा प्रदान करते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आवश्यकताएँ प्रावधानित की गई हैं:

- प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी के बोर्ड में निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों (स्व नि) के रूप में अनिवार्य नियुक्ति और सार्वजनिक कम्पनियों के किसी वर्ग या वर्गों के मामले में ऐसी अन्य न्यूनतम संख्या जो केंद्र सरकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के अंतर्गत निर्धारित कर सकती है।

¹ कम्पनी अधिनियम, 2013 को 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर अधिनियमित किया गया।

- स्व नि के व्यावसायिक आचरण के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ योग्यता (धारा 149(6) एवं (8) और अनुसूची IV कम्पनियों के नियम 5 सपठित (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता), नियम, 2014)।
- सूचीबद्ध कम्पनियों [धारा 149(1)] और कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार कम्पनियों के ऐसे अन्य वर्ग के बोर्ड में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना जैसे लेखापरीक्षा समिति [धारा 177(1)], नामांकन और पारिश्रमिक समिति [धारा 178(1)]।
- प्रत्येक वर्ष निदेशक मण्डल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करना कि बोर्ड की दो क्रमागत बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो [धारा 173(1)]।

3.1.2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी के दिशानिर्देश

सेबी ने, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 अधिसूचित किया (02 सितम्बर 2015), जो पूर्व के प्रावधानों को निरस्त करते हुए 01 दिसम्बर 2015 से प्रभावी हुआ।

उत्तराखण्ड में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी (स नि अ क) किसी प्रतिभूति विनिमय बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी सेबी के दिशानिर्देश² उस पर लागू नहीं होते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2022-23 के दौरान 19 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा सा क्षे उ) (18 सरकारी कम्पनियाँ और एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 और कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन³ की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

² कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बाद, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के साथ इसे संरेखित करने के लिए लिस्टिंग समझौते के खंड 49 (अप्रैल और सितंबर 2014) में संशोधन किया।

³ चार कार्यरत रा सा क्षे उ सांविधिक निगम हैं, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और संबंधित नियम उन पर लागू नहीं होते।

3.3 निदेशक मण्डल की संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (10) के अनुसार एक कम्पनी के संबंध में 'निदेशक मंडल' या 'बोर्ड', का अर्थ कम्पनी के निदेशकों का सामूहिक निकाय है। निदेशक मण्डल की संरचना में कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

3.3.1 बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति, जो प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हों, को व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अनुसार, एक कम्पनी के संबंध में एक स्व नि का अर्थ प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या नामित निदेशक के अतिरिक्त एक निदेशक है और यह एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति है एवं प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव रखता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशक न तो स्वयं प्रवर्तक होंगे और न ही कम्पनी अथवा इसकी होल्डिंग, अनुषंगी अथवा सहयोगी कम्पनी के प्रवर्तकों/निदेशकों से संबंधित होंगे। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके संबंधियों का कम्पनी अथवा उसकी सहायक कम्पनी अथवा उसकी होल्डिंग अथवा सहयोगी कम्पनी के साथ मौद्रिक सीमाओं से अधिक तथा निर्धारित अवधि के दौरान कोई आर्थिक संबंध/संव्यवहार (स्वतंत्र निदेशक के पारिश्रमिक के अतिरिक्त) नहीं होगा। स्वतंत्र निदेशक स्वयं या उसके संबंधी, निर्धारित समय-सीमा के दौरान कम्पनी या उसकी होल्डिंग, अनुषंगी या सहयोगी कम्पनी के साथ मुख्य प्रबंधकीय पद या कोई अन्य विहित संबंध अर्थात् कर्मचारी, लेखापरीक्षक, कम्पनी के सचिव आदि धारण नहीं करेंगे।

जैसा कि प्रस्तर-3.1.1 में चर्चा की गई है, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए कुल निदेशकों की संख्या का कम से कम एक तिहाई निदेशकों को स्व नि के रूप में रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 में प्रावधान है कि सार्वजनिक कम्पनियाँ जिनकी (i) ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता शेयर पूँजी; या (ii) ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या (iii) कुल बकाया ऋण, ऋणपत्र और जमा राशियाँ ₹ 50 करोड़ से अधिक हैं, उनमें कम से कम दो निदेशकों का स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी लगातार तीन वर्षों तक उपरोक्त तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा नहीं करती है तो उसे तब तक स्व नि नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह ऐसी

किसी शर्त को पूरा नहीं कर लेती। इसके अतिरिक्त, गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनियों के तीन वर्गों अर्थात् संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी अथवा निष्क्रिय कम्पनी को भी स्व नि की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यरत 19 रा सा क्षे उ में से, **परिशिष्ट-3.1** में दिए गए विवरण के अनुसार 12 रा सा क्षे उ, ने नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तिथि को या तो चुकता शेयर पूँजी या टर्नओवर या बकाया ऋण, ऋणपत्रों और जमा राशियों के उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा किया है। इन 12 रा सा क्षे उ में से, आठ रा सा क्षे उ के पास वर्ष 2022-23 के दौरान अपने निदेशक मण्डल में कम से कम दो स्व नि⁴ की आवश्यक संख्या नहीं थी, इसकी स्थिति नीचे **तालिका-3.1** में दी गई है।

तालिका-3.1: अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक न रखने वाले रा सा क्षे उ की स्थिति

क्र. सं.	कम्पनियों के नाम	2022-23 के दौरान बोर्ड में स्व नि की संख्या
1	पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	01 (07 अक्टूबर 2022 तक)
2	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निरंक
3	उत्तराखण्ड बहु-उद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	निरंक
4	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निरंक
5	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	निरंक
6	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	निरंक
7	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	निरंक
8	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	निरंक

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, आठ रा सा क्षे उ ने अपने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्व नि रखने से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। इनमें से सात रा सा क्षे उ के बोर्ड में एक भी स्व नि नहीं था। इसके अतिरिक्त, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के संबंध में, वर्ष 2022-23 (07 अक्टूबर 2022 तक) के दौरान केवल एक स्व नि था, इसके बाद, वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में कोई स्व नि नहीं था।

⁴ चूंकि कोई भी रा सा क्षे उ किसी प्रतिभूति विनिमय बाजार में सूचीबद्ध नहीं था, इसलिए किसी भी रा सा क्षे उ को स्व नि के रूप में अपने कुल निदेशकों की एक तिहाई नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं थी।

3.3.2 बोर्ड में महिला निदेशक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) सपठित कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 में प्रावधान है कि निम्नलिखित श्रेणी की कम्पनियों के निदेशक मण्डल में कम से कम एक महिला निदेशक होगी:

- i. प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;
- ii. प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कम्पनी जिसके पास-
 - (क) ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की चुकता अंश पूँजी; या
 - (ख) ₹ 300 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर।

इसके अतिरिक्त, महिला निदेशक की किसी भी आंतरायिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र भरा जाना था किंतु अगली बोर्ड बैठक के तत्काल बाद अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन माह के भीतर, इनमें से जो भी बाद में हो।

हालाँकि उत्तराखण्ड का कोई भी रा सा क्षे उ भारत के किसी भी प्रतिभूति विनिमय बाज़ार में सूचीबद्ध नहीं था, फिर भी चार कार्यरत⁵ सरकारी कम्पनियाँ अपने बोर्ड में एक महिला निदेशक रखने की शर्तें पूरा कर रही थीं। हालाँकि, इनमें से एक कम्पनी, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, के बोर्ड में एक भी महिला निदेशक नहीं थी।

3.4 निदेशक मण्डल की बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी अपने निगमन की तारीख से तीस दिनों के भीतर निदेशक मण्डल की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक मण्डल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो।

परिशिष्ट-3.1 में उल्लिखित 19 कार्यरत रा सा क्षे उ (एकमात्र स नि अ क यानी उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम सहित) में से आठ रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की आवश्यक संख्या में बैठकें आयोजित नहीं कीं, जैसा कि **तालिका-3.2** में दिया गया है।

⁵ उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यू जे वी एन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

तालिका-3.2: बोर्ड की बैठकों की संख्या में कमी वाली कम्पनियाँ

क्र. सं.	ऐसी कम्पनियाँ जिन्होंने निदेशक मण्डल की अपेक्षित संख्या चार बैठकों से कम आयोजित की	2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या
1	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	02
2	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	02
3	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	02
4	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	02
5	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	01
6	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01
7	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	01
8	उत्तराखण्ड इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	निरंक

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, आठ रा सा क्षे उ ने निदेशक मण्डल की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है और इनमें से एक रा सा क्षे उ अर्थात् उत्तराखण्ड इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान एक भी बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की थी।

इसके अतिरिक्त, 11 रा सा क्षे उ में से, जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की अपेक्षित संख्या में बैठकें आयोजित की थीं, चार रा सा क्षे उ के मामले में, निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच की अवधि 120 दिनों की निर्धारित समय सीमा से अधिक थी, जैसा कि तालिका-3.3 में वर्णित है।

तालिका-3.3: निदेशक मण्डल की लगातार दो बैठकों के आयोजन में मध्यवर्ती अवधि

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	बैठक की तिथि	अगली बैठक की तिथि	बीच की अवधि (दिनों में)
1.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	23.05.2022	27.09.2022	127
2.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड	01.09.2022	25.01.2023	146
3.	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	01.08.2022	04.01.2023	156
4.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	28.09.2022	28.03.2023	181

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

3.5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कामकाज

3.5.1 स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करने की घोषणा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार प्रत्येक स्व नि को बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है, तथा उसके बाद प्रत्येक

वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, यह घोषणा करनी होगी कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

इस संबंध में, पाँच रा सा क्षे उ में से, जिन्हें स्व नि से अपनी स्वतंत्रता के संबंध में घोषणा प्राप्त करना आवश्यक था, तीन रा सा क्षे उ ने, नीचे तालिका-3.4 के अनुसार, इसे प्राप्त नहीं किया।

तालिका-3.4: रा सा क्षे उ जिन्होंने स्व नि से घोषणा प्राप्त नहीं की

क्र. सं.	कम्पनियों के नाम
1.	यू जे वी एन लिमिटेड
2.	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल)
3.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, तीन रा सा क्षे उ के स्व नि ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक घोषणाएं नहीं की हैं। सात रा सा क्षे उ के बोर्ड में कोई स्व नि नहीं था। इस प्रकार, इन रा सा क्षे उ द्वारा स्व नि की स्थिति की घोषणा की अपेक्षा को पूरा नहीं किया गया था।

3.5.2 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक का आयोजन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV [प्रस्तर (VII) (1)] में प्रावधान है कि कम्पनी का स्व नि एक वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें गैर-स्व नि और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के सभी स्व नि ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। बैठक में - (क) गैर-स्व नि और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा; (ख) कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के अध्यक्ष के कार्यनिष्पादन की समीक्षा; और (ग) कम्पनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन, जो बोर्ड के लिए प्रभावी ढंग और यथोचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है, किया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के दौरान जिन पाँच रा सा क्षे उ के निदेशक मण्डल में स्व नि थे, उनमें से चार रा सा क्षे उ के पास एक से अधिक स्व नि थे। इन चार रा सा क्षे उ के स्व नि को वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-स्व नि और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक था। वर्ष 2022-23 के दौरान चार रा सा क्षे उ के स्व नि द्वारा आयोजित अलग बैठकों की स्थिति तालिका-3.5 में दी गई है।

तालिका-3.5: स्वतंत्र निदेशकों द्वारा आयोजित अलग बैठक

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र के नाम	2022-23 के दौरान आयोजित अलग बैठकों की संख्या	निदेशक मण्डल में स्व नि की संख्या
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01	04
2.	यू जे वी एन लिमिटेड	01	04
3.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	निरंक	02
4.	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	निरंक	02

स्रोत: रा सा क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

इन चार रा सा क्षेत्र में से दो रा सा क्षेत्र के स्व नि ने वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त बैठक आयोजित नहीं की थी। स्व नि की अलग बैठक आयोजित करने का उद्देश्य गैर-स्व नि, कम्पनी के अध्यक्ष और बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। हालाँकि, इसकी समीक्षा नहीं हो पायी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन नहीं किया जा सका।

3.6 निदेशक मण्डल की समितियाँ

बोर्ड समिति, निदेशक मण्डल द्वारा चिन्हित एक छोटा कार्य समूह है, जिसमें बोर्ड के सदस्य शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य बोर्ड के कार्यों में सहयोग करना होता है। बोर्ड समितियाँ सामान्यतः कुछ विशेषज्ञतापूर्ण कार्य करने के लिए गठित की जाती हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कम्पनियों को विभिन्न बोर्ड समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, हितधारक संबंध समिति, आदि का गठन करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन और कामकाज का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

3.6.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति किसी भी कम्पनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस तंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। लेखापरीक्षा समिति का उद्देश्य कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रामाणिकता में विश्वास बढ़ाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) सपठित कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध

सार्वजनिक कम्पनी और कम्पनियों के निम्नलिखित वर्गों (संयुक्त उद्यम, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी और निष्क्रिय कम्पनी को छोड़कर) के निदेशक मण्डल एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेंगे:

- (i) ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ;
- (ii) ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ;
- (iii) ऐसी सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ, जिनमें कुल मिलाकर बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की जमाराशियाँ हों।

जैसा कि **परिशिष्ट-3.1** में दिया गया है, 19 रा सा क्षे उ में से 12 रा सा क्षे उ के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान एक लेखापरीक्षा समिति की आवश्यकता थी। वर्ष 2022-23 के दौरान इन 12 रा सा क्षे उ में से छः रा सा क्षे उ में एक लेखापरीक्षा समिति थी और शेष छः रा सा क्षे उ में लेखापरीक्षा समिति नहीं थी, जैसा कि **तालिका-3.6** में दिया गया है।

तालिका-3.6: वर्ष 2022-23 के दौरान रा सा क्षे उ जिसमें लेखापरीक्षा समिति नहीं थी

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम
1.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड
4.	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड
5.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड
6.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक रा सा क्षे उ अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

3.6.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) सपठित कम्पनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी और कम्पनियों के निम्नलिखित वर्गों के निदेशक मण्डल एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेंगे जिसमें तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे:

- (i) ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता पूँजी वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ;
- (ii) ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ;

(iii) ऐसी सभी सार्वजनिक कम्पनियाँ, जिनमें कुल मिलाकर बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशियाँ हों।

जैसा कि परिशिष्ट-3.1 में दिया गया है, 19 रा सा क्षे उ में से 12 रा सा क्षे उ को वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति (ना पा स) रखने की आवश्यकता थी। इन 12 रा सा क्षे उ में से केवल तीन रा सा क्षे उ⁶ में वर्ष 2022-23 के दौरान ना पा स थी। जैसा कि तालिका-3.6 में दिया गया है, शेष नौ रा सा क्षे उ में वर्ष 2022-23 के दौरान ना पा स नहीं थी।

तालिका-3.7: रा सा क्षे उ जहाँ वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं थी

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम
1.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड
3.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड
4.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड
5.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड
6.	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड
7.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड
8.	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
9.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

इसके अतिरिक्त, हालाँकि वर्ष 2022-23 के दौरान तीन रा सा क्षे उ में ना पा स थी, लेकिन उक्त अवधि के दौरान ना पा स की कोई बैठक नहीं हुई।

3.7 आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचा

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी (नवंबर 2018) आंतरिक लेखापरीक्षा को नियंत्रित करने वाला ढाँचा, आंतरिक लेखापरीक्षा को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

‘आंतरिक लेखापरीक्षा अभिशासन के स्तर को बढ़ाने और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करती है।’

तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि एक संगठन का जोखिम प्रबंधन, अभिशासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

⁶ उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड और यू जे वी एन लिमिटेड।

3.7.1 रा सा क्षे उ में आंतरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 (1) सपठित कम्पनी (लेखा) नियम⁷, 2014 के नियम 13 में प्रावधान है कि निम्नलिखित वर्ग की कम्पनियों को एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना होगा, जो या तो एक सनदी लेखाकार या एक लागत लेखाकार, या ऐसा कोई अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा कम्पनी के कार्यो और गतिविधियों का आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए तय किया जा सकता है:

(क) प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी;

(ख) प्रत्येक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी-

(i) ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की चुकता शेयर पूँजी; या

(ii) पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर;

(iii) बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बकाया ऋण या उधार;

(iv) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 25 करोड़ या उससे अधिक की बकाया जमाराशि।

(ग) प्रत्येक निजी कम्पनी जिसके पास-

(i) पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर; या

(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार।

19 रा सा क्षे उ में से केवल सात रा सा क्षे उ (परिशिष्ट-3.2) ने आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए उपर्युक्त मानदण्ड को पूरा किया। इनमें से पाँच रा सा क्षे उ⁸ ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की थी, तथापि दो रा सा क्षे उ नामतः गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की।

⁷ समय-समय पर यथा संशोधित।

⁸ उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, यू जे वी एन लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

3.8 निष्कर्ष

रा सा क्षे उ में कॉरपोरेट गवर्नेंस ढाँचे के कामकाज में कई कमियाँ थीं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- कार्यरत 12 रा सा क्षे उ में से, जहाँ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी अपेक्षित थी, सात रा सा क्षे उ ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की, जबकि एक रा सा क्षे उ में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, दो रा सा क्षे उ जिनके बोर्ड में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे, द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आयोजित नहीं की गई।
- चार कार्यरत रा सा क्षे उ में से, जहाँ महिला निदेशक की नियुक्ति अपेक्षित थी, एक रा सा क्षे उ में वर्ष 2022-23 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी।
- एक रा सा क्षे उ ने 2022-23 के दौरान कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की, जबकि तीन रा सा क्षे उ ने 2022-23 के दौरान केवल एक बोर्ड बैठक आयोजित की और चार रा सा क्षे उ ने वार्षिक न्यूनतम चार बैठकों के सापेक्ष केवल दो बोर्ड बैठकें ही आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, चार रा सा क्षे उ में निदेशक मण्डल की दो बैठकों के बीच की अवधि 120 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के सापेक्ष 127 दिनों से 181 दिनों के बीच थी।
- 12 रा सा क्षे उ, जिनके लिए एक लेखापरीक्षा समिति होना आवश्यक थी, में से छः रा सा क्षे उ ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया और एक रा सा क्षे उ के संबंध में, 2020-21 से 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
- 12 रा सा क्षे उ में से, जिनके लिए एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (ना पा स) की आवश्यकता थी, नौ रा सा क्षे उ ने ना पा स का गठन नहीं किया था।
- सात रा सा क्षे उ, जिन्हें आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक था, में से दो रा सा क्षे उ ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की।

3.9 अनुशंसा

उत्तराखण्ड सरकार रा सा क्षे उ को निर्देश दे सकती है कि वे रा सा क्षे उ में कॉरपोरेट गवर्नेंस ढाँचे के कामकाज में प्रभावशीलता लाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

अध्याय-4
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बंधित
अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-4

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

4.1 उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में बिलिंग दक्षता एवं राजस्व वसूली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

4.1.1 परिचय

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 12 फरवरी 2001 को निगमित उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड¹ (उ पा का लि) उत्तराखण्ड राज्य के 13 जिलों में फैले 29.13 लाख उपभोक्ताओं (31 मार्च 2024 तक) को विद्युत आपूर्ति करने वाला एकमात्र वितरण लाइसेंसी है। उ पा का लि विद्युत उत्पादक कम्पनियों से विद्युत खरीदता है और अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करता है। परिचालन सुविधा के लिए, उ पा का लि ने अपने उपभोक्ताओं को, विद्युत के उपयोग की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर, घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, सरकारी सार्वजनिक उपयोगिताओं और उद्योगों में वर्गीकृत किया है (*परिशिष्ट-4.1*) है। उ पा का लि समय-समय पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई ऊर्जा के सापेक्ष उनसे ऊर्जा प्रभार वसूलता है।

4.1.2 संगठनात्मक संरचना

उ पा का लि का प्रबंधन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार (उ स) की अध्यक्षता वाले निदेशक मंडल (नि मं) के अध्यक्ष के रूप में निहित है। उ पा का लि के दैनिक मामलों का प्रबंधन, प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक (परिचालन), निदेशक (परियोजना), और निदेशक (वित्त) की सहायता से किया जाता है।


प्रशासनिक सुविधा के लिए, उ पा का लि ने राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को चार क्षेत्रों (गढ़वाल, कुमाऊं, हरिद्वार और रुद्रपुर) में विभाजित किया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मुख्य अभियंता (मु अ) करता है, जिसे आगे 14 विद्युत वितरण मण्डलों² (वि वि म) में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण अभियंता (अ अ) करता है, और वि वि म को आगे 46 विद्युत वितरण खण्डों (वि वि ख) और 12 विद्युत परीक्षण खण्डों (वि प ख) में विभाजित किया गया है,

¹ सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

² एक वि वि म, वि वि म चकराता मार्च 2024 में बनाया गया था।

जिनमें प्रत्येक का नेतृत्व एक अधिशासी अभियंता द्वारा किया जाता है (31 मार्च 2024)। इस प्रकार, उ पा का लि की वितरण संबंधी गतिविधियां 72 इकाइयों के माध्यम से संचालित की जा रही थी, जो उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण करने और उनसे राजस्व वसूली सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थीं। संगठनात्मक संरचना को नीचे चार्ट-4.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.1: संगठनात्मक संरचना (वितरण)



उ पा का लि की मुख्य गतिविधियों में विद्युत उत्पादन कंपनियों जैसे यू जे वी एन लिमिटेड, एन टी पी सी, एन एच पी सी और अन्य³ से विद्युत का क्रय, वितरण नेटवर्क जिसमें विद्युत लाइनें, सब-स्टेशन और ट्रांसफार्मर सम्मिलित हैं, के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण; उपभोक्ताओं को उक्त की बिलिंग तथा उनसे राजस्व वसूली आदि सम्मिलित हैं। उ पा का लि की बिलिंग दक्षता और राजस्व वसूली से संबंधित गतिविधियों पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि वि अ ले प) संपादित की गई थी।

4.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

वि वि अ ले प के उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

³ इसमें गैस आधारित विद्युत संयंत्र और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक सम्मिलित हैं।

- बिलिंग संबंधी गतिविधियों को उ वि नि आ द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ आदेशों के साथ पठित उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम, 2020⁴ के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया गया था।
- राजस्व वसूली से संबंधित गतिविधियां पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी थीं, और उ वि नि आ द्वारा निर्धारित संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को पूरा करने में उ पा का लि सक्षम था।
- विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उ पा का लि के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र मौजूद है।

4.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के स्रोत निम्नानुसार थे:

- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान (संशोधित),
- उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम, 2020/उ वि नि आ द्वारा समय-समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेश
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/उ पा का लि द्वारा जारी दिशानिर्देश/निर्देश/आदेश और उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1958} अंगीकरण एवं संशोधन आदेश, 2002।

4.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

बिलिंग दक्षता और राजस्व वसूली संबंधी गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, उ पा का लि कॉर्पोरेट कार्यालय के अतिरिक्त 24 क्षेत्रीय इकाइयों (वि वि म - 04, वि वि ख - 17 और वि प ख - 03) को वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि⁵ को आच्छादित करते हुये विस्तृत जाँच के लिए चयनित किया गया।

प्रवेश गोष्ठी उ पा का लि प्रबन्धन⁶ के साथ 16 अगस्त 2023 को आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली तथा लेखापरीक्षा के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, 25 जून 2024

⁴ उ वि नि आ (विद्युत आपूर्ति कोड, नए कनेक्शन जारी करना और संबंधित मामले) विनियम, 2020।

⁵ प्रारम्भ में, वि वि अ ले प की योजना 2020-21 से 2022-23 तक तीन वर्षों को आच्छादित करते हुये बनायी गई थी, हालाँकि, कोविड-19 महामारी की व्यापकता और प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, वर्ष 2020-21 को आच्छादन से हटा कर वर्ष 2023-24 को वि वि अ ले प में सम्मिलित किया गया है।

⁶ प्रवेश गोष्ठी में भाग लेने के लिए उत्तराखण्ड सरकार का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।

को आयोजित समापन गोष्ठी में उ पा का लि प्रबन्धन और उत्तराखण्ड शासन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन गोष्ठी में अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन और प्रबंध निदेशक, उ पा का लि के साथ-साथ कार्यात्मक निदेशक और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

उ पा का लि और उत्तराखण्ड शासन को मसौदा प्रतिवेदन 23 सितम्बर 2024 को प्रेषित किया गया। उ पा का लि ने 21 नवम्बर 2024 को उत्तर प्रस्तुत किए और तत्पश्चात, उत्तराखण्ड शासन ने 08 जनवरी 2025 को उ पा का लि के उत्तर का समर्थन किया। तदनुसार, इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उत्तरों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

4.1.6 वित्तीय मुख्यांश

उ पा का लि की 31 मार्च 2024 को समाप्त हुयी अवधि में पिछले चार वर्षों के दौरान वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

तालिका-4.1: उ पा का लि की वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	(अ) पूंजी एवं देनदारियाँ				
1	चुकता पूंजी (आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन धनराशि सहित)	1,474.91	1,489.91	1,529.91	1,604.84
2	संचित लाभ (+)/हानि (-)	(-)3,851.01	(-)3,872.44	(-)5,288.07	(-)5,434.99
3	संचय और अधिशेष, संचित हानियाँ/ आस्थगित सरकारी अनुदानों ⁷ को छोड़कर	2,495.27	2,560.17	2,905.88	2,845.11
4	गैर-वर्तमान देनदारियाँ	1,793.57	1,491.54	1,156.58	1,546.72
5	वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	6,473.24	5,926.83	7,932.84	8,602.39
	योग	8,385.98	7,596.01	8,237.14	9,164.07
	(ब) परिसम्पतियाँ				
6	गैर- चालू परिसंपातियाँ	6,611.35	6,406.12	6,794.36	7,510.17
7	चालू परिसंपातियाँ (व्यापार प्राप्य सहित)	1,774.63	1,189.89	1,442.78	1,653.90
	योग	8,385.98	7,596.01	8,237.14	9,164.07
	निवल मूल्य (पंक्ति 1+पंक्ति 2)	(-)2,376.10	(-)2,382.53	(-)3,758.16	(-)3,830.15

स्रोत: उ पा का लि के वार्षिक वित्तीय विवरणों से संकलित आँकड़े।

उपर्युक्त तालिका-4.1 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान उ पा का लि का संचित घाटा (-) ₹ 3851.01 करोड़ से बढ़कर

⁷ इसमें पूंजीगत कार्य, उपभोक्ता अंशदान एवं अंतरण योजना के लिए अनुदान सम्मिलित है

(-) ₹ 5434.99 करोड़ (41.13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ) तथा निवल मूल्य (-) ₹ 2376.10 करोड़ से बढ़कर (-) ₹ 3830.15 करोड़ (61.19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ) हो गया था।

4.1.6.1 वित्तीय प्रदर्शन

उ पा का लि का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुयी अवधि में पिछले चार वर्षों के दौरान वित्तीय प्रदर्शन निम्नवत है:

तालिका-4.2: उ पा का लि के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व					
1	संचालन से राजस्व	6,453.92	7,223.56	8554.30	9648.12
2	अन्य आय	87.68	245.56	289.13	429.76
	कुल राजस्व	6,541.60	7,469.12	8,843.43	10,077.88
व्यय					
3	विद्युत की क्रय लागत	5,574.46	6,253.33	8,633.11	8,566.36
4	मरम्मत और रखरखाव पर व्यय	194.87	228.53	312.59	380.20
5	कर्मचारी हितलाभ व्यय	356.00	338.49	458.54	427.98
6	वित्तीय लागत	189.73	203.22	217.09	297.84
7	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	230.22	253.30	456.70	509.67
8	अन्य प्रशासनिक व्यय	50.04	65.08	65.60	75.32
	कुल व्यय	6,595.32	7,341.95	10,143.63	10,257.37
09	असाधारण/पूर्व अवधि मदों से पहले लाभ/(हानि) (पंक्ति3 - पंक्ति10)	(-)53.72	127.17	(-)1,300.2	(-)179.49
10	असाधारण/पूर्व अवधि मदें	(-)81.44	(-)127.14	99.41	-
11	कर व्यय {आस्थगित कर परिसंपत्तियां/ (देनदारियाँ)}	(-)16.59	(-)21.45	(-)22.85	32.58
12	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (पंक्ति11+पंक्ति12+पंक्ति13)	(-)151.75	(-)21.42	(-)1,223.64	(-)146.91

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि परिचालन से राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जो वर्ष 2020-21 में ₹ 6,453.92 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 9,648.12 करोड़ हो गया। प्रमुख लागत घटक होने के कारण, विद्युत खरीद लागत ₹ 5,574.46 करोड़ (2020-21) से बढ़कर ₹ 8,566.36 करोड़ (2023-24) हो गई। इसके अतिरिक्त, उ पा का लि के समग्र वित्तीय प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि उसे 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान घाटा हुआ था, जिसमें 2022-23 में 1,223.64 करोड़ का उच्चतम घाटा हुआ था जो मुख्यतः उस वर्ष में विद्युत की उच्च खरीद लागत के कारण हुआ।

4.1.7 उ पा का लि की परिचालन प्रोफाइल

उ पा का लि की परिचालन प्रोफाइल नीचे तालिका-4.3 में दी गयी है।

तालिका-4.3: परिचालन प्रोफाइल

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति अनुसार
1.	कुल उपभोक्ता/ कनेक्शन (संख्या)	29.13 लाख
	मीटर स्थापित (संख्या)	29.13 लाख
	बिना मीटर (संख्या)	निरंक
2.	एच टी उपभोक्ता (संख्या)	6,469
3.	टर्नओवर (2023-24) (₹ में)	9648.12 करोड़
4.	उप-खण्डों की संख्या	133
5.	फीडरों की संख्या	2,562
6.	11/0.4 केवी वितरण परिवर्तक (डी टी आर) की संख्या	91,718
7.	बिना मीटर डी टी आर की संख्या	64,413
8.	लाइन की लंबाई (सर्किट किलोमीटर)	1,30,195.56

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

4.1.7.1 टैरिफ आधारित वर्गीकरण

उ पा का लि ने अपने उपभोक्ताओं को ऊर्जा के उपयोग और खपत को ध्यान में रखते हुए बहुस्तरीय टैरिफ प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया है, जिसमें खपत बढ़ने के साथ दरें बढ़ती हैं। परिशिष्ट-4.1 में चर्चा के अनुसार विभिन्न टैरिफ दरों की प्रयोज्यता के संदर्भ में 31 मार्च 2024 तक के उपभोक्ताओं का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका-4.4 में दिया गया है:

तालिका-4.4: 31 मार्च 2024 तक आर टी एस-वार उपभोक्ता आधार

क्र. सं.	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	उपभोक्ताओं की (प्रतिशत में)
1	आर टी एस-1: घरेलू	25,24,813	86.67
2	आर टी एस-2: अघरेलू	3,14,943	10.81
3	आर टी एस-3: सरकारी सार्वजनिक इकाइयाँ	8,210	0.28
4	आर टी एस-4: निजी नलकूप	46,662	1.6
5	आर टी एस-5: एल टी एवं एच टी उद्योग	18,630	0.64
6.	अन्य (आर टी एस: 6, 7, 8 और 9)	123	--
योग		29,13,381	100

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

4.1.7.2 उ पा का लि में बिलिंग एव राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया

उ पा का लि में आई टी आधारित बिलिंग प्रणाली है जिसे आर-ए पी डी आर पी के अंतर्गत लागू किया गया था। उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई ऊर्जा की बिलिंग हाथ से

चलने वाले उपकरणों (स्पॉट बिलिंग मशीनों-एस बी एम) और मीटर रीडिंग उपकरणों (एम आर आई) के माध्यम से एकत्र की गई मीटर रीडिंग पर आधारित होती है। उ पा का लि में बिलिंग और राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को निम्नानुसार दर्शाया गया है:

उ पा का लि ऊर्जा उत्पादक कंपनियों से विद्युत खरीदता है और अपने वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करता है

खपत और लागू टैरिफ दरों के आधार पर, उ पा का लि के संबंधित वि वि ख उपभोक्ताओं को मासिक विद्युत बिल देते हैं

बिल का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना है, साथ ही 15 दिनों की अतिरिक्त छूट अवधि भी दी जानी है। यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उ पा का लि अस्थायी रूप से आपूर्ति काट (टी डी) सकता है।

यदि टी डी के छः महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उ पा का लि आपूर्ति को स्थायी रूप से काट सकता है और भू-राजस्व के रूप में बकाया राशि की वसूली के लिए जिला प्राधिकारियों को वसूली प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

विनियामक आवश्यकताओं के अंतर्गत, उ पा का लि ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उ शि नि मं) की स्थापना की है, जो उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार है, जिसके आठ⁸ प्रमुख स्थानों पर नियमित/प्रधान कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, यदि पीड़ित उपभोक्ता उ शि नि मं के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के प्रावधान के अंतर्गत उ वि नि आ द्वारा नियुक्त विद्युत लोकपाल के पास अपील कर सकता है।

4.1.7.3 उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल

उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल मुख्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ऊर्जा खरीद, उपभोक्ताओं को वितरित और विक्रय की गई ऊर्जा का विवरण प्रदान करती है। उ वि नि आ द्वारा बिलिंग दक्षता, वितरण हानि और संग्रहण दक्षता जैसे दक्षता मानकों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

*बिलिंग दक्षता*⁹ ऊर्जा के अनुपात का एक संकेतक है जिसे किसी क्षेत्र में आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में उपभोक्ताओं को बिल किया गया है (इसमें मापित और अमापित बिक्री दोनों सम्मिलित हैं), जबकि *संग्रहण दक्षता*¹⁰ उपभोक्ताओं को दी गई बिल राशि के मुकाबले उनसे एकत्रित की गई राशि के अनुपात का सूचक है। *बिलिंग/संग्रहण दक्षता* निर्धारित सीमा से कम होना दर्शाता है कि वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को लीकेज रोककर

⁸ देहरादून, श्रीनगर (गढ़वाल), हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग और अल्मोड़ा।

⁹ बिलिंग दक्षता = उपभोक्ताओं को बिल की गई कुल ऊर्जा (कि वा)/कुल ऊर्जा इनपुट (कि वा)।

¹⁰ संग्रहण दक्षता = एकत्रित राजस्व (₹ में)/बिल की गई राशि (₹ में)।

व दक्षता विकसित करके तथा राजस्व वसूली के तरीकों और प्रथाओं में सुधार करके बिलिंग के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल में ऊर्जा का क्रय/बिल, बिलिंग दक्षता और वितरण हानियों का विवरण नीचे तालिका-4.5 में दिया गया है:

तालिका-4.5: उ पा का लि की ऊर्जा प्रोफाइल

क्र. सं.	विवरण	2020-21 ¹¹	2021-22	2022-23	2023-24
1	क्रय की गई ऊर्जा (मि इ ¹² में)	13,287.59	14,581.68	15,757.27	16,108.90
2	उ वि नि आ द्वारा अनुमन्य वितरण घाटे का प्रतिशत	14.00	13.75	13.50	13.25
3	उ वि नि आ द्वारा अनुमन्य वितरण हानि (मि इ में) (पंक्ति 1 x पंक्ति 2/100)	1,860.26	2,004.98	2,127.23	2,134.43
4	उ वि नि आ के अनुसार बिलिंग के लिए उपलब्ध ऊर्जा (मि इ में) (पंक्ति 1 में पंक्ति 3 घटाकर)	11,427.33	12,576.70	13,630.04	13,974.47
5	विक्रय की गयी ऊर्जा (मि इ में)	11,432.59	12,518.80	13,491.22	13,870.71
6	बिलिंग दक्षता (प्रतिशत में) (पंक्ति 5/पंक्ति 1 x100)	86.04	85.85	85.62	86.11
7	वितरण हानि (प्रतिशत में) (100 - पंक्ति 6)	13.96	14.15	14.38	13.89
8	अनुमत सीमा से अधिक वितरण हानि (मि इ में) (पंक्ति 4- पंक्ति 5)	-5.26	57.90	138.82	103.76
9	व्यय सहित विद्युत खरीद की लागत (₹ करोड़ में)	6,605.67	7,244.98	9777.94	9824.85
10	विद्युत की बिक्री (₹ करोड़ में)	6,453.92	7,223.56	8554.30	9648.12
11	विक्रय की गई विद्युत की लागत प्रति यूनिट (₹ में) (पंक्ति 9/पंक्ति 5)	5.78	5.79	7.25	7.08
12	विक्रय की गई विद्युत की प्रति यूनिट बिक्री (₹ में) (पंक्ति 10/ पंक्ति 5)	5.65	5.77	6.34	6.96
13	विक्रय की गई प्रति इकाई शुद्ध लाभ/ हानि (-) (पंक्ति 12- पंक्ति 11)	-0.13	-0.02	-0.91	-0.12


स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21, जो कोविड-19 महामारी से काफी हद तक प्रभावित था, के दौरान उ पा का लि वितरण हानि लक्ष्यों को पूर्ण करने में सक्षम था और उ वि नि आ द्वारा निर्धारित 14 प्रतिशत की लक्ष्य सीमा के मुकाबले यह

¹¹ वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण हुई कठिनाइयों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उ पा का लि वितरण हानि लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था, वर्ष 2020-21 को आगामी विश्लेषण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

¹² मिलियन इकाई में।

13.96 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान वितरण हानियों के लक्ष्यों के सापेक्ष तिमाही उपलब्धियों की स्थिति नीचे चार्ट-4.2 में दर्शाई गई है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि, वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, उ पा का लि ने निर्धारित वितरण हानि के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया, जो 0.40 प्रतिशतता अंकों से 0.88 प्रतिशतता अंकों की कमी दर्शाता है। परिणामस्वरूप, उ पा का लि को वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान वितरण हानि की अनुमन्य सीमा से अधिक ₹ 156.07 करोड़¹³ मूल्य की 300.48 मि इ ऊर्जा की अधिक हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि चार्ट-4.2 में उल्लेखित है, उ वि नि आ वितरण हानि लक्ष्यों की तुलना में उ पा का लि की उपलब्धियां चक्रीय प्रकृति की थी। यह मुख्य रूप से उ पा का लि द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बिलिंग और राजस्व वसूली पर अतिरिक्त अभियान चलाये जाने के कारण था।

4.1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष


लेखापरीक्षा निष्कर्षों को व्यापक रूप में तीन भागों में विभाजित किया गया है, यथा (1) बिलिंग दक्षता से संबंधित मामले; (2) राजस्व वसूली से संबंधित मामले; (3) आंतरिक नियंत्रण और निगरानी संबंधी मामले।

¹³ 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए क्रमशः ₹ 4.29 प्रति इकाई, ₹ 5.48 प्रति इकाई और ₹ 5.32 प्रति इकाई की गणना की गई।

4.1.8.1 बिलिंग दक्षता

बिलिंग दक्षता किसी क्षेत्र में आपूर्ति की गई ऊर्जा के सापेक्ष उपभोक्ताओं को किए गए बिल (इसमें मापित और अमापित विक्रय दोनों सम्मिलित हैं) के रूप में ऊर्जा के अनुपात को संदर्भित करती है। बिलिंग दक्षता तथा वितरण हानि एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित हैं। उच्च वितरण हानियाँ कम बिलिंग दक्षता और इसके व्युत्क्रम को इंगित करती हैं।

अभिलेखों से इंगित होता है कि उ पा का लि वर्ष 2020-21 को छोड़कर, उ वि नि आ द्वारा निर्धारित वितरण हानि लक्ष्यों के सापेक्ष बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल था, जैसा कि नीचे चार्ट-4.3 में दर्शाया गया है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि बिलिंग दक्षता प्रत्येक साल दिसम्बर और मार्च के मध्य लक्ष्यों के निकट रही, हालाँकि, अप्रैल-जून की अवधि के दौरान, बिलिंग दक्षता में तेजी से गिरावट आई जो प्रत्येक साल सितम्बर तक बनी रही।

वितरण घाटे को नियंत्रित करने सहित मीटर रीडिंग से लेकर बिल सृजन तक बिलिंग प्रक्रिया को स्वचालित करना, बिलिंग दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी थी। अधिक बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए, स्मार्ट मीटर का कार्यान्वयन, आवश्यक उपायों में से एक था। हालाँकि, स्मार्ट मीटर परियोजना को लागू करने में काफी विलंब हुआ। 15.87 लाख स्मार्ट मीटरों को बदलने/लगाने के लिए निविदा दिसम्बर 2022 में आमंत्रित की गई थी, लेकिन कार्यादेश दिसम्बर 2023 में आवंटित किया गया और तदोपरांत

मार्च 2024 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन में विलंब के परिणामस्वरूप 15.87 लाख स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष मात्र 60,514 स्मार्ट मीटर लगाए गए (31 मार्च 2025 तक)।

इस प्रकार, बिलिंग दक्षता उ वि नि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम रही और मुख्य रूप से वितरण घाटे के कारण 2020-21 से 2023-24 के दौरान 86.04 प्रतिशत से 86.11 प्रतिशत तक रही (तालिका-4.5)। वितरण हानियों के आगे के विश्लेषण पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

(i) विद्युत की चोरी के कारण ₹ 156.07 करोड़ मूल्य की ऊर्जा हानि

विद्युत क्षेत्र में, वितरण हानियों को वितरण उपयोगिताओं के निष्पादन के मापन के लिए एक प्रमुख मानदण्ड के रूप में जाना जाता है। यह प्राप्त ऊर्जा और उपभोक्ता को बिल की गई ऊर्जा के बीच का अंतर है। जैसा कि प्रस्तर-4.1.7.3 में चर्चा की गई है, उ पा का लि को वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 156.07 करोड़ मूल्य की 300.48 मि इ ऊर्जा की हानि हुई। वि वि म /वि वि ख स्तर पर ऊर्जा की हानि का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:


(क) वि वि म स्तर पर वितरण हानियाँ

उ वि नि आ ने वर्ष 2023-24 के दौरान वितरण हानि के लिए 13.25 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया था। वि वि म स्तर पर वितरण घाटे का विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि 13 वि वि म में से छः¹⁴ वि वि म ने 6.49 प्रतिशत से 11.87 प्रतिशत के मध्य वितरण हानि दर्ज करते हुये लक्ष्यों को पूरा किया। तदनुसार, वे लक्ष्यों की तुलना में अतिरिक्त 374.682 मि इ ऊर्जा का बिल करने में सक्षम थे। शेष सात¹⁵ वि वि म 19.65 प्रतिशत और 26.39 प्रतिशत के मध्य वितरण घाटे के साथ लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके, जिससे लक्ष्य के सापेक्ष बिल योग्य ऊर्जा में 478.446 मि इ की हानि हुई। खराब प्रदर्शन के कारण 103.764 मि इ ऊर्जा (478.446 - 374.682) की शुद्ध हानि हुई।


इन सात वि वि म में से, अधिकतम वितरण हानि वाले पाँच वि वि म को नीचे चार्ट-4.4 में दर्शाया गया है:

¹⁴ वि वि म ने लक्ष्य की तुलना में कुल 374.682 मिलियन इकाई अतिरिक्त ऊर्जा को बिल किया- देहरादून शहरी (81.383), देहरादून ग्रामीण (81.688), श्रीनगर (37.620), हरिद्वार (36.243), काशीपुर (90.203), और रुद्रपुर (47.545)।

¹⁵ वि वि म (लक्ष्य की तुलना में कुल 478.446 मि इ की हानि) - टिहरी (48.368), कर्णप्रयाग (16.234), रुड़की (339.479), हल्द्वानी (9.886), रानीखेत (28.344), पिथौरागढ़ (22.610), और चंपावत (13.525)।



यह देखा जा सकता है कि पाँच में से चार वि वि म पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ सामान्यतः कठिन भौगोलिक क्षेत्र और उपभोक्ताओं के कम घनत्व के कारण हानि को अधिक माना जाता है। पाँचवां अर्थात् वि वि म रुड़की, मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जो कि 2021-24 की अवधि के दौरान 964.465 मि इ के वितरण हानि के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है, जैसा कि नीचे चार्ट-4.5 दर्शाया गया है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि वि वि म में से वि वि म रुड़की को सबसे अधिक हानि हो रही थी, जो शीर्ष पाँच वि वि म द्वारा की गयी कुल हानि के 69 प्रतिशत और 74 प्रतिशत के मध्य थी।

इसके अतिरिक्त, विश्लेषण से पता चला है कि वि वि म रुड़की के संबंध में वितरण हानि बढ़ती प्रवृत्ति में थी जो 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान 291 मि इ से 339 मि इ हो गयी थी। वि वि म रुड़की में वितरण हानि का वित्तीय प्रभाव निम्नानुसार ₹ 488.50 करोड़ आगणित किया गया था:

तालिका-4.6: वि वि म रुड़की में ऊर्जा की हानि की लागत

वर्ष	हानि की अनुमन्य सीमा से अधिक ऊर्जा की हानि (मि इ में)	औसत विद्युत खरीद लागत (औ वि ख ला) प्रति यूनिट (₹ में)	हानि की अनुमन्य सीमाओं से अधिक वितरण हानि (₹ करोड़ में)
2021-22	290.657	4.29	124.69
2022-23	334.329	5.48	183.21
2023-24	339.479	5.32	180.60
योग	964.465	--	488.50

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह स्पष्ट है कि अकेले वि वि म रुड़की को 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 488.50 करोड़ लागत की 964.465 मि इ ऊर्जा की हानि हुई। वि वि म रुड़की में भगवानपुर, रुड़की ग्रामीण, रुड़की शहरी और रुड़की रामनगर नाम से चार वि वि ख सम्मिलित हैं, जिनमें से भगवानपुर की वितरण हानि अनुमन्य सीमा के निकट थी, हालाँकि, अन्य तीन वि वि ख के संबंध में यह उपरोक्त अवधि के दौरान 27.34 प्रतिशत से 34.83 प्रतिशत के मध्य रहा जो कि उ पा का लि के सभी वि वि ख में से मात्र तीन¹⁶ वि वि ख को छोड़कर, सबसे अधिक रहा।

इसके अतिरिक्त, अन्य चार वि वि म द्वारा 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान की गई ऊर्जा हानि की लागत ₹ 177 करोड़ (वि वि म: टिहरी- ₹ 72 करोड़, पिथौरागढ़- ₹ 43 करोड़, रानीखेत- ₹ 31 करोड़ और कर्णप्रयाग- ₹ 31 करोड़) आंकलित की गई थी। उपर्युक्त वितरण हानियों का मुख्य कारण विद्युत की चोरी थी।


(ख) वि वि ख स्तर पर वितरण हानियाँ

वि वि ख स्तर पर वितरण हानियों का विश्लेषण बताता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान 46 वि वि ख में से 19 वि वि ख 13.25 प्रतिशत की वितरण हानि लक्ष्यों को पूरा

¹⁶ वि वि ख बागेश्वर, वि वि ख धारचूला और वि वि ख नारायणबगड़ (वितरण हानियाँ 26.60 प्रतिशत से 37.86 प्रतिशत के मध्य)।

करने में सक्षम थे, हालाँकि, 10 वि वि ख को 13.26 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक वितरण हानि हुई और 17 वि वि ख को 20 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई (परिशिष्ट-4.2)।

वितरण खण्डों के बीच, वि वि म रुड़की के अंतर्गत वि वि ख में उच्च वितरण हानि थी जैसा कि पिछले प्रस्तर में चर्चा की गई थी। 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान 45.445 मि इ से 172.164 मि इ तक के उच्च वितरण हानि को प्रदर्शित करने वाले शीर्ष पाँच वि वि ख नीचे चार्ट-4.6 में दर्शाए गए हैं:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

आगे समीक्षा से पाया गया कि उच्च वितरण हानि का मुख्य कारण विद्युत की चोरी थी और यह चोरी संबन्धित प्रक्रिया को रोकने के निवारक उपायों के अभाव के साथ जुड़ा हुआ था। समर्पित पुलिस स्टेशनों और अदालतों के रूप में सशक्त सतर्कता और प्रशासनिक समर्थन तंत्र गठित कर इस परिस्थिति से निपटा जा सकता है।

इन पाँच शीर्ष वि वि ख में ऊर्जा की हानि (औ वि ख ला पर आधारित) का प्रभाव नीचे तालिका-4.7 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका-4.7: शीर्ष पाँच वि वि ख में ऊर्जा की हानि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वि वि ख/वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	योग
1	रूड़की ग्रामीण	68.97	91.40	91.59	251.96
2	रूड़की शहरी	35.70	50.80	48.25	134.75
3	लक्सर	31.20	43.85	46.68	121.73
4	रुद्रपुर-II	29.51	39.80	29.52	98.83
5	रूड़की रामनगर	19.50	32.50	36.80	88.80
	योग	184.88	258.35	252.84	696.07

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उ पा का लि के प्रदर्शन पर एक अध्ययन रिपोर्ट (मार्च 2024) में भी इन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और किए जाने वाले उपायों पर जोर दिया गया।

उ पा का लि के प्रदर्शन रूपान्तर पर अध्ययन रिपोर्ट

उ पा का लि के प्रदर्शन रूपान्तर पर उत्तराखण्ड सरकार के चर्चा दस्तावेजों (मार्च 2024) में अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकार किया गया कि हरिद्वार और उ सि नगर में कुल ऊर्जा के लगभग 70 प्रतिशत हिस्से की ऊर्जा हानि है तथा उ पा का लि के रूपांतर के लिए आवश्यक संभावित समाधानों/निर्णयों पर चर्चा की गई। समिति ने परिचालन संबंधी रिसाव को रोकने के लिए वितरण हानि पर नियंत्रण, विद्युत खरीद लागत को अनुकूलन करने और अनुदानों एवं ऋण/ऋण को पूंजी में बदलने की वकालत की है।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उ पा का लि नियमित रूप से हरिद्वार और उधम सिंह नगर (उ सि नगर) जिलों में बिलिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता और वितरण हानि पर ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि ये जिले घनी आबादी वाले और औद्योगिक हैं तथा विक्रय की गयी ऊर्जा का लगभग 60 प्रतिशत उपभोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले मंडलों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। सुचारु कार्य प्रणाली और विभिन्न मापदंडों पर बेहतर नियंत्रण के लिए, नए वितरण खण्डों के साथ-साथ मंडल कार्यालय भी सृजित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ पा का लि द्वारा वितरण घाटे को रोकने के लिए मार्च 2024 की उत्तराखण्ड शासन की अध्ययन रिपोर्ट पर जनवरी 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, वि वि म स्तर (विशेष रूप से वि वि म रूड़की) और अन्य वि वि ख पर उल्लेखनीय वितरण हानियाँ होने के बावजूद, उ पा का लि ने इन हानियों को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की, जैसा कि उपरोक्त अध्ययन रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है।

(ii) सतर्कता प्रकोष्ठ में मानव शक्ति/पुलिस कार्मिकों की कमी

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के साथ पठित उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खण्ड 7.2.1, उ पा का लि को विद्युत के अनधिकृत उपयोग/चोरी का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं के परिसर की जाँच/निरीक्षण करने का अधिकार देती है।

उत्तराखण्ड सरकार ने परिपत्र (06 अक्टूबर 2004) के द्वारा 44 अस्थायी पदों के सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की, जिसमें छापेमारी और राजस्व निरीक्षण विभाग (आर आर आई डी) के लिए 11 अधिकारी/ कर्मचारी जिसमें उप महाप्रबंधक/अधीक्षक अभियंता रैंक-01; अधिशासी अभियंता (अ अ) - 02, सहायक अभियंता (स अ) - 04 और कनिष्ठ अभियंता (क अ) - 04 सम्मिलित हैं। आर आर आई डी की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी कि (1) सभी राजस्व इकाइयों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जा सके, (2) छापेमारी/ निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के सापेक्ष आकलन और वसूली की पहचान की जा सके, (3) उच्च प्रबंधन के आदेश के अनुसार उपभोक्ता परिसरों पर छापे/ निरीक्षण की व्यवस्था की जा सके, और (4) औचक जाँच और निरीक्षण किए जा सके।

अभिलेखों से पता चला कि कि आर आर आई डी का गठन ही नहीं किया गया। हालाँकि, एक सतर्कता प्रकोष्ठ मौजूद है, जिसके लिए पुलिस विभाग से आठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदन (नवम्बर 2018) प्रदान किया गया था। सतर्कता प्रकोष्ठ, उ पा का लि की तकनीकी जनशक्ति और राज्य पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता है।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के अंत तक सतर्कता प्रकोष्ठ में स्वीकृत संख्या के सापेक्ष पुलिस अधिकारियों की तैनाती का विवरण नीचे तालिका-4.8 में दिया गया है:

तालिका-4.8: सतर्कता प्रकोष्ठ में मानव शक्ति की तैनाती का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	तैनाती (मार्च के अंत तक)			रिक्त पद (मार्च 2024)
			2022	2023	2024	
1	डी आई जी /एस एस पी	01	01	01	01	--
2	डिप्टी एस पी	01	00	00	00	01
3	इंस्पेक्टर	02	03	02	02	--
4	सब-इंस्पेक्टर	04	00	00	00	04
योग		08	04	03	03	05

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सतर्कता प्रकोष्ठ में पुलिस मानवशक्ति की तैनाती में उल्लेखनीय कमी (63 प्रतिशत) थी (31 मार्च 2024) तथा 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान उप पुलिस अधीक्षक और उप निरीक्षकों के पद रिक्त रहे। अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ है कि सतर्कता प्रकोष्ठ में, विशेषतौर से घरेलू उपभोक्ताओं के परिसरों हेतु महिला पुलिस अधिकारियों (उप निरीक्षकों और कांस्टेबलों) की तैनाती भी छापेमारी के लिए नहीं की गई। सतर्कता प्रकोष्ठ से जुड़े उ पा का लि अधिकारियों का विवरण नीचे तालिका-4.9 में दिया गया है:

तालिका-4.9: सतर्कता प्रकोष्ठ में जनशक्ति की तैनाती का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	तैनाती (मार्च के अंत तक)		
		2022	2023	2024
1	अधिशायी अभियंता	02	02	02
2	सहायक अभियंता	04	03	04
3	कनिष्ठ अभियंता	--	--	--
योग		06	05	06

यह देखा जा सकता है कि आर आर आई डी के लिए मानवशक्ति की स्वीकृत संख्या और सतर्कता प्रकोष्ठ की मानवशक्ति को संदर्भित करते हुए, समग्र तैनाती वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत मात्र रही, जिसमें दल में कोई भी कनिष्ठ अभियंता नहीं थे।

परिणामस्वरूप, सतर्कता छापों के लक्ष्य कम प्राप्त किए गए जिसका विवरण निम्न तालिका-4.10 में दिया गया है:

तालिका-4.10: सतर्कता छापे-लक्ष्य बनाम उपलब्धियां

वर्ष	लक्ष्य	छापों की संख्या	उपलब्धि की प्रतिशतता	विद्युत चोरी के मामले	टिप्पणियाँ
2020-21	4,800	3,303	68.81	2,335	निगरानी छापों के परिणामस्वरूप दर्ज की गई एफ आई आर, किए गए मूल्यांकन, वसूली की गई राशि आदि का ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
2021-22	4,800	3,266	68.04	2,289	
2022-23	4,800	4,143	86.31	2,972	
2023-24	4,800	4,103	85.48	2,531	
योग	19,200	14,815	77.16	10,127	

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2020-21 से 2023-24 के दौरान सतर्कता छापों के लक्ष्यों की उपलब्धि में 31.96 प्रतिशत से 13.69 प्रतिशत तक की कमी थी, जिसने विद्युत की चोरी से निपटने के लिए किए गए निवारक उपायों के निष्पादन को प्रभावित किया।

वि वि म रुड़की के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में लगातार ऊर्जा हानि, मुख्यमंत्री के निर्देश (जून 2023) और उ पा का लि दलों के साथ हाथापाई के कई प्रकरण होने के बाद भी सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त न करना चिंता का विषय बना हुआ है।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग/चोरी को रोकने के लिए उ पा का लि सतर्कता इकाई को समय-समय पर सशक्त किया गया था और यह वर्तमान में एक उपयुक्त संरचना (या यथोचित मानवशक्ति¹⁷) के साथ कार्य कर रही थी। यह भी अवगत कराया कि कोविड-19 महामारी के बाद, सतर्कता अभियान 68 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2021 और 2022 में) से बढ़कर 86 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2023 में) हो गया है। मार्च 2023 में अतिरिक्त सहायक अभियंताओं की तैनाती के बाद सतर्कता जाँच 86 प्रतिशत से बढ़कर 104 प्रतिशत (वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में) हो गई है। 2,400 छापों के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 1,575 एफ आई आर के साथ 2,517 छापे मारे गए हैं।

लेखापरीक्षा ने सतर्कता छापों/ जाँच की संख्या में सुधार और सतर्कता प्रकोष्ठ की जनशक्ति में वृद्धि को स्वीकार किया। हालाँकि, सतर्कता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी नियंत्रण, कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों और उ पा का लि मानवशक्ति सहित एक सु-संरचित सतर्कता प्रकोष्ठ आवश्यक है।

(iii) ऊर्जा की चोरी/छुट-पुट चोरी को रोकने के लिए प्रशासनिक समर्थन का अभाव

नीति आयोग¹⁸ ने (अगस्त 2021) कहा कि डिस्कॉम को कानूनी और प्रशासनिक विवादों को निपटाने के लिए पुलिस और अदालतों के रूप में सरकारी मशीनरी के सहारे की आवश्यकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सरकार से इस तरह के समर्थन के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और मणिपुर में चोरी के कारण होने वाली हानि में भारी कमी आई है।

आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने चोरी-रोधी कानून बनाए हैं और उनमें से कई ने विशेष अदालतें और समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। इन राज्यों में विद्युत चोरी के मामलों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

इससे पहले, वितरण हानि न्यूनीकरण रणनीतियों पर नियामकों¹⁹ के फोरम (नि फो) के प्रकाशन (सितम्बर 2008) में, अन्य बातों के साथ-साथ, तकनीकी हस्तक्षेप के साथ-साथ प्रशासनिक/ शासन उपायों के साथ एक बहु-दीर्घकालिक

¹⁷ अधिशासी अभियंता- 02; सहायक अभियंता- 05; सुरक्षा कर्मी - 09, और कार्मिक - 05 ।

¹⁸ विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार पर रिपोर्ट; सीख और सर्वोत्तम अभ्यास।

¹⁹ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की अधिसूचना द्वारा नियामकों के फोरम (नि फो) का गठन किया गया था।

रणनीति की वकालत की गई थी और विद्युत की चोरी को सबसे बड़ी समस्या के रूप में स्वीकार किया गया था तथा इसे सख्ती से निपटने और निवारक प्रभाव वाली कार्रवाइयों की परिकल्पना की गई थी।

वितरण हानि न्यूनीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों पर एक अन्य प्रकाशन (जुलाई 2016) में, नियामकों के फोरम ने सलाह दी कि डिस्कॉम को सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपने संसाधनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समर्पित पुलिस स्टेशनों और अदालतों की स्थापना जैसी प्रशासनिक पहल सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर पाया कि:

राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक (जून 2023) में, अन्य बातों के साथ-साथ, हरिद्वार और उ सि नगर जिलों में विद्युत चोरी को रोकने के लिए सतर्कता टीम को मजबूत करने और समर्पित विद्युत पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने और विद्युत चोरी को रोकने के लिए सतर्कता दलों के प्रयासों की मासिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।

- सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समर्पित विद्युत पुलिस स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देशों (अक्टूबर 2019) के अनुपालन में, एस एस पी (सतर्कता) ने दो जिलों, हरिद्वार और उ सि नगर जहाँ फीडर स्तर पर वितरण हानि सबसे अधिक 63.52 प्रतिशत से 77.80 प्रतिशत के मध्य रही, को चिन्हित किया।

- तदनुसार, उ पा का लि ने (जुलाई 2020) दोनों जिलों अर्थात् हरिद्वार और उ सि नगर, प्रत्येक में समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजा था। आगे यह भी विचार किया गया था कि अलग-अलग पुलिस स्टेशनों की स्थापना से इन क्षेत्रों में विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने में सुविधा होगी। हालाँकि, बाद में सरकार के साथ इस मामले पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई किया जाना नहीं पाया गया।
- दो सर्वाधिक प्रभावित जिलों में समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी, वर्तमान तक (जनवरी 2025) समर्पित विद्युत पुलिस स्टेशनों की स्थापना की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।



- परिणामस्वरूप, उक्त जिलों में वितरण हानि उच्च बनी हुई है जैसा कि प्रस्तर-4.1.8.1 में चर्चा की गयी है। अभिलेखों से यह भी पता चला कि वि वि म रुड़की को छापेमारी के दौरान चिन्हित किए गए चोरी के मामलों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय पुलिस ने जनशक्ति की कमी का हवाला देते हुए सहयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त, चोरी के प्रकरणों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था।
- वि वि म रुड़की के अधिकार क्षेत्र में चोरी की स्थिति को इस तथ्य के प्रकाश में समझा जा सकता है कि

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 1.52 करोड़ मूल्य के 104 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए।

- रुड़की के चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में उ पा का लि के अधिकारियों के साथ कठोर व्यवहार/शारीरिक हमला/मारपीट की घटनायें संज्ञान में आयी हैं। प्रिंट मीडिया भी उ पा का लि सतर्कता दलों के साथ हमले/मारपीट के प्रकरणों को प्रकाशित करता रहा है।

इस संबंध में, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में समर्पित पुलिस स्टेशन की स्थापना के माध्यम से विद्युत चोरी से निपटने में सुधार के प्रभाव पर नीचे चर्चा की गई है:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्पित विद्युत पुलिस स्टेशनों की स्थापना

उत्तराखण्ड के पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों ने विद्युत की चोरी और अनधिकृत उपयोग के खतरे को रोकने के लिए समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश राज्य में समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना ने यू पी पी सी एल को (1) तुरंत एफ आई आर दर्ज करवाने, (2) जाँच में समयबद्धता को कम करने और पंजीकृत मामलों की मजबूत अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी, (3) कुल ₹ 41.00 करोड़ की स्थापना लागत के सापेक्ष ₹ 47.52 करोड़ (कुल एफ आई आर मूल्य का 12.28 प्रतिशत) का उच्च राजस्व संग्रहण करने में सहायता की है। (पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफ आई आर का पंजीकृत मूल्य ₹ 402.27 करोड़ है जो दिसम्बर 2020 तक न्यायालय में लंबित/विवादित थे)। (4) वर्ष 2017 से 2020 के दौरान छापेमारी के प्रतिशतता के रूप में विद्युत

चोरी के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है जो क्रमशः 65.97 प्रतिशत से घटकर 47.92 प्रतिशत हो गई है, और (5) अपराधियों के केंद्रीकृत आंकड़े।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि 22 जुलाई 2024 को शासन स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान इस मामले पर फिर से चर्चा की गई, जिसमें उ पा का लि ने विद्युत चोरी के मामलों की एफ आई आर दर्ज न करने का मुद्दा उठाया और समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, उ पा का लि ने हरिद्वार और उ सि नगर जिलों में समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार से पुनः अनुरोध किया (04 नवम्बर 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हरिद्वार और उ सि नगर जिलों में समर्पित पुलिस स्टेशन अभी तक स्थापित नहीं किए गए थे (जनवरी 2025)।

(iv) एन ए/एन आर /दोषपूर्ण मीटरों के कारण निरंतर अनंतिम बिलिंग

अनंतिम बिलिंग एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें यदि मीटर दोषपूर्ण²⁰ पाया जाता है/रिपोर्ट किया जाता है (आई डी एफ/ए डी एफ/आर डी एफ) तो पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत तथा यदि मीटर पहुंच योग्य नहीं है/रीडिंग नहीं ली जा सकी है (एन ए/एन आर) तो पिछले बारह बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर बिल तैयार किया जाता है।

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खण्ड 5.1.4 और 5.1.2 के अनुसार उ पा का लि को मीटरों का रखरखाव करना है और उन्हें हर समय चालू हालत में रखना है और मीटर के दोषपूर्ण/अटकने/रोके जाने/जलने/चोरी होने संबंधी पाये जाने या रिपोर्ट किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर दोषपूर्ण मीटरों को बदलना सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त, मीटर के दोषपूर्ण होने या पहुंच योग्य न होने या जहाँ रीडिंग नहीं ली जा सकी हो, के मामले में खण्ड 5.2.1 के अंतर्गत उ पा का लि को अधिकतम दो बिलिंग चक्रों के लिए अनंतिम आधार पर बिल बनाने का आदेश दिया गया है। इसके बाद, उ पा का लि को अनंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं है।

²⁰ दोषपूर्ण मीटरों को चिन्हित दोषपूर्ण मीटर (आई डी एफ), दोषपूर्ण प्रतीत होने वाले मीटर (ए डी एफ), रीडिंग दोषपूर्ण मीटर (आर डी एफ) और दुर्गम श्रेणी अर्थात् अनुपलब्ध (एन ए) और नहीं पढ़े जाने वाले (एन आर) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक उ पा का लि के पास 1,13,273 ऐसे उपभोक्ता थे जिनके मीटर एन ए/एन आर/दोषपूर्ण थे और जिन्हें दो से अधिक लगातार बिलिंग चक्रों के लिए बिल भेजे गए थे।

एन ए/ एन आर उपभोक्ताओं और दोषपूर्ण मीटरों के संबंध में अनंतिम बिलिंग का विवरण नीचे तालिका-4.11 में दिया गया है:

तालिका-4.11: विनियामक मानदंडों से अधिक अनंतिम बिलिंग

(₹ करोड़ में)

बिलिंग चक्र	एन ए/एन आर		दोषपूर्ण मीटर		कुल	
	उपभोक्ताओं की संख्या	मार्च 2024 को बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	मार्च 2024 को बकाया राशि	उपभोक्ताओं की संख्या	मार्च 2024 को बकाया राशि
3-12	26,082	55.65	43,544	98.30	69,626	153.95
13-24	6,974	29.86	12,573	68.09	19,547	97.95
25-36	2,739	17.47	5,435	35.06	8,174	52.53
37-48	968	7.44	5,611	29.91	6,579	37.35
49-60	327	3.15	4,837	20.20	5,164	23.35
61 व उससे अधिक	177	1.97	4,006	18.27	4,183	20.24
योग	37,267	115.54	76,006	269.83	1,13,273	385.37

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 1,13,273 उपभोक्ताओं को दो बिलिंग चक्रों की निर्धारित सीमा के बाद भी अनंतिम आधार पर बिल भेजा गया था और इसमें से 24,100 उपभोक्ताओं को (₹ 133.47 करोड़ की तदनुसूची बकाया राशि के साथ) 24 से अधिक बिलिंग चक्रों अर्थात् दो वर्षों से अधिक के लिए अनंतिम बिलिंग की गई थी।

लेखापरीक्षा ने अनंतिम बिलिंग के ऐसे 10 प्रकरणों (परिशिष्ट-4.3) को देखा गया जिन्हें उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (उ शि नि मं)/लोकपाल के समक्ष लाया गया था और सभी मामलों के संबंध में अनंतिम बिलिंग्स को विनियामक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि उ पा का लि को दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए अनंतिम आधार पर बिल बनाने का अधिकार नहीं था। लोकपाल ने परिशिष्ट-4.3 के क्रम संख्या 2, 3, 5 पर तीन मामलों में आदेश पारित करते हुए यह भी कहा कि ऐसे बिलों की लागत को दोषी कर्मचारियों से वसूलना उचित होगा। हालाँकि, इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं पायी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रबंधन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए (मई 2024) कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए अनंतिम विद्युत बिल जारी नहीं किए जाने चाहिए।

(v) गैर-एन ए बी एल मान्यता प्राप्त जाँच मीटर का उपयोग

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007 के खण्ड 3.1.1 के अनुसार उ पा का लि को के वि प्रा (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2006 की आवश्यकताओं के अनुरूप ऊर्जा मीटरों का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि लाइसेंसधारी उचित संख्या में मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा या अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग करेगा। उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खंड 5.1.3 में भी यही प्रावधान दोहराया गया है।

यह संज्ञान में आया कि 2020 तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी। विद्युत लोकपाल ने मीटर परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता की आवश्यकता के संबंध में उ पा का लि को पुनः अवगत किया (दिसम्बर 2020), तत्पश्चात्, उ पा का लि के प्रबंध निदेशक और सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार से पत्राचार किए। यह भी सलाह दी गई कि जब तक उ पा का लि प्रयोगशालाओं को मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक मीटरों, कम से कम एच टी मीटरों को मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण कराने के लिए अन्य राज्यों के नजदीकी विद्युत निगमों की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाएं ली जा सकती हैं।

एन ए बी एल मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं के अभाव/विलंबित मान्यता के कारण, वि प ख द्वारा स्थापित किए गए चेक/संदर्भ मीटर एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित नहीं थे। इससे उपभोक्ताओं के साथ विवाद हुये, जो सी जी आर एफ और विद्युत लोकपाल स्तर तक पहुँच गए। आठ मामलों (परिशिष्ट-4.4) में विद्युत लोकपाल ने उ पा का लि द्वारा उठाए गए ₹ 2.79 करोड़ के मूल्यांकन/ संशोधित बिलों को अमान्य कर दिया और फरवरी 2022 से जुलाई 2023 के दौरान जारी अपने विभिन्न आदेशों के माध्यम से सी जी आर एफ के आदेशों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जाँच मीटर एन ए बी एल प्रमाणित नहीं थे।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि प्रत्येक परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एन ए बी एल मान्यता प्राप्त करने में 12-15 महीने के समय के साथ-साथ ₹ दो करोड़ खर्च होते हैं और इसलिए, उ पा का लि के लगभग सभी उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए वि प ख (शहरी), देहरादून और वि प ख, हल्द्वानी के अतिरिक्त चार²¹ परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए एन ए बी एल मान्यता प्राप्त करने की योजना

²¹ वि प ख - श्रीनगर, वि प ख -अल्मोड़ा, वि प ख -हरिद्वार और वि प ख -काशीपुर।

बनाई गई थी। प्रबंधन ने यह भी कहा कि उ पा का लि ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सभी मामलों में रिट याचिका दायर की थी।

वास्तविकता यह है कि उ पा का लि के पास एन ए बी एल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं नहीं थी और उसने विनियमों के गैर-अनुपालन से बचने के लिए अन्य एन ए बी एल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग नहीं किया, जिससे ₹ 2.79 करोड़ की हानि हुई।

(vi) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंध भार का उल्लंघन

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खण्ड 5.2.3(1)(ब) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि घरेलू उपभोक्ताओं की अधिकतम माँग²² लगातार तीन बिलिंग चक्रों के लिए स्वीकार्य सीमाओं से अधिक पाई जाती है, तो उपभोक्ताओं को चौथे बिलिंग चक्र के बिल के साथ एक नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि वे या तो अनुबंधित भार की सीमा में अपना भार सीमित करें या अतिरिक्त भार के लिए आवेदन करें, पाँचवे बिलिंग चक्र के दौरान ऐसा करने में विफल रहने पर, लाइसेंसधारी पिछले पाँच बिलिंग चक्रों में दर्ज अधिकतम माँग के औसत के आधार पर छठे बिलिंग चक्र में ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं के अनुबंधित भार में वृद्धि करेगा। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा माँग के उल्लंघन के ये प्रावधान 01 अप्रैल 2021 से लागू थे।

उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा पाँच बिलिंग चक्रों (जनवरी 2022 से सितम्बर 2022) के बिलिंग आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से पता चला कि 32,041 उपभोक्ताओं ने पाँच बिलिंग चक्रों में लगातार अनुबंधित भार की सीमा को पार कर लिया था। तदनुसार, उ पा का लि को छठे बिलिंग चक्र यानी अक्टूबर 2022 से उनके अनुबंधित भार में वृद्धि करना आवश्यक था। हालाँकि, उ पा का लि ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ दर के अनुसार वसूली योग्य माँग शुल्क के संबंध में प्रति माह ₹ 45.47 लाख के राजस्व की हानि हुई। अगस्त 2023 तक राजस्व की हानि ₹ पाँच करोड़²³ आंकी गई।

²² अधिकतम माँग कि वा या कि वो ए में, जैसे भी मामला हो, का अर्थ है अधिकतम उपयोग की अवधि के दौरान लगातार 30/15 मिनट (उपयोग में होने वाले मीटर के प्रकार के अनुसार) में आपूर्ति की जाने वाली औसत कि वा या कि वो ए।

²³ ₹ 45.47 लाख x 11 महीने (अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023)।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2024) कि उक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों में कोविड-19 महामारी भी एक कारण थी। हालाँकि, इसने उक्त प्रावधानों को लागू किया और 1.34 लाख उपभोक्ताओं (211 मेगावाट के संगत भार के साथ) के अनुबंधित भार में वृद्धि की और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के कारण ₹ 10.83 करोड़ की राशि भी जुटाई/बिल निर्गत किए।

(vii) घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य द्वारा अनुबंधित भार का उल्लंघन

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम 2020 के खण्ड 5.2.3 (1) सपठित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य पर **अतिरिक्त भार/ माँग दंड** के रूप में निर्धारित शुल्क की सामान्य दर से दोगुना जुर्माना केवल उस महीने के लिए देय था जिसमें अधिकतम माँग²⁴ अनुबंधित भार से अधिक थी।

इसके अतिरिक्त, उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खंड 5.2.3 (2) में प्रावधानित है कि जब अधिकतम माँग लगातार तीन बिलिंग चक्रों के लिए अनुबंधित भार से अधिक हो, उपभोक्ता को तीसरे बिल के साथ एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें उसे या तो भार को अनुबंधित भार के भीतर सीमित करने या अतिरिक्त भार के लिए आवेदन करने के लिए सूचित किया जाएगा, ऐसा न करने पर, ऐसे **अतिरिक्त भार/ माँग** के लिए शुल्क, टैरिफ आदेश के साथ पठित **खंड 5.2.3 (1) के अनुसार** अतिरिक्त भार/ माँग दंड उल्लंघन के लिए शुल्क का दोगुना होगा, यानी प्रभावी रूप से उ वि नि आ द्वारा निर्धारित सामान्य नियत शुल्क का चार गुना होगा।

विनियमों के उक्त प्रावधान उन उपभोक्ताओं के मामलों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम कर सकते हैं जो लगातार अपने अनुबंधित भार का उल्लंघन करते हैं लेकिन अपने अनुबंधित भार को बढ़ाने के लिए अनिच्छुक हैं। हालाँकि, इन प्रावधानों को तीन साल से अधिक के विलंब से दिसम्बर 2023 में लागू किया गया था। लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच के तौर पर अपने अनुबंधित भार का उल्लंघन करने वाले 43 औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलिंग आंकड़ों का विश्लेषण किया और जून 2021 से नवम्बर 2023 की अवधि के दौरान ₹ 1.59 करोड़ के अतिरिक्त भार माँग दंड के गैर-आरोपण की गणना की **(परिशिष्ट-4.5)**।

²⁴ उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के प्रस्तर 1.2 (ii) के अनुसार "अधिकतम माँग" किलोवाट या के वी ए में अधिकतम माँग को संदर्भित करता है, जैसा भी मामला हो, अधिकतम उपयोग की लगातार 30/15 मिनट (उपयोग किए जा रहे मीटर के प्रकार के आधार पर) अवधि के दौरान आपूर्ति की गई औसत किलोवाट या के वी ए का अर्थ होगा, जहाँ ऐसा मीटर किलोवाट या के वी ए में अधिकतम माँग को सीधे पढ़ने की विशेषताओं के साथ होगा।

प्रबंधन ने कोविड-19 और दंड प्रावधानों की विभिन्न व्याख्याओं का हवाला देते हुए उ वि नि आ से उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता को इन प्रावधानों के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों के रूप में विदित किया और अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उसने दिसम्बर 2023 से चार गुना अतिरिक्त माँग दण्ड के प्रावधानों को लागू किया और घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त, भार का उल्लंघन करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ₹ 40.85 करोड़ (₹ 27.93 करोड़ वसूल) की अतिरिक्त माँग शुल्क अधिरोपित की (अगस्त 2024)।

लेखापरीक्षा का मत है कि प्रबंधन द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उ वि नि आ से समय पर प्राप्त कर इस तरह के राजस्व संबंधी मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।

(viii) मीटरों का अपर्याप्त आवधिक निरीक्षण/परीक्षण और मापांकन

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम 2020 के खंड 5.1.3 में प्रावधान है कि उ पा का लि मीटरों का आवधिक भौतिक निरीक्षण/परीक्षण और मापांकन करेगा। तदनुसार, सभी एच टी मीटर (निरीक्षण/परीक्षण/मापांकन सहित) और एल टी मीटर क्रमशः प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार जाँच के लिए योग्य थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान उ पा का लि द्वारा की गई जाँचों की संख्या अपर्याप्त थी और इसने किसी विशेष मीटरकी जाँच की आवधिकता की निगरानी और सत्यापन के लिए कोई आई टी आधारित तंत्र स्थापित नहीं किया। हालाँकि, उ पा का लि ने (मई 2019) फील्ड इकाइयों के लिए मीटरों की जाँच, निरीक्षण और उपभोक्ताओं के अध्ययन के आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किए थे, जैसा कि **परिशिष्ट-4.6** में वर्णित है। वर्षवार समेकित लक्ष्य और जाँच का विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका-4.12: जाँच लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियां

वर्ष	आंतरिक लक्ष्य	जाँच	जाँच की प्रतिशतता	चोरी के विरुद्ध एफ आई आर	मूल्यांकन (₹ करोड़ में)	वसूली (₹ करोड़ में)	वसूली की प्रतिशतता
2021-22	60,120	16,040	26.68	3,695	37.43	2.02	5.40
2022-23	60,480	21,962	36.31	5,250	50.40	28.22	55.99
2023-24	61,320	19,823	32.33	3,576	18.42	3.92	21.28
योग	1,81,920	57,825	31.78	12,521	106.25	34.16	32.15

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जांचे गए मीटरों की संख्या प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम थी एवं 2021-22 से

2023-24 के मध्य केवल 31.78 प्रतिशत रही। संबंधित आकलनों के विरुद्ध वसूली भी केवल 32.15 प्रतिशत रही। लक्ष्यों की तुलना में जांचे गए मीटरों की संख्या काफी कम थी।

चूंकि मीटरों की जांच/अध्ययन का उद्देश्य एक नियामक आवश्यकता है तथा विद्युत चोरी की रोकथाम/पता लगाना, सटीक बिलिंग, सुरक्षा में सुधार और हानि को कम करना, सुनिश्चित करना है। इसलिए उ पा का लि के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि आवश्यक संख्या में मीटरों/संयोजनों की जांच की जाए और ऐसी सभी जाँचों (आंतरिक रूप से या आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से की गई) का एक डेटाबेस बनाए रखा जाए।

जाँच/परीक्षण लक्ष्यों (मई 2019) में अनुबंधित भार 500 के वी ए से 1000 के वी ए और अनुबंधित भार 1000 के वी ए से अधिक वाले सभी मीटरों का कम से कम प्रत्येक साल एक बार अध्ययन किया जाना सम्मिलित था। हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों में इस तरह के उपभोक्ताओं का अध्ययन नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उसने आवधिक जाँच और मीटरों की जाँच के लिए आउटसोर्स एजेंसियों को लगाया था। प्रबंधन ने यह भी अवगत कराया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करने के साथ ही जाँच की स्थिति, राजस्व आकलन और वसूली की नियमित समीक्षा व निगरानी के लिए एक समर्पित निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, 3937 एच टी मीटरों की जाँच के लिए निविदाएँ जारी की गई हैं और उपलब्ध जनशक्ति और समय के अनुसार मीटरों की जाँच की जा रही है।

4.1.8.2 राजस्व वसूली से संबंधित निष्कर्ष

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 का खण्ड 6.1, उ पा का लि को नियमित रूप से भेजे गए बिल-सह-विच्छेदन नोटिस (यानी विद्युत बिल) के 15 दिनों के भीतर उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में अस्थायी आधार पर विद्युत आपूर्ति बंद कर चूक करने वाले ग्राहकों के विरुद्ध अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, यदि अस्थायी विच्छेदन की तिथि से छः महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर और उपकरणों को हटाकर स्थायी विच्छेदन किया जाएगा और बकाया राशि की वसूली के लिए राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (रा व प्र) जिला अधिकारियों को अग्रेषित करके बकाया राशि को भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए बकाया की स्थिति नीचे तालिका-4.13 में दी गई है:

तालिका-4.13: देय विद्युत बकाया का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण/वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
1	प्रारंभिक शेष	2,258.15	2,297.48	2,201.13 ²⁵
2	बिल की गई आय	7,838.63	8,911.79	9,990.86
3	कुल वसूली योग्य बकाया (1+2)	10,096.78	11,209.27	12,191.99
4	प्राप्त बकाया	7,692.58	8,821.75	9,904.86
5	माफ किए गए बकाया	106.72	185.99	38.50
6	वर्ष के अंत में शेष (3-4-5)	2,297.48	2,201.53	2,248.63

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

राजस्व वसूली और संग्रहण दक्षता पर विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

(i) संग्रहण दक्षता अनुपात

संग्रहण दक्षता अनुपात²⁶ (सं द अ) आवधिक आधार पर इकाई की बकाया वसूली प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। वितरण कंपनियों के संबंध में, एक उच्च अनुपात दर्शाता है कि वसूली तंत्र के लिए सु-स्थापित प्रक्रियाएं मौजूद हैं और वितरण कंपनियों की बिक्री मीटरयुक्त संयोजनों के माध्यम से की जा रही हैं। इसके विपरीत, एक कम अनुपात उपभोक्ताओं से देय धनराशि वसूलने में बहुत ही उदार दृष्टिकोण और चूक करने वाले उपभोक्ताओं से निपटने के लिए कड़े उपायों की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ पा का लि स्तर पर सं द अ की समग्र उपलब्धि संग्रहण दक्षता के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के निकट थी जैसा कि चार्ट-4.7 में दर्शाया गया है। हालाँकि, विश्लेषण से पता चला है कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान कुल वि वि ख में से 44 प्रतिशत से 67 प्रतिशत वि वि ख (पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित लोगों को छोड़कर) 99.15 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। संग्रहण दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने वाले वि वि ख का विवरण नीचे तालिका-4.14 में दिया गया है:

तालिका-4.14: संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त न करने का विवरण

वर्ष	ऐसे वि वि ख की संख्या जो लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे/कुल वि वि ख (पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर)	शीर्ष पाँच वि वि ख और उनके सं द अ (प्रतिशत में)
2021-22	18/27	विकासनगर (87.45), हल्द्वानी शहरी (91.71), हरिद्वार-शहरी (93.98), रुड़की-शहरी (94.17) रुद्रपुर-II (94.19).


²⁵ आर टी एस-4 में वाणिज्यिक डेयरी में ₹ 0.40 करोड़ का समायोजन हुआ।

²⁶ उ वि नि आ द्वारा टैरिफ आदेश 2022-23 में तैयार संग्रहण दक्षता अनुपात की कार्यप्रणाली= (वर्तमान मूल्यांकन + बकाया) की वसूली / वर्तमान मूल्यांकन।

वर्ष	ऐसे वि वि ख की संख्या जो लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे/कुल वि वि ख (पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर)	शीर्ष पाँच वि वि ख और उनके सं द अ (प्रतिशत में)
2022-23	12/27	लक्सर (83.87), मध्य-देहरादून (91.21), रूड़की-शहरी (92.79), रुद्रपुर-II (93.62), हल्द्वानी शहरी (93.93).
2023-24	15/28	लक्सर (84.33), विकासनगर (94.84), रामनगर रूड़की (94.04), ज्वालापुर (94.19), हल्द्वानी शहरी (95.28).

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, 15 वि वि ख संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे (वि वि ख लक्सर और वि वि ख हल्द्वानी शहरी सहित जो पिछले वर्षों में भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे)। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान लक्ष्यों और उनके विरुद्ध उपलब्धियों का तिमाही-वार विश्लेषण नीचे चार्ट-4.7 में दर्शाया गया है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

यह देखा जा सकता है कि सं द अ लक्ष्यों से कम और चक्रीय आधार पर रहा है, जो वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में लक्ष्यों के निकट रहा है। यह विशेष रूप से उपरोक्त वित्तीय वर्षों की अंतिम तिमाही के दौरान वि वि ख द्वारा किए गए राजस्व संग्रहण अभियानों के कारण था।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि राजस्व वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे थे। डिजिटल/ऑनलाइन भुगतान विधियों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डिजिटल और प्रिंट मीडिया का उपयोग किया जा रहा था।

(ii) वर्ष के प्रारम्भिक महीनों के दौरान खराब संग्रहण दक्षता

अभिलेखों से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माहों में खराब संग्रहण की सामान्य प्रवृत्ति पाई गई, जो बाद के माहों में धीरे-धीरे बढ़ गई। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के प्रथम छः महीनों के दौरान खराब मासिक सं द अ वाले शीर्ष पाँच वि वि ख (परिशिष्ट-4.7) संक्षेप में नीचे तालिका-4.15 में दर्शाये गए हैं:

तालिका-4.15: वर्ष के प्रारम्भिक छह महीनों के दौरान खराब संग्रहण दक्षता वाले वि वि ख (प्रतिशत में)

क्र. सं.	खण्डों का नाम	अप्रैल से सितम्बर की अवधि के दौरान सं द अ की सीमा		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	विकासनगर	38.82 - 68.74	49.19 - 78.88	50.65 - 69.09
2	हल्द्वानी (शहरी)	31.46 - 55.58	39.28 - 62.77	41.08 - 65.05
3	रामनगर (रुड़की)	49.63 - 74.68	45.00 - 74.97	43.86 - 77.12
4	रुड़की (शहरी)	34.97 - 72.28	55.52 - 76.80	55.52 - 77.07
5	हल्द्वानी (ग्रामीण)	30.35 - 68.87	42.69 - 82.80	47.82 - 79.33


स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उ वि नि आ ने वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ पर अपने आदेश (31 मार्च 2022) में वर्ष के प्रारम्भिक छः महीनों के दौरान खराब संग्रहण दक्षता के प्रति भी चिंता व्यक्त की है और उ पा का लि से इसके लिए एक कार्य योजना मांगी है। इस संबंध में उ वि नि आ के आगे के निर्देशों (मार्च 2024) पर, उ पा का लि ने खण्डवार संग्रहण और हानि न्यूनीकरण प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करने और इन मापदंडों में सुधार के उपाय सुझाने के लिए निदेशकों की एक समिति का गठन किया (सितम्बर 2024)।


(iii) राजस्व वसूली और बकाया का प्रवृत्ति विश्लेषण

राजस्व वसूली²⁷ का प्रवृत्ति विश्लेषण दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अंतिम तिमाही के अंत में लंबित देय/ बकाया न्यूनतम था, जो शेष तीन तिमाहियों के लिए धीरे-धीरे एवं लगातार बढ़ा और चौथी तिमाही में फिर से गिर गया, जैसा कि परिशिष्ट-4.8 में वर्णित है और नीचे चार्ट-4.8 में दर्शाया गया है:

²⁷ उपभोक्ताओं से संबंधित (आर टी एस-1, आर टी एस-2, आर टी एस-3, आर टी एस-4 और आर टी एस-5)।



यह देखा जा सकता है कि आर टी एस-4 (निजी नलकूप) के विरुद्ध बकाया में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है (₹ 189.93 करोड़ से ₹ 230.40 करोड़), जो 2021-22 से 2023-24 के दौरान 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है जैसा कि नीचे चार्ट-4.9 में दर्शाया गया है:



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त से यह भी संकेत मिलता है कि निजी नलकूप उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही थी।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि नकदी अंतर्वाह की निगरानी के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही थीं और इसी के अनुक्रम में चूककर्ता उपभोक्ताओं के संयोजनों को विच्छेदित किया जा रहा था एवं भूमि राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा-3 और धारा-5 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही की जा रही थी। यह भी अवगत कराया गया कि खण्ड एवं मण्डल स्तर पर राजस्व वसूली, बिलिंग दक्षता, वितरण हानि आदि जैसे विभिन्न वाणिज्यिक मापदंडों की नियमित समीक्षा और निगरानी के लिए एमडी डैशबोर्ड नामक एक इंटरफेस विकसित किया गया था।

(iv) प्रतिभूति जमा से ₹ 769.10 करोड़ अधिक का बकाया

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खण्ड 6.1 में अनुमान्य समय या विस्तारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को काटने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियमों के खण्ड 4.2 के अनुसार उ पा का लि को प्रतिभूति जमा²⁸ (प्र ज) की पर्याप्तता के लिए प्रत्येक साल अप्रैल में उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न की समीक्षा करनी होगी और पिछले वर्ष के दौरान खपत के आधार पर उपभोक्ताओं से आवश्यक अतिरिक्त प्रतिभूति जमा (अ प्र ज) की गणना की जाएगी। विनियमों में आगे प्रावधान है कि अ प्र ज के कारण बकाया राशि के भुगतान में किसी भी तरह की चूक को लाइसेंसधारी की बकाया राशि का भुगतान न करने के रूप में माना जाएगा और उपभोक्ता का कनेक्शन अस्थायी रूप से काटा जा सकता है, तत्पश्चात उचित नोटिस देने के बाद स्थायी रूप से काटा जा सकता है। तदनुसार, उ पा का लि को बकाया राशि के संचय से बचने के लिए चूक करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के लिए समय पर कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के अनुसार, इस तरह की बकाया राशि को उपलब्ध प्र ज से अधिक संचित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

²⁸ एक उपभोक्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के एन + 1 महीने की अनुमानित औसत खपत के समतुल्य या मौजूदा प्रतिभूति जमा, जो भी अधिक हो, की धनराशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यहां, एन टैरिफ आदेश में अनुमोदित बिलिंग चक्र में महीनों की संख्या है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ पा का लि ने चूक करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की और वास्तव में, उपभोक्ताओं को खंड 6.1 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए देय राशि को संचित करने दिया गया। बकाया देय राशि (₹ 5,000 से अधिक के उभोक्ता) के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 2.87 लाख उपभोक्ताओं पर देय राशि भी उ पा का लि के पास उपलब्ध प्र ज से अधिक है।

उपभोक्ताओं का श्रेणीवार विवरण नीचे तालिका-4.16 में दिया गया है:

तालिका-4.16: प्रतिभूति जमा से अधिक बकाया राशि का विवरण


आर टी एस	(सजीव) उपभोक्ताओं की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)		
		बकाया राशि	उपलब्ध प्र ज	प्र ज से अधिक बकाया राशि
आर टी एस-1 (1 अ सहित): घरेलू उपभोक्ता	2,34,780	577.32	17.52	559.80
आर टी एस-2: गैर-घरेलू उपभोक्ता	33,025	113.28	11.29	101.99
आर टी एस-4 (4 अ सहित): निजी नलकूप	1,81,64	77.07	1.69	75.38
आर टी एस-5 ²⁹ : उद्योग	913	44.82	12.89	31.93
योग	2,86,882	812.49	43.39	769.10

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि उ पा का लि द्वारा समय पर कार्रवाई की कमी के कारण बकाया देय राशि ₹ 812.49 करोड़ हो गई। चूंकि बकाया राशि उपलब्ध प्रतिभूति जमा से ₹ 769.10 करोड़ अधिक है, इसलिए इसने उ पा का लि को महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों के प्रति उजागर किया, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में वर्णित है।

इसके अतिरिक्त, आर टी एस-5 (पूर्ववर्ती आर टी एस-7) अर्थात् औद्योगिक उपभोक्ताओं के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बकाया का 74.48 प्रतिशत (₹ 23.78 करोड़) हिस्सा शीर्ष 10 (913 में से) उपभोक्ताओं का था, जैसा कि नीचे चार्ट-4.10 में दर्शाया गया है:

²⁹ पूर्ववर्ती आर टी एस-7।



स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त विश्लेषण से विदित होता है कि वि वि ख और उनके उच्च कार्यालयों जैसे मण्डल/जोनल कार्यालय और उ पा का लि मुख्यालय द्वारा बकाएदारों से वसूली की निगरानी सावधानीपूर्वक नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, बकाया देयक उ पा का लि के पास उपलब्ध प्रतिभूति जमा राशि से अधिक हो गये हैं। बकाएदारों के कुछ प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

लेखापरीक्षा में जाँच से पता चला है कि:

- औद्योगिक उपभोक्ता मै. उत्तरांचल आयरन & स्पाट लिमिटेड (यू एस आई एल) (कनेक्शन संख्या केटी0के00000909) को विद्युत बकाया, उ पा का लि के पास उपलब्ध प्रतिभूति जमा (₹ 1.07 करोड़) की राशि से अधिक संचित करने की अनुमति दी गई। बकाया देयक ₹ 5.06 करोड़ (जुलाई 2019) तक संचित थे जो बढ़कर ₹ 7.62 करोड़ (जनवरी 2020), तथा ₹ 6.71 करोड़ (मार्च 2023) हो गये।
- बकाया राशि के विरुद्ध लगातार चूक/ आंशिक भुगतान के बावजूद, मै. यू एस आई एल को अप्रैल 2016 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान एक के बाद एक, सात बार किस्त सुविधा के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति दी गई। वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान दी गई किस्त सुविधा का विवरण नीचे तालिका-4.17 में दिया गया है:

तालिका-4.17: मै. यू एस आई एल को प्रदत्त किस्त सुविधाओं का विवरण

वर्ष	सुविधा प्रदान करने की तिथि	सुविधा राशि (₹ करोड़ में)	अनुमत किस्तों की संख्या	स्थिति/बकाया (31 मार्च 2024)
2019-20	21.01.2020	6.35	12	औद्योगिक इकाई फरवरी
2021-22	19.06.2021	9.51	24	2024 में बंद हो गयी।
2022-23	20.07.2022	5.70	29	बकाया: ₹ 8.12 करोड़

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

- लेखापरीक्षा ने जुलाई 2018, सितम्बर 2021 तथा उसके बाद अप्रैल 2023 में निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से मै. यू एस आई एल द्वारा बकाया भुगतान न किए जाने का मुद्दा उठाया था हालाँकि, उपभोक्ता को आंशिक भुगतान/भुगतान चूक जारी रखने की अनुमति दी गई और विनियमों के अनुसार कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।
- उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति को लगभग 10 बार अस्थायी रूप से काटा (जनवरी 2024 में अंतिम अस्थायी विच्छेदन ₹ 8.12 करोड़ की लागत से) गया, हालाँकि, बकाया राशि की पूर्ण वसूली किए बिना आपूर्ति बहाल कर दी गई।
- उपभोक्ता के परिसर को ₹ 32.73 करोड़ के बकाया के सापेक्ष इंडियन ओवरसीज बैंक (इं ओ बै) द्वारा कब्जे में ले लिया गया और नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी (फरवरी 2024)।

इं ओ बै द्वारा परिसरों को जब्त करने तथा उक्त परिसरों के सिडकुल क्षेत्र में होने के दृष्टिगत, उ पा का लि के बकाया देयक (₹ 8.12 करोड़) की वसूली की संभावना बहुत कम है।

एक अन्य दृष्टांत में, यह पाया गया कि:


- औद्योगिक उपभोक्ता मै. खटीमा फाइबर्स लिमिटेड (कनेक्शन संख्या केएच0के000003327) को प्रतिभूति जमा से अधिक विद्युत बकाया संचित करने दिया गया। बकाया देयक ₹ 6.99 करोड़ (अक्टूबर 2019) से बढ़कर ₹ 8.66 करोड़ (जुलाई 2022) हो गये तथा ₹ 5.87 करोड़ (मार्च 2024) तक थे।
- जून 2017 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान उपभोक्ता को आठ बार किस्त सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान दी गई किस्त सुविधाओं का विवरण नीचे तालिका-4.18 में दिया गया है:

तालिका-4.18: मै. खटीमा फाइबर लिमिटेड को प्रदत्त किस्त सुविधाओं का विवरण

वर्ष	सुविधा प्रदान करने की तिथि	सुविधा राशि (₹ करोड़ में)	अनुमत किस्तों की संख्या	स्थिति/बकाया (31 मार्च 2024)
2021-22	27-05-2021	4.32	6	उपभोक्ता अक्टूबर 2023 से सी आई आर पी ³⁰ के अंतर्गत है। बकाया: ₹ 5.87 करोड़
	28-12-2021	2.09	4	
2022-23	08-07-2022	6.45	10	

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

- लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2023 में निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से मै. खटीमा फाइबर लिमिटेड द्वारा भुगतान चूक का मुद्दा उठाया। हालाँकि, उपभोक्ता के खिलाफ विनियमों के अनुसार कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई।
- 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान मै. खटीमा फाइबर लिमिटेड के सापेक्ष बकाया देय, उपलब्ध प्रतिभूति जमा और किस्तों का प्रक्षेपवक्र नीचे चार्ट-4.11 में दर्शाया गया है:



³⁰ कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया।

- इसके बाद, उ पा का लि को पता चला कि वित्तीय लेनदारों/ उधारदाताओं द्वारा उपभोक्ता को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (दि शो अ सं) 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कॉ दि स प्र) में लाया गया था (22 अक्टूबर 2023)। परिणामस्वरूप, उ पा का लि का राजस्व ₹ 4.65 करोड़ (कॉ दि स प्र से पूर्व के बकाया के रूप में) कॉ दि स प्र में फंस गया, जिससे वसूली की नगण्य³¹ संभावनाएँ दिखाई देती हैं। कुल बकाया ₹ 7.63 करोड़ (31 मार्च 2025) रहा।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि बकाया राशि को प्रतिभूति जमा से अधिक होने देना और उपरोक्त उपभोक्ताओं को कई बार किस्त की सुविधा का लाभ देना उ पा का लि के वित्तीय और वाणिज्यिक हितों के विरुद्ध था।

**अ प्र ज की वसूली की दिशा में
नवीनतम घटनाक्रम**

इससे पहले जनवरी-फरवरी 2023 में, अ प्र ज की वसूली न करने का मामला भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था, जो अप्रैल 2023 में उ पा का लि को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन का हिस्सा था।

उ पा का लि द्वारा दायर याचिका (मार्च 2023) पर, उ वि नि आ ने (नवंबर 2023) उ पा का लि को मासिक विद्युत बिल में बकाया अ प्र ज की राशि जोड़कर अधिकतम 12 समान मासिक किस्तों (ई एम आई) में अ प्र ज के बकाया को वसूलने की अनुमति दी।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवंबर 2024) कि उ पा का लि ने अ प्र ज के तहत वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) में ₹ 181.08 करोड़ की वसूली/बिलों में समायोजित किया।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जून 2024 और नवम्बर 2024) कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों को ऐसे सभी संयोजनों की पहचान करने, जिनके बकाया उ पा का लि के पास उपलब्ध उनकी प्रतिभूति जमा राशि से अधिक हो गए हों और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

अ प्र ज की वसूली की दिशा में प्रबंधन की कार्रवाई को स्वीकार किया जाता है। तथापि, उ पा का लि द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेशों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे, जैसा कि औद्योगिक उपभोक्ताओं

³¹ दिवालियापन प्रक्रिया से प्राप्त राशि के वितरण की वॉटरफॉल प्रणाली में सी आई आर पी-पूर्व विद्युत बकाया राशि के भुगतान का चरण बहुत बाद में आता है, तथा इसकी वसूली की संभावना बहुत कम होती है।

मै. यू एस आई एल और मै. खटीमा फाइबर्स लिमिटेड के मामलों में देखा गया था, जहाँ पर्याप्त राजस्व वसूली करने योग्य नहीं रह गया था। इसके अतिरिक्त, नियमित आधार पर ऐसे मामलों की समीक्षा करने में वरिष्ठ प्रबंधन की सुविधा के लिए बिलिंग प्रणाली में कोई संकेतक नहीं बनाया गया है।

(v) कॉ दि स प्र के बाद बकाया राशि के गलत दावे के कारण ₹ 0.37 करोड़ की हानि

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, (आई बी कोड)-2016 के अंतर्गत ऋणदाताओं/उधारदाताओं द्वारा कॉ दि स प्र में लाए गए विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ बकाया राशि का निपटारा संहिता की धारा 53 के अंतर्गत किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ एक कॉर्पोरेट व्यक्ति की बिक्री/परिसमापन से प्राप्त आय के वितरण के क्रम और प्राथमिकता का विवरण देते हुए वाटरफॉल तंत्र³² प्रदान करता है।

चूंकि परिचालन ऋणदाताओं को वितरण तंत्र में कम प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए विद्युत बकाया राशि के लिए कुछ भी वसूलने की संभावना नगण्य है।

आई बी कोड की धारा 14(2) और धारा 14(2अ) के साथ पठित धारा 5(13), अन्य बातों के साथ-साथ, कॉ दि स प्र लागत को कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के संचालन हेतु समाधान पेशेवर (आई आर पी/आर पी) द्वारा उठाए गए किसी भी खर्च के रूप में परिभाषित करता है (उ पा का लि के संदर्भ में, विद्युत उपभोक्ता जिसे दिवालियापन प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया है और जिसका प्रतिनिधित्व आई आर पी/आर पी द्वारा किया गया है) तथा आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति स्थगन की अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि ऐसे कॉर्पोरेट देनदार ने स्थगन अवधि के दौरान ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान नहीं किया हो या ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

तदनुसार, सी आई आर पी के बाद विद्युत का बकाया संबंधित आई आर पी/आर पी से वसूल किया जा सकता है।

³² प्राथमिकता: पहली: आई आर पी लागत, दूसरी: कामगारों का बकाया- 24 महीने और सुरक्षित लेनदार को देय ऋण, तीसरी: कर्मचारियों का वेतन- 12 महीने, चौथी: वित्तीय ऋण- असुरक्षित लेनदार, पाँचवीं: सरकारी बकाया, और छठी: परिचालन लेनदारों सहित शेष ऋण, उसके बाद सातवीं: शेयरधारक।

वि वि ख भगवानपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक औद्योगिक उपभोक्ता अर्थात मै. पैलेट एनर्जी सिस्टम (प्रा.) लिमिटेड (कनेक्शन संख्या बीएच0के0000026612) 20 जुलाई 2018 से कॉ दि स प्र के अंतर्गत था। तदनुसार, कॉर्पोरेट देनदार के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखभाल के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर (आई आर पी) नियुक्त किया गया था। उपभोक्ता की आपूर्ति का स्थायी विच्छेदन 24 सितम्बर 2022 को किया गया था।

आई आर पी/आर पी ने उ पा का लि से कॉ दि स प्र के बाद की देनदारियों से संबंधित जानकारी मांगी, तदनुसार, उ पा का लि ने ₹ 2.82 करोड़ (कॉ दि स प्र से पूर्व की अवधि से संबंधित ₹ 0.37 करोड़ और कॉ दि स प्र के बाद की अवधि के रूप में ₹ 2.45 करोड़) की कुल वसूली योग्य देनदारियों की गणना की, जिसके सापेक्ष उ पा का लि के पास ₹ 0.43 करोड़ की प्रतिभूति जमा पहले से ही उपलब्ध थी। हालाँकि, इसने कॉ दि स प्र के बाद की बकाया राशि से ₹ 0.43 करोड़ की उपलब्ध प्रतिभूति जमा समायोजित करने के बाद केवल ₹ 2.02 करोड़ का दावा किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपलब्ध प्रतिभूति जमा राशि ₹ 0.43 करोड़ को पहले कॉ दि स प्र -पूर्व अवधि के ₹ 0.37 करोड़ के बकाया में समायोजित किया जाना आवश्यक था और शेष ₹ 0.06 करोड़ को कॉ दि स प्र पश्चात बकाया ₹ 2.45 करोड़ में समायोजित किया जाना चाहिए था। इसलिए, आई आर पी/आर पी से ₹ 2.39 करोड़ की माँग की जानी चाहिए थी।

तदनुसार, उ पा का लि द्वारा दावा किए गए ₹ 2.02 करोड़ के कॉ दि स प्र पश्चात बकाया का भुगतान आई आर पी द्वारा (मई 2023) किया गया। इस प्रकार, उपलब्ध प्रतिभूति जमा के गलत समायोजन के कारण, उ पा का लि को ₹ 0.37 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2024) कि प्रकरण की समीक्षा करने तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई है।

समिति की परिणाम/जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत थी।

(vi) समुचित जाँच के बिना उपभोक्ताओं को किस्त सुविधाएं प्रदान करना

उ पा का लि द्वारा विशेष परिस्थितियों के कारण लंबित विद्युत बकाया वाले उपभोक्ताओं को किस्त सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई संशोधित आंतरिक नीति (मई 2017) के अनुसार, उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किस्तों में अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जानी थी। किस्त सुविधा प्रदान करने की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान था कि, किस्तों के भुगतान में चूक की स्थिति में, किस्तों में बकाया भुगतान की सुविधा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

हालाँकि, छः ऐसे प्रकरणों में (जिनमें उपभोक्ता, मै. उत्तरांचल आयरन & इस्पात लिमिटेड केटी0के000000909 और मै. खटीमा फाइबर्स लिमिटेड # केएच0के000003327 सम्मिलित हैं, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर में चर्चा की गई है।) जहाँ औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार किस्त सुविधाएं प्रदान की गईं। बिना सम्यक प्रयत्नों के, कई बार किस्त सुविधाएं प्रदान करने का मुद्दा, लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन (अप्रैल 2023) के माध्यम से उठाया गया था और इस वि वि अ ले प के दौरान फिर से इसका अनुसरण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, उ पा का लि ने सुविधा प्रदान करते समय अपनाई जाने वाली यथोचित जाँच प्रक्रिया तैयार की (जनवरी 2024)। संशोधित नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को उस राशि के बराबर बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है जिसके लिए किस्त सुविधा मांगी गई है ताकि जोखिम को न्यूनतम किया जा सके और निगम को किसी भी हानि से बचाया जा सके।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि नीति को अनुमोदन के लिए नि मं के समक्ष रखा गया था, हालाँकि, नि मं ने अन्य सुरक्षा विकल्पों यथा एस्करो बैंक खाता खोलना और किस्त सुविधा के लिए अनुरोध करने वाले बकायेदार उपभोक्ताओं से पोस्ट-डेटेड चेक लेना आदि सम्मिलित करते हुये पुनः तैयार करने का निर्देश दिया। यह प्रबंधन के समक्ष विचार-विमर्श के अधीन है और आगामी नि मं बैठक में नि मं के समक्ष रखा जाएगा।

किस्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए यथोचित जाँच प्रक्रिया /तंत्र तैयार करने की दिशा में प्रबंधन कार्रवाई को स्वीकार किया जाता है। हालाँकि, उक्त तंत्र को अभी तक नि मं (जनवरी 2025) द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी था।

(vii) राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विरुद्ध कम वसूली

उ पा का लि को उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश राजकीय विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1958} अनुकूलन एवं संशोधन आदेश-2002 की धारा-3 के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी करने और उसके बाद बकाया राशि को भू-राजस्व के रूप में चूककर्ता उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए उक्त आदेश की धारा-5 के अंतर्गत जिला अधिकारियों को रा व प्र अग्रेषित करने का अधिकार दिया गया है।

2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान धारा-5 के अंतर्गत जारी रा व प्र व उनके सापेक्ष राजस्व वसूली का विवरण नीचे तालिका-4.19 में दिया गया है:

तालिका-4.19: वसूली प्रमाणपत्रों के सापेक्ष वसूली

विवरण/वर्ष	रा व प्र का माध्यम	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
जारी किए गए रा व प्र (संख्या)	ऑफलाइन	5467	5036	5376	15879
	ऑनलाइन	3041	6895	5393	15329
	योग	8,508	11,931	10,769	31208
वसूली योग्य बकाया राशि (₹ करोड़ में)	ऑफलाइन	15.66	21.6	19.75	57.01
	ऑनलाइन	8.49	49.47	30.36	88.32
	योग	24.15	71.07	50.11	145.33
मार्च 2024 तक वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	ऑफलाइन	1.2	1.62	0.65	3.47
	ऑनलाइन	0.86	5.84	3.68	10.38
	योग	2.06	7.46	4.33	13.85
प्रतिशत वसूली	ऑफलाइन	7.66	7.5	3.29	6.09
	ऑनलाइन	10.13	11.81	12.12	11.75
	योग	8.53	10.5	8.64	9.53

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

तालिका से यह स्पष्ट है कि समग्र वसूली की स्थिति काफी खराब रही है और 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान यह केवल 9.53 प्रतिशत रही। यह भी पाया गया कि ऑनलाइन माध्यम (अर्थात् बिलिंग मॉड्यूल) से जारी रा व प्र के सापेक्ष वसूली ऑफलाइन माध्यम (अर्थात् हस्तलिखित जारी) में जारी की गई वसूली से थोड़ी अधिक थी।

रा व प्र से संबंधित अन्य अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

- ₹ 12.94 करोड़ की वसूली योग्य बकाया राशि से संबन्धित 4861 रा व प्र को जिला अधिकारियों ने अधूरा पता, उपभोक्ता का पता नहीं चल पाया, पता नहीं मिला आदि कारणों का हवाला देते हुए वापस कर दिया। इन रा व प्र के अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था और इन रा व प्र के विरुद्ध वसूली मार्च 2024 तक लंबित रही।

- इसी प्रकार, 11 स्थायी विच्छेदित उपभोक्ताओं (**परिशिष्ट-4.9**) जिनकी विद्युत आपूर्ति वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान काट दी गई थी, को रा व प्र जारी किए गए थे, लेकिन देय राशि ₹ 1.95 करोड़ अभी भी बकाया थी (मार्च 2024)। इन मामलों में से, दो उपभोक्ताओं अर्थात् मै. रुद्र ऑटो टेक और मै. विंडलास ऑटो के विरुद्ध क्रमशः ₹1.05 करोड़ और ₹ 0.17 करोड़ के लिए रा व प्र जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन उपभोक्ताओं ने वर्ष 2023-24 के दौरान अपना जी एस टी रिटर्न जमा किया था, जो दर्शाता है कि ये उपभोक्ता अभी भी सक्रिय थे और इसलिए, प्रभावशाली अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से बकाया वसूल किया जा सकता था।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे जिला अधिकारियों के साथ ऐसे सभी प्रकरणों के लिए समन्वय बनाए ताकि रा व प्र के सापेक्ष 100 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके और उन मामलों का प्रभावी तरीके से अनुसरण करें जहाँ जिला अधिकारियों द्वारा रा व प्र वापस किए जा चुके हैं। वास्तविकता यह है कि 2021-24 की अवधि से संबंधित ₹ 131.48 करोड़ (जारी: ₹ 145.33 - वसूली: ₹ 13.85 करोड़) मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक रा व प्र के सापेक्ष वसूली अभी भी लंबित है जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन के दिशा निर्देशों के प्रभावशाली अनुपालन की आवश्यकता है।

(viii) हस्त लिखित राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करना

उ पा का लि ने 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 57.01 करोड़ के राजस्व से संबन्धित 15879 हस्त लिखित रा व प्र जारी किए (**तालिका-4.19**) और तत्पश्चात इन रा व प्र का विवरण उच्च प्रबंधन द्वारा राजस्व वसूली की प्रकरणवार निगरानी के लिए उ पा का लि की बिलिंग प्रणाली में दर्ज नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया (मई 2024) कि वि वि ख भगवानपुर द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 2.65 करोड़ के 252 हस्त लिखित रा व प्र जारी करने की सूचना उ पा का लि मुख्यालय को प्रेषित की गई। हालाँकि, वि वि ख भगवानपुर द्वारा मार्च 2022 के दौरान जारी ₹ 8.18 करोड़ के दो रा व प्र (₹ 4.75 करोड़- मै. कामा मेटल्स और ₹ 3.43 करोड़ - मै. उत्तरांचल स्टील) की सूचना उ पा का लि के उच्च प्रबंधन को नहीं दी गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रबंधन ने सभी क्षेत्रीय इकाइयों को केवल ऑनलाइन माध्यम से रा व प्र जारी करने और मासिक रूप से जारी रा व प्र की स्थिति उ पा का लि मुख्यालय को भेजने के निर्देश जारी किए (नवम्बर 2024)। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन द्वारा यह भी अवगत कराया गया (नवम्बर 2024) कि पूर्व में जारी किए गए सभी रा व प्र को निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बिलिंग सिस्टम में प्रविष्ट किया जाएगा।

हालाँकि, ऑफलाइन रा व प्र की बिलिंग सिस्टम में प्रविष्टि करने की दिशा में हुयी प्रगति/अद्यतन स्थिति की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई (जनवरी 2025)।

(ix) स्थायी विच्छेदन में विलंब

उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खंड 6.1 में विद्युत आपूर्ति के अस्थायी विच्छेदन का प्रावधान है, यदि उपभोक्ता द्वारा अनुग्रह अवधि या किसी ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि बकाया राशि का भुगतान अस्थायी विच्छेदन के छः माह के अंदर नहीं किया जाता है, तो कनेक्शन, स्थायी विच्छेदन एवं उपभोक्ता परिसर से मीटर संबंधित बुनियादी ढाँचे को हटाने और भू-राजस्व के रूप में बकाया राशि की वसूली के लिए जिला प्राधिकारियों को रा व प्र जारी करने योग्य है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 16,060 उपभोक्ता (प्रत्येक पर ₹ 1,000 से अधिक बकाया) थे, जिनका कुल बकाया ₹ 80.12 करोड़ (मार्च 2024) था, जैसा कि नीचे तालिका-4.20 में दिया गया है:

तालिका-4.20: लंबित स्थायी विच्छेदन वाले उपभोक्ता

(₹ करोड़ में)

माह	उपभोक्ताओं/संयोजनोंकी संख्या	बकाया देय राशि (31 मार्च 2024)	उपलब्ध प्र ज	प्र ज से अधिक बकाया राशि
6-11	1,548	9.47	0.35	9.12
12-17	3,489	15.74	1.49	14.25
18-24	1,909	11.46	0.38	11.08
>24	9,114	43.45	1.33	42.12
योग	16,060	80.12	3.55	76.57

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि 16,060 संयोजनों में से ₹ 70.66 करोड़ बकाया देय से संबन्धित 14,512 संयोजनों का स्थायी विच्छेदन 12 महीने या उससे अधिक समय से लंबित था। यह ऊपर उल्लिखित नियामक प्रावधानों का उल्लंघन था और साथ ही उ पा का लि के वित्तीय हित के भी विरुद्ध था।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि वह समस्त उपभोक्ताओं से सभी प्रकार के बकाया की वसूली के लिए अत्यधिक सावधानी बरत रहा था और बकाया देयों की समय पर वसूली हेतु अस्थायी विच्छेदन और स्थायी विच्छेदन के मामलों की निगरानी के लिए केंद्रीय स्तर पर एक तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान थी, तथा इस संबंध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीय स्तर पर अस्थायी विच्छेदन और स्थायी विच्छेदन के मामलों की निगरानी करने और बकाया राशि को समय पर वसूलने के लिए तंत्र अभी तक विकसित नहीं किया गया था (जनवरी 2025)।

(x) बिल न किए गए/बिल बंद किए गए संयोजनों का निपटान

बिल न किए गए (बिल नहीं)/बिल बंद किए गए (बिल बंद) वे उपभोक्ता हैं जिनके संबंध में आगे बिल नहीं बनाए गए हैं या आगे की बिलिंग रोक दी गई है। 31 मार्च 2021 तक 1,61,580 बिल नहीं/बिल बंद कनेक्शन थे। उ वि नि आ ने अपने टैरिफ ऑर्डर (अप्रैल 2020) के अंतर्गत उ पा का लि को प्रत्येक तिमाही में कम से कम पाँच प्रतिशत बिल नहीं/बिल बंद प्रकरण ऋणमुक्त और अंतिमिकरण करने हेतु निर्देशित किया था। हालाँकि, इसमें बहुत कम प्रगति हुई है और संख्या 1,61,580 (मार्च 2021) से घटकर 1,30,362 (मार्च 2024) हो गई है, अर्थात् केवल 19 प्रतिशत की कमी आई। 31 मार्च 2024 तक 1,30,362 बिल नहीं/बिल बंद मामलों के सापेक्ष ₹ 441.63 करोड़ बकाया राशि थी।

बिल नहीं/बिल बंद संयोजनों पर बकाया राशि की वसूली का मामला उ पा का लि की लेखापरीक्षा समिति द्वारा क्रमशः 20 मई 2022, 10 जून 2022 और 12 दिसम्बर 2022 को आयोजित अपनी 71वीं, 72वीं और 77वीं बैठकों में भी उठाया गया और बिल नहीं/बिल बंद मामलों के निपटान की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उसके प्रयासों से बिल नहीं/बिल बंद प्रकरणों की संख्या घटकर 1,06,489 हो गई, जिन पर बकाया राशि ₹ 355.29 करोड़ (नवम्बर 2024 तक) थी और समर्पित निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा उन्हें और कम करने के लिए नियमित प्रयास भी किया जा रहा था।

4.1.8.3 आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र से संबंधित मुद्दे

आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है, जो एक इकाई के नि मं, प्रबंधन और अन्य कर्मियों द्वारा प्रभावित होती है, जिसे प्रभावी और कुशल संचालन, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन से संबंधित उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निगरानी गतिविधियों में दिन-प्रतिदिन के निरीक्षण और उच्च प्रबंधन द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन के आवधिक मूल्यांकन की परिकल्पना की गई है।

लेखापरीक्षा में उ पा का लि प्रबंधन के कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी से संबन्धित बिन्दु पाये गए जिसके कारण कुछ वि वि म/वि वि ख में उच्च वितरण हानि और राजस्व की अप्रभावी वसूली, विशेष रूप से, देयकों की बकाया राशि, उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम, 2020 के प्रावधान का अनुपालन न करना और उपभोक्ताओं द्वारा सी जी आर एफ और विद्युत लोकपाल में शिकायतें जैसे प्रकरण संज्ञान में आए जिसके परिणामस्वरूप संभावित राजस्व की हानि हुई जैसा प्रस्तर-4.1.8.1 और 4.1.8.2 में चर्चा की गयी है। इसके अतिरिक्त, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और निगरानी से संबन्धित प्रकरणों की आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

(i) उ पा का लि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियामक और कानूनी प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन

उपभोक्ता शिकायतों पर फरवरी 2022 से जुलाई 2023 के दौरान निर्गत सी जी आर एफ और विद्युत लोकपाल आदेशों की समीक्षा में पाया गया कि उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बार-बार गलतियां/विद्युत अधिनियम, 2003, उ वि नि आ टैरिफ आदेशों और अन्य प्रासंगिक उ वि नि आ विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

विद्युत लोकपाल ने उपभोक्ता शिकायतों पर अपने निर्णयों/आदेशों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान उ पा का लि के प्रबंध निदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) और माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव को विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से उ पा का लि अधिकारियों द्वारा बार-बार की गई गलतियों/उल्लंघनों पर अपनी चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि ये गलतियाँ/ उल्लंघन उ पा का लि के हितों के लिए हानिकारक हैं और उपभोक्ताओं के न्यायोचित हितों के संरक्षण के विपरीत हैं।

लोकपाल के आदेशों/ पत्राचारों (परिशिष्ट-4.4) के विश्लेषण, विस्तृत आंतरिक दिशानिर्देश/ मानक संचालन प्रक्रिया (मा सं प्र) बनाने और सभी कार्यविधियों और प्रक्रियाओं पर नियमित अंतराल में प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय संचालन में उ पा का लि के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनाया और अनुपालन किया जाना है। इससे उच्च प्रबंधन को प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण में मदद मिल सकती है और उपभोक्ता शिकायतों को कम किया जा सकता है।

प्रबंधन ने अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि इन दिनों विद्युत वितरण व्यवसाय सी ई आर सी/एस ई आर सी द्वारा विनियमित किया जाता है और ये आयोग उपभोक्ता संबंधी सेवा मामलों पर विनियम/आदेश जारी करते हैं। वर्तमान में उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम, 2020 और उ वि नि आ (प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2022 लागू हैं, जो लगभग सभी उपभोक्ताओं से संबंधित सेवाओं/मामलों को आच्छादित करते हैं तथा प्रत्येक उपभोक्ता सेवा के लिए विस्तृत प्रक्रिया/पद्धति निर्दिष्ट की गई है। यह भी अवगत कराया गया कि उ पा का लि ने इन विनियमों को अपनी क्षेत्रीय इकाइयों में प्रसारित किया है और उनका समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विनियमों/आदेशों के अनुपालन का प्रभाव अभिलेखों में परिलक्षित नहीं हो रहा था, जैसा कि प्रस्तर-4.1.8.1 में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत लोकपाल ने बार बार विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन को इंगित किया था। वितरण कम्पनी होने के नाते उ पा का लि जिस तरह से इन विनियमों/आदेशों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाता है और क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में जिस तरह से इनसे निपटा जाता है, उसे संरचित आंतरिक दिशा-निर्देशों/ मा सं प्र आदि के माध्यम से संस्थागत रूप दिया जा सकता है।

(ii) आंतरिक जाँच और सतर्कता प्रकोष्ठ के छापों के सापेक्ष वसूली का पृथक्करण

उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों और बाहरी स्रोत एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर मीटरों की जाँच की जाती है। जाँच के दौरान पाई गई चोरी/विद्युत के अनधिकृत उपयोग (वि अ उ) और अन्य अनियमितताओं के मामलों को एफ आई आर दर्ज करके और जहाँ आवश्यक हो वहाँ आकलन करके निपटाया जाता है, जैसा कि **प्रस्तर-4.1.8.1** में चर्चा की गई है।

इसी तरह, उ पा का लि का सतर्कता प्रकोष्ठ भी अपनी योजना और जनता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर छापेमारी करता है। सतर्कता दलों द्वारा पकड़े गए चोरी/वि अ उ के मामलों को बाद में संबंधित वि वि ख को सौंप दिया जाता है, जो लगाए जाने वाले आकलन की गणना करता है और वसूली सुनिश्चित करता है जैसे **प्रस्तर-4.1.8.1** में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आंतरिक जाँच और सतर्कता प्रकोष्ठ की जाँच के सापेक्ष वसूली के प्रभाव/मूल्य को अलग करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त, उ पा का लि द्वारा, विशेष रूप से सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गई छापेमारी के सापेक्ष निर्गत किए गए आकलनों और उसके सापेक्ष वसूली की स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों/ बाहरी स्रोत एजेंसियों के माध्यम से की गई जाँच और सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा की गई छापेमारी पर नज़र रखने और उनमें अंतर करने तथा उसके विरुद्ध वसूली की निगरानी करने के लिए एक आई टी आधारित प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी।

(iii) नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए अर्थदण्ड का अधिरोपण

नए सेवा कनेक्शन (न से सं) का समय पर प्रसंस्करण एवं जारी होना सुनिश्चित करने के लिए, उ वि नि आ (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के खंड 3.3.3 (17) में नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए उ पा का लि द्वारा उ वि नि आ को देय जुर्माना³³ निर्धारित किया गया है।

³³ यदि लाइसेंसधारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को नया (एल टी) कनेक्शन प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह आवेदक द्वारा जमा की गई राशि के प्रत्येक ₹ 1,000 (या उसके भाग) पर ₹ 5 की दर से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कि चूक के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम ₹ 1,000 तक होगा।

इस संबंध में, यह देखा गया कि एल टी कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए सितम्बर 2021 से मार्च 2024 तक की अवधि में ₹ 7.70 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित था, जिसके सापेक्ष उ पा का लि ने ₹ 0.05 करोड़ (मार्च 2024 तक) उ वि नि आ को जमा किए। इसलिए, उक्त अवधि के लिए शुद्ध देय जुर्माना ₹ 7.65 करोड़ शेष रहा। अभिलेखों की आगे जाँच में पता चला कि एल टी कनेक्शन संबंधी जुर्माना माफ करने की उ पा का लि की याचिकाओं को, उ वि नि आ द्वारा नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए दर्ज कारणों के अभाव एवं अभिलेखीय साक्ष्यों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, निदेशक (संचालन), उ पा का लि ने क्षेत्रीय इकाइयों को विलंब के कारण बताने का निर्देश दिया (सितम्बर 2022) और गैर-क्षम्य विलंब के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों से जुर्माना वसूलने पर जोर दिया। हालाँकि, इस पर कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हुई तथा इस तरह का जुर्माना वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 3.92 करोड़ था।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2024) कि नए कनेक्शन में विलंब मार्ग-अधिकार, भूमि विवाद और शुल्क भुगतान में विलंब आदि के कारण हुई तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा का पालन करने और विलंब के कारणों के अभिलेखीकरण के लिए निर्देशित किया गया है (मई 2024)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विलंब के कारणों का अभिलेखीकरण नहीं किया गया था, और परिणामस्वरूप, उ पा का लि को नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए अर्थदंड का सामना करना पड़ा।

(iv) कुछ क्षेत्रीय इकाइयों में मानवशक्ति का आधिक्य/कम तैनाती

उ पा का लि के मानव संसाधन की स्वीकृत पदों को 2016 तक समय-समय पर सरकार द्वारा टुकड़ों में अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, स्वीकृत 8579 अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों के सापेक्ष उ पा का लि में 2443 अधिकारी/कर्मचारी तैनात थे। इसके अतिरिक्त, 3,685 कर्मियों (31 मार्च 2024) को उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड और स्वयं सहायता समूहों (नवम्बर 2023) से रखा गया था तथा क्षेत्रीय इकाइयों ने भी दिन-प्रतिदिन के रखरखाव संबंधी कार्यकलापों के लिए बाहरी स्रोत/अनुबंधित जनशक्ति को लगाया था।

अभिलेखों से पता चला कि:

- नई/वर्तमान में सृजित इकाइयों {उदाहरण के लिए वि वि ख नैनीडंडा, वि वि ख धारचूला, वि वि ख ज्वालापुर, वि वि ख किच्छा, वि वि ख रामनगर (रुड़की), वि वि ख डोईवाला, वि वि ख मोहनपुर, वि वि ख ग्रामीण रुड़की, वि वि ख रुद्रपुर II, वि वि ख भगवानपुर और मुख्य अभियंता (वितरण)-हरिद्वार क्षेत्र} के संबंध में स्वीकृत पदों की संख्या निरंक दर्शाई गयी थी, जो इंगित करता है कि इन इकाइयों के लिए स्वीकृत मानवशक्ति अभी तक निर्धारित नहीं की गयी थी।
- वि प ख शहरी देहरादून में 07 क अ के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 17 क अ की तैनाती सहित 11 इकाइयों में कुल 68 अधिकारियों (स अ-06 और क अ-43 सहित) के साथ अधिक तैनाती/अधिशेष अधिकारी/कर्मचारी थे (परिशिष्ट-4.10)। इसके अतिरिक्त, मुख्यतः पहाड़ी/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चार इकाइयों में 59 अधिकारियों (स अ - 02 और क अ - 31 सहित) की कमी थी (परिशिष्ट-4.11) ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (नवम्बर 2024) कि उ पा का लि में अनुमोदित जनशक्ति/कर्मचारी संरचना का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई, और संबंधित मुख्य अभियंताओं (वितरण) को स्वीकृत मानव शक्ति और कार्य की आवश्यकता के अनुसार अधिशेष जनशक्ति के युक्तिसंगत और उचित कार्यान्वयन हेतु तैनाती के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने और संबंधित जोन कार्यालयों, मण्डलों, खण्डों, उप-खण्डों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, कार्यशाला आदि में कर्मियों की कमी का आकलन करने का अनुरोध किया गया है।

(V) अधीक्षण और मुख्य अभियंताओं द्वारा खण्डों का अपर्याप्त निरीक्षण

कार्य की दक्षता बढ़ाने और प्रारंभिक चरणों में कमी/त्रुटियों की पहचान करने के उद्देश्य से, निदेशक (संचालन) ने (फरवरी 2021) सभी मुख्य अभियंताओं (वितरण) और अधीक्षण अभियंताओं (वितरण) को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक महीने कम से कम एक खंड का निरीक्षण सुनिश्चित करें और उसमें निहित 20 बिंदुओं के आधार पर कॉर्पोरेट कार्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

तदनुसार, तैनात मानवशक्ति के आधार पर मु अ और अ अ द्वारा प्रत्येक वि वि ख का एक वर्ष में क्रमशः एक बार और तीन बार निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। उ पा का लि द्वारा उपलब्ध किए गए अभिलेखों के अनुसार, 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान मु अ द्वारा किए गए निरीक्षण का विवरण नीचे तालिका-4.21 में दिया गया है:

तालिका-4.21: मुख्य अभियंताओं द्वारा किए गए निरीक्षण का विवरण

वर्ष	वि वि ख की संख्या	निरीक्षण किए गए वि वि ख की संख्या	खंडों के निरीक्षण में कमी	कमी (प्रतिशत)
2021-22	44	16	28	63.64
2022-23	45	7	38	84.44
2023-24	46	9	37	80.43
योग	135	32	103	76.30

स्रोत: उ पा का लि द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त तालिका-4.21 से देखा जा सकता है कि 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान मुख्य अभियंताओं द्वारा विद्युत वितरण खंडों के निरीक्षण में उल्लेखनीय कमी थी, जो उक्त अवधि के दौरान 64 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक रही। इसके अतिरिक्त, 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान अधीक्षण अभियन्ताओं के द्वारा वि वि ख का यदि कोई निरीक्षण किया हो, उसका विवरण/ अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किया गया।

प्रबंधन ने अवगत कराया (जून 2025) कि निरीक्षण निर्देश, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुये व्यवधानों के कारण प्रभावित हुए परिचालनों को बहाल और सुव्यवस्थित करने के उपायों के एक भाग के रूप में निर्गत किए गए थे, और निरीक्षण विवरण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध हैं। प्रबंधन ने आगे अवगत कराया कि क्षेत्रीय परिचालनों को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं और उनका अनुपालन समान्यतः सुनिश्चित किया जाता है। हालाँकि, निरीक्षणों का अभिलेखीकरण हमेशा संभव नहीं होता है।

अधीक्षण अभियन्ताओं के द्वारा 2021-22 से 2023-24 की अवधि में वि वि ख के निरीक्षण संबंधित अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा, निरीक्षणों की पर्याप्तता का पता नहीं लगा सकी।

4.1.9 निष्कर्ष

- उ पा का लि बिलिंग अक्षमताओं और ऊर्जा की चोरी आदि के कारण होने वाली वितरण हानियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहा। घाटे में चल रही इकाइयों में, रुड़की, लक्सर और रुद्रपुर में स्थित वि वि ख, ऊर्जा की हानि के मामले में लगातार निम्न प्रदर्शन के साथ स्पष्ट रूप से आउटलेयर थे तथा परिणामस्वरूप बिलिंग दक्षता भी खराब थी। उच्च बिलिंग दक्षता प्राप्त करने के लिए, स्मार्ट मीटरिंग का कार्यान्वयन आवश्यक उपायों में से एक था। हालाँकि, स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को लागू करने में काफी विलंब हुआ।
- उ पा का लि ने छापे और राजस्व निरीक्षण से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए उप महाप्रबंधक/अधीक्षक अभियंता रैंक के अधिकारी को नामित नहीं किया था।
- विद्युत की चोरी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए हरिद्वार और उ सि नगर के चोरी संभावित क्षेत्रों में समर्पित पुलिस स्टेशनों की स्थापना पाँच साल से अधिक समय से उत्तराखण्ड सरकार के स्तर पर लंबित थी।
- वि वि अ ले प के अंतर्गत आच्छादित किए गए तीन वर्षों की अवधि के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ में पर्याप्त पुलिस अधिकारियों की कमी थी और उपाधीक्षक और उप-निरीक्षकों के प्रमुख पद खाली रहे।
- निरंतर अनंतिम बिलिंग, जो रिसाव का एक स्रोत था, को दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपभोक्ताओं और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंधित भार उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरान्त ही लागू किया गया था।
- देय राशियों की वसूली की दिशा में अनुश्रवण, पर्यवेक्षण और ठोस प्रयासों की कमी के परिणामस्वरूप बकाया राशि उपलब्ध जमा प्रतिभूति से अधिक हो गई जिससे इन बकाया देयों के विरुद्ध सुरक्षा उपायों से समझौता किया गया। बिना किसी सम्यक प्रयासों के कुछ उपभोक्ताओं को कई बार किस्त की सुविधा प्रदान करना, बकाया राशि में वृद्धि होने के कारणों में से एक था।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से जिला अधिकारियों को जारी किए गए रा व प्र के सापेक्ष वसूली बहुत कम रही और इसकी निगरानी के लिए कोई

तंत्र मौजूद नहीं था। जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण पते के अभाव में वापस किए गए रा व प्र ने यह दर्शाया कि बिलिंग प्रणाली में उपभोक्ताओं के पते की सही प्रविष्ट नहीं की गई थी।

- नए कनेक्शन जारी करने में विलंब के लिए उ पा का लि पर लगातार अर्थदण्ड लगाया जा रहा था। आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण अपर्याप्त तथा अप्रभावी था। इसके अतिरिक्त, कानूनी/ नियामक प्रावधानों के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण/ संवेदनशील बनाने की दिशा में उचित प्रयास नहीं किए गए।

4.1.10 अनुशंसाएँ

1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चोरी संभावित क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में प्रगति ला सकता है एवं उसे प्राथमिकता दे सकता है तथा अधिक वितरण हानि वाले विद्युत वितरण मंडलों/खण्डों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमित रोटेशन सुनिश्चित कर सकता है।
2. उत्तराखण्ड सरकार चोरी संभावित क्षेत्रों में समर्पित पुलिस थानों की स्थापना में प्रगति ला सकती है तथा पर्याप्त मानव शक्ति (पुलिस अधिकारियों सहित) के माध्यम से सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त कर सकती है।
3. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह सुनिश्चित कर सकता है कि मुख्य/ अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खण्डों का निर्धारित समय पर निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा इन प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड छापाँ और राजस्व निरीक्षणों की निगरानी हेतु एक उप महाप्रबंधक/ अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को नामित कर सकता है।
4. उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनंतिम बिलिंग को अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक सीमित करने और बिल निर्गत न किए जाने/ रोके गए बिल वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों का समय पर समाधान करने के लिए निर्देशित कर सकती है।
5. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनुवर्ती कार्रवाई बढ़ाने के लिए ऑफलाइन जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विवरण को बिलिंग मॉड्यूल में दर्ज करने को प्राथमिकता दे सकता है।

6. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों एवं विद्युत लोकपाल के आदेशों/निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक तंत्र विकसित कर सकता है। इसमें संरचित आंतरिक दिशानिर्देश/ एस ओ पी आदि तैयार करना और अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना सम्मिलित हो सकता है।

देहरादून
दिनांक: 30 अक्टूबर 2025



(संजीव कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 10 नवम्बर 2025



(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.3, 1.3 और 1.4.3; पृष्ठ 03, 10 और 16)

30 सितम्बर 2023 तक उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार रा सा क्षे उ की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखों की अवधि	चुकता शेषर पूजा (शेषर आवेदन राशि सहित)	दीर्घकालिक ऋण	वित्त लागत और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि (-) ¹	वित्त लागत और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्त लागत	टर्नओवर	नियोजित पूजा	निवल संपत्ति	मुक्त संचय/संचित लाभ/हानि(-)	कुल संपत्ति
क	ऊर्जा क्षेत्र रा सा क्षे उ											
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1529.91	1243.02	-1050.42	-1223.64	150.37	8554.30	-2515.14	-3758.16	-5288.07	8237.14
2	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	723.88	1074.63	109.31	21.87	82.31	372.68	2140.18	1065.55	341.67	2997.9
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	1396.50	2113.85	274.28	115.64	147.52	1009.51	4840.62	2726.77	1330.27	8272.46
4	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	18.22
	ऊर्जा क्षेत्र का योग (क)		3660.29	4431.50	-666.83	-1086.13	380.20	9936.49	4475.66	44.16	-3616.13	19525.72
ख	अन्य क्षेत्र रा सा क्षे उ											
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	4.00	0.00	6.29	4.52	0.00	107.72	19.57	19.57	15.57	150.35
6	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	6.00	131.14	5.33	-16.59	21.92	99.92	-304.51	-435.65	-441.65	105.66
7	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	17.99	119.32	38.61	20.26	18.35	207.40	-157.09	-276.41	-294.40	152.91

¹ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार, वित्त लागतों को (अ) ब्याज व्यय (ब) अन्य उधार लागत, और (स) विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण पर लागू शुद्ध लाभ / हानि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	लेखों की अवधि	चुक्ता शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि सहित)	दीर्घकालिक ऋण	वित्त लागत और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि (-) ¹	वित्त लागत और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्त लागत	टर्नओवर	नियोजित पूंजी	निवल संपत्ति	मुक्त संचय/संचित लाभ/हानि(-)	कुल संपत्ति
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1.00	0.00	9.76	9.76	0.00	499.51	78.72	78.72	77.72	125.77
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	0.10	0.00	-0.06	-0.06	0.00	0.00	-3.06	-3.06	-3.16	24.27
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	373.24
11	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2021-22	1.07	0.00	0.19	0.16	0.00	11.54	1.50	1.50	0.43	4.99
12	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2021-22	4.08	19.50	-2.65	-4.82	2.17	43.42	-6.10	-25.60	-29.68	78.89
13	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	13.42	0.43	-0.37	-1.51	1.14	100.49	13.18	12.75	-0.67	77.49
14	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	6.64	9.79	-7.64	-7.93	0.29	192.36	29.24	19.45	12.81	110.81
15	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	28.50	196.15	20.65	5.91	6.95	16.77	622.88	426.73	398.23	2064.72
16	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	16.51	2.47	-1.91	-1.97	0.06	0.94	21.46	18.99	2.48	79.07
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2.65	10.90	1.01	0.89	0.12	0.34	14.68	3.78	1.13	21.60
18	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	238.60	30.54	-3.87	-3.87	0.00	478.89	-262.58	-293.12	-531.72	1001.08

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	लेखों की अवधि	चुकता शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि सहित)	दीर्घकालिक ऋण	वित्त लागत और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि (-) ¹	वित्त लागत और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि (-)	वित्त लागत	टर्नओवर	नियोजित पूंजी	निवल संपत्ति	मुक्त संचय/संचित लाभ/हानि(-)	कुल संपत्ति
19	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	0.00	75.47	-10.95	-19.30	8.35	152.00	-232.09	-307.56	-307.56	7361.38
20	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	0.00	0.00	48.65	48.65	0.00	705.12	507.99	507.99	507.99	1137.36
21	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	0.37	0.00	5.81	3.68	0.00	16.26	26.64	26.64	26.27	37.27
	अन्य क्षेत्रों का योग (ख)		341.33	595.71	108.84	37.78	59.35	2632.68	370.83	-224.88	-566.21	12906.86
	कुल योग (क +ख)		4001.62	5027.21	-557.98	-1048.35	439.55	12569.17	4846.49	-180.72	-4182.34	32432.58

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.5; पृष्ठ 09)

रा सा क्षेत्र 3 के जिस अवधि के लिए उनके लेखे बकाया थे, में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश और प्रदान की गई अन्य बजटीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र 3 का नाम	लेखों की अवधि	वह अवधि जिसके लिए लेखा बकाया है	अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार शेष आवेदन राशि सहित चुकता पूंजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया थे				योग	
					इच्छिटी	ऋण	अनुदान और उपदान	जारी की गई गारंटी		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	
सरकारी कम्पनियां										
1	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.2	0	0	95.50	0	95.50	
2	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1.00	0	0	0	0	0.00	
3	डोईवाला श्रुंगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	6.00	0	0	61.91	77	138.91	
4	किच्छा श्रुंगर कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	17.54	0	0	36.40	116.00	152.40	
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	2021-22 to 2022-23	4.00	0	0	0	0	0.00	
6	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1.07	0	0	0	0	0.00	
7	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	1.20	0	0	0	0	0.00	
8	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19 to 2022-23	26.00	0	0	87.52	0	87.52	
9	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18 to 2022-23	6.64	0	0	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	0.00	
10	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 to 2022-23	13.42	0	0	0	0	0.00	
11	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13 to 2022-23	11.66	5.80	0	0.60	0	6.40	

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखों की अवधि	वह अवधि जिसके लिए लेखा बकाया है	अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार शेष आवेदन राशि सहित चुकता पूंजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया थे				योग
					इकित्ती	ऋण	अनुदान और उपदान	जारी की गई गारंटी	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
12	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2009-10 to 2022-23	2.65	7.35	0.00	7.00	0	14.35
13	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए	2020-21 to 2022-23	-	0	0	0	0	0.00
14	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	प्रथम खाते प्राप्त नहीं हुए	2017-18 to 2022-23	-	0.05	0	0	प्रदान नहीं किया गया	0.05
	योग			91.38	13.20	0	288.93	193.00	495.13
सांविधिक निगम									
16	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	2020-21 to 2022-23	229.36	0	46.17	65.29	0	111.46
17	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	2022-23	0	0	0	1792.51	0	1792.51
18	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	2021-22 to 2022-23	0	0	0	2	0	2.00
19	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	2019-20 to 2022-23	0.185	0	0	0	0	0.00
	योग			229.545	0	46.17	1859.80	0	1905.97
	कुल योग			320.925	13.20	46.17	2148.73	193.00	2401.10

स्रोत: रा सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.1.3, पृष्ठ 23)

बकाया लेखाओं वाले रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या	कंपनी की स्थिति
1	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
2	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
3	डोईवाला शहर कंपनी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
4	किच्छा शहर कंपनी लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	02	कार्यरत
6	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
7	उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	2022-23	01	कार्यरत
8	स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2018-19 से 2022-23	05	कार्यरत
9	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	06	कार्यरत
10	कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड	2006-07 से 2022-23	17	कार्यरत
11	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2012-13 से 2022-23	11	कार्यरत
12	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2009-10 से 2022-23	14	कार्यरत
13	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3	कार्यरत
14	इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6	कार्यरत
योग			70	
निष्क्रिय रा सा क्षे उ				
15	कुमाऊं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएन लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2022-23	36	गैर-कार्यरत
योग			36	

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखें बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या	कंपनी की स्थिति
परिसमापन के अधीन रा सा क्षे उ				
16	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड		सूचना उपलब्ध नहीं है	
17	कुमट्रॉन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)		सूचना उपलब्ध नहीं है	
18	उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)		सूचना उपलब्ध नहीं है	
19	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (हिल्ड्रॉन की सहायक)		सूचना उपलब्ध नहीं है	
20	यू पी ए आई		सूचना उपलब्ध नहीं है	
21	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (केएमवीएन लिमिटेड की सहायक)	2001-02 से 2006-07	6	
22	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (केएमवीएन लिमिटेड की सहायक)	1997-98 से 2006-07	10	
23	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (जीएमवीएन लिमिटेड की सहायक)	2009-10 से 2011-12	3	
योग				
19				
सांविधिक निगम				
24	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2020-21, 2021-22, 2022-23	03	कार्यरत
25	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2022-23	01	कार्यरत
26	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2021-22, 2022-23	02	कार्यरत
27	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23	04	कार्यरत
योग				
10				
कुल योग				
135				

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3 और 2.3.1, पृष्ठ 26 और 27)

रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान सी ए जी की जारी टिप्पणियों का विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	लेखाओं की संख्या
	सरकारी कंपनियाँ		
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	02
2.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	02
3.	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	02
4.	डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड	2021-22	01
5.	किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड	2021-22	01
6.	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	01
7.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	01
8.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम	2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09	04
9.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	01
10.	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	01
11.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	01
12.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	01
	योग		18
	सांविधिक निगम		
13.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20	04
14.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	03
15.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	01
16.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	01
	योग		09
	कुल योग		27

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1, पृष्ठ 27)

रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 के दौरान जारी सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
क. सरकारी कंपनियाँ				
हानि का कम होना				
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	12.54	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए जारी किए गए ₹ 12.54 करोड़ के अनुपूरक बिलों का लेखा-जोखा न रखने के परिणामस्वरूप बिजली की क्रय लागत और चालू देनदारियों में से प्रत्येक में ₹ 12.54 करोड़ से कम दर्शाए गए। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक कम करके आंका गया।
			15.21	कंपनी ने उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (उ वि वि आ) द्वारा जारी निष्पादन मानक के विनियम, 2007 का अनुपालन न करने के कारण उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति के प्रावधान के रूप में ₹ 15.21 करोड़ लेखांकन नहीं किए हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और अन्य प्रशासनिक व्ययों में से प्रत्येक में ₹ 15.21 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक कम करके आंका गया।
			1.27	₹ 1.27 करोड़ मूल्य का स्क्रेप/क्षतिग्रस्त माल को पूंजीगत इन्वेंटरी में शामिल किया गया था। इस इन्वेंटरी के मूल्य में कमी के लिए लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत इन्वेंटरी को अधिक दर्शाया गया तथा इन्वेंटरी के मूल्य में ₹ 1.27 करोड़ की कमी के लिए प्रावधान को कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक कम करके आंका गया।
2.	डोईवाला शहर कंपनी लिमिटेड	2021-22	0.86	कंपनी ने नकद ऋण सीमा के लिए उत्तराखण्ड सरकार को देय गारंटी शुल्क की राशि ₹ 0.86 करोड़ नहीं दी थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 'अल्पकालिक प्रावधानों' के साथ-साथ 'हानि' को ₹ 0.86 करोड़ तक कम कर दिया गया।
3.	किच्छा शहर कंपनी लिमिटेड	2021-22	0.33	कंपनी ने नकद ऋण सीमा के कारण उत्तराखण्ड सरकार को देय गारंटी शुल्क की राशि के रूप में ₹ 0.33 करोड़ कम प्रदान किए थे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए 'अल्पकालिक प्रावधानों' के साथ-साथ 'हानि' को ₹ 0.33 करोड़ तक कम कर दिया गया।

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
4.	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	33.29	कंपनी ने बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार एल आई सी द्वारा यथा निर्धारित उपदान के प्रति देयता का अल्प प्रावधान किया था। ₹ 36.02 करोड़ के योगदान की माँग की तुलना में, कंपनी ने एल आई सी को ₹ 2.73 करोड़ का भुगतान किया है। इसके परिणामस्वरूप हानि और चालू देनदारियों में से प्रत्येक में ₹ 33.29 करोड़ की कमी आई।
योग			63.50	
लाभ का अधिक होना				
1.	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	29.51	कंपनी ने 30 मार्च 2023 को जारी उ वि वि आ के टैरिफ आदेश के अनुपालन में उ पा का लि और एच पी सी एल को देय ₹ 29.51 करोड़ की राशि प्रदान नहीं की। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और परिचालन और प्रत्यक्ष व्यय में ₹ 29.51 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'लाभ' को भी उसी सीमा तक अधिक करके आंका गया था।
2.	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22	71.63	उ वि वि आ द्वारा अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (2020-21 का डूइंग अप) तक शुरू होने वाली बारह समान किस्तों में ₹ 71.63 करोड़ (उ पा का लि ₹ 62.97 करोड़ और एच पी सी एल ₹ 8.66 करोड़) वापस करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, लेखा बहियों में ₹ 71.63 करोड़ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों को कम करके आंका गया और लाभ को ₹ 71.63 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।
योग			101.14	
लाभ का कम होना				
1.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	2.29	220 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, बरम, जिसे 31 मार्च 2023 तक चालू नहीं किया गया था, की लागत ₹ 84.11 करोड़ का संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में समावेश किया जाना, कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के विरुद्ध था। इसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.29 करोड़ का मूल्यहास भी भारत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का अधिविवरण ₹ 81.82 करोड़ और मूल्यहास में ₹ 2.29 करोड़ और पूंजीगत कार्य प्रगति पर ₹ 84.11 करोड़ अल्पविवरण में हुआ। नतीजतन, वर्ष के लिए 'लाभ' भी ₹ 2.29 करोड़ से कम दर्शाया गया था।
योग			2.29	

क्र. सं.		रा सा क्षे उ का नाम		लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
संपत्ति और देनदारियों का कम होना						
1.	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	16.05	कंपनी ने व्यापारी परियोजना के शेष कार्यों के कारण ठेकेदारों को देय ₹ 16.05 करोड़ की राशि का लेखांकन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं के साथ-साथ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को ₹ 16.05 करोड़ कम दर्शाया गया है।		
2.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	36.52	31 मार्च 2023 से पहले निष्पादित चार परियोजनाओं के कार्यों से संबंधित ₹ 36.52 करोड़ के मूल्य भिन्नता बिलों का लेखा-जोखा न करने के परिणामस्वरूप प्रावधान में ₹ 36.52 करोड़ की कमी, पूंजीगत कार्य प्रगति पर ₹ 27.90 करोड़, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में ₹ 8.18 करोड़ और ₹ 44 लाख का मूल्यहास कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को ₹ 44 लाख से अधिक दर्शाया गया।		
3.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	8.56	कंपनी ने दून एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र परियोजना से संबंधित ₹ 8.56 करोड़ का व्यय दर्ज नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर और अन्य दीर्घवधिक देयताओं (अप्रयुक्त अनुदान) में से प्रत्येक को ₹ 8.56 करोड़ कम दर्शाया गया है।		
योग					61.13	
संपत्ति और देनदारियों का अधिक होना						
1.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	3.83	स्मार्ट स्कूलों के पूर्ण किए गए कार्यों के लिए उपयोग किए गए अनुदान और अप्रयुक्त अनुदान के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप 'अन्य दीर्घकालिक देयताओं' (अप्रयुक्त अनुदान) के साथ-साथ प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में प्रत्येक को ₹ 3.83 करोड़ अधिक दर्शाया गया।		
योग					3.83	
ख. सांविधिक निगम						
हानि का अधिक होना						
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	1.00	निगम के नकद शेष में जब्त बैंक गारंटी (₹ 1.00 करोड़) और ऑटो स्वीप बैंक खाते (₹ 0.97 करोड़) एवं स्रोत पर कर कटौती (₹ 0.40 करोड़) से प्राप्त ₹ 2.37 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जिसे संबंधित खातों में दर्ज करने के स्थान पर गलती से सावधि जमा (एफ डी) से घटा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप		

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
				कोषागार के पास नकदी (एफ डी) में से ₹ 2.37 करोड़, अन्य आय में ₹ 1.00 करोड़, चालू देनदारियों में ₹ 0.40 करोड़ और बैंक के पास नकदी में ₹ 0.97 करोड़ का आधिक्यविवरण हुआ। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी ₹ 1.00 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।
			77.94	पहाड़ी क्षेत्रों में बसों के संचालन से होने वाली हानि के लिए ₹ 77.94 करोड़ सब्सिडी दावे की शेष राशि जो उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्य है, लेखांकन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों (सरकारी विभाग) को कम करके आंका गया और प्रत्येक की आय में ₹ 77.94 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक अतिरंजित किया गया है।
			4.78	विशेष श्रेणी के यात्रियों को प्रदान की गई रियायत के विरुद्ध प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्य ₹ 4.78 करोड़ के दावे को लेखाओं में आय के स्थान पर चालू देयता के रूप में गलती से दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों का आधिक्यविवरण और अन्य आय में ₹ 4.78 करोड़ का कमविवरण दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' भी उसी सीमा तक अतिरंजित किया गया है।
योग			83.72	
हानि का कम होना				
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2019-20	8.05	निगम ने चालकों और परिचालकों के वेतन और मजदूरी, प्रोत्साहन राशि आदि के ₹8.05 करोड़ को लाभ-हानि खाते में जमा करने के स्थान पर यात्री सुविधा निधि में दर्ज कर दिया। इसके परिणामस्वरूप यात्री सुविधा निधि और परिचालन व्यय प्रत्येक के विवरण में ₹ 8.05 करोड़ कम दर्शाए गए। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी ₹ 8.05 करोड़ कम दर्शाया गया है।
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	50.42	निगम ने वर्ष 2002-03 से 2008-09 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार से लिए गए ऋण पर देय ₹ 50.42 करोड़ के ब्याज का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और ब्याज व्यय में से प्रत्येक में ₹ 50.42 करोड़ कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'हानि' को भी उसी सीमा तक कम करके दर्शाया गया था।
योग			58.47	

क्र. सं.	रा सा क्षे 3 का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
लाभ का अधिक होना				
1.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	14.87	वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए खनन विभाग को देय ₹ 14.87 करोड़ (₹ 3.60 करोड़ की ब्याज राशि सहित) के डेड रेंट को शामिल न करने के परिणामस्वरूप देय व्ययों को कम करके और लाभ को ₹ 14.87 करोड़ अधिक दर्शाया गया। निर्माणाधीन निर्माण कार्यों में ₹ 7.00 करोड़ की लागत से चारदीवारी का पूरा हो चुका कार्य शामिल है। उसी को पूंजीकृत और मूल्यहास किया जाना चाहिए था। इन्हीं कार्यों के लिए 31 मार्च 2021 तक ₹ 0.59 करोड़ के बिल भी भुगतान के लिए देय थे, जिनका कोई लेखा नहीं था। इसके परिणामस्वरूप भवन का ₹ 7.59 करोड़ का अल्पविवरण और निर्माणाधीन निर्माण कार्यों पर ₹ 7.00 करोड़ का अधिक विवरण और वर्तमान देयताओं में ₹ 0.59 करोड़ का अल्पविवरण आया। इसके अतिरिक्त, उक्त भवन पर मूल्यहास न वसूलने के परिणामस्वरूप भवन का अधिक विवरण के साथ-साथ लाभ भी ₹ 1.10 करोड़ तक अधिक हो गया। निगम ने काफी पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से सामग्री की कमी के एवज़ में वसूली के लिए ₹ 1.99 करोड़ का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप जांचाधीन सामग्री की कमी को अतिरंजित कर और साथ ही लाभ और प्रावधान को ₹ 1.99 करोड़ कम करके दर्शाया गया है। संशोधित लाभांश नीति के अनुसार, कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, लाभांश का भुगतान करना अपेक्षित था। तदनुसार, उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम को 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 3.82 करोड़ का लाभांश देना था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों को कम करके दर्शाया गया और लाभ को ₹ 3.82 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।
2.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	2018-19	3.82	
योग			21.78	
संपत्ति और देनदारियों का कम होना				
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	42.04	वर्ष 2021-22 के दौरान निष्पादित कार्यों के लिए ठेकेदारों को देय ₹ 42.04 करोड़ के रनिंग बिलों का लेखा-जोखा न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ प्रगतिरत कार्यों में से प्रत्येक को ₹ 42.04 करोड़ कम करके दर्शाया गया है।

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	लेखाओं की अवधि	टिप्पणी का मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)	टिप्पणियों का सारांश
2.			13.98	सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के उल्लंघन में, कार्य के विरुद्ध योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों को दिए गए अग्रिमों के कारण देय लेखाओं में से ₹ 13.98 करोड़ रुपए की कटौती, जिसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और प्रावधानों के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों में ₹ 13.98 करोड़ कम करके दर्शाया गया।
योग			56.02	
संपत्ति और देनदारियों का अधिक होना				
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2021-22	129.55	निगम ₹ 129.55 करोड़ की राशि के पूर्ण किए गए कार्यों को समायोजित करने में असफल रहा, जिन्हें विभिन्न एजेंसियों/विभागों को सौंप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत कार्यों के साथ-साथ प्रत्येक को सरकार से प्राप्त पूंजीगत अनुदान ₹ 129.55 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया।
योग			129.55	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.2, पृष्ठ 29)

रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों ने ले मा का अनुपालन न करने की सूचना दी

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	ले मा/ भा ले मा जिनका अनुपालन नहीं किया गया
1	2	3	4
1	गढ़वाल मंडल विकास निगम	2016-17	ले मा-22, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 28
2	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	ले मा-12, 18, 1, 10, 9, 5

स्रोत: रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट।

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.2, पृष्ठ 29)

रा सा क्षे उ को दर्शाने वाला विवरण जिसमें सी ए जी द्वारा इंगित अनिवार्य ले मा/भा ले मा का अनुपालन नहीं किया गया

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	ले मा/ भा ले मा	अनिवार्य ले मा/ भा ले मा जिनका अनुपालन नहीं किया गया
1	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22	भा ले मा	भा ले मा-16
2	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	ले मा	ले मा-10, 26

स्रोत: रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर जारी रिपोर्टों से संकलित।

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.4, पृष्ठ 30)

रा सा क्षे उ को 01 अक्टूबर 2022 से 30 सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान जारी प्रबंधन पत्र दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	रा सा क्षे उ के नाम	वित्तीय विवरणों का वर्ष	लेखाओं की संख्या	प्रबंधन पत्रों की संख्या
1	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2019-20 एवं 2020-21	2	13
2	गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1	03
3	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2020-21	1	02
4	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	05
5	किच्छा श्रुगर कंपनी लिमिटेड	2021-22	1	02
6	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1	04
7	यू जे वी एन लिमिटेड	2021-22 एवं 2022-23	2	04
8	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2020-21	1	03
9	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2021-22	1	01
10	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2016-17 एवं 2017-18	2	06
11	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2005-06	1	02
12	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	1	02
योग				47

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3.1, 3.4, 3.6.1 और 3.6.2; पृष्ठ 36, 37, 41 और 42)

रा सा क्षे 3 में स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों, बोर्ड बैठकों, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे 3 का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	चुकता पूँजी	टर्नओवर	समुच्चय बकाया ऋण, ऋणपत्र एवं जमाराशियाँ	क्या मानदण्ड पूरे किए गये	2022-23 में आयोजित निदेशक मण्डल बैठकों की संख्या	आवश्यकता के सापेक्ष वास्तविक उपलब्धता		आवश्यकता		
								स्वतंत्र निदेशक	2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशक की घोषणा स्थिति	लेखापरीक्षा समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1529.91	8554.3	1243.02	हाँ	6	2	4	हाँ	हाँ	हाँ
2	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	723.88	372.68	1074.63	हाँ	5	2	1 ²	हाँ	हाँ	हाँ
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	1396.5	1009.51	2113.85	हाँ	6	2	4	नहीं	हाँ	हाँ
4	किशाज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	10	0	0	हाँ	1	2	0	नहीं	नहीं	नहीं
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22	4	154.13	0	हाँ	2	2	0	नहीं	नहीं	नहीं
6	डोईवाला शुरार कम्पनी लिमिटेड	2022-23	6	120.31	446.55	हाँ	4	2	0	नहीं	हाँ	नहीं
7	किच्छा शुरार कम्पनी लिमिटेड	2022-23	17.99	164.35	373.52	हाँ	4	2	0	नहीं	नहीं	नहीं
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	1	576.37	0	हाँ	4	2	2	नहीं	हाँ	उपलब्ध नहीं किया गया

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	चुक्ता पूंजी	टर्नओवर	समुच्चय बकाया ऋण, ऋणपत्र एवं जमाराशियाँ	क्या मानदण्ड पूरे किए गये	2022-23 में आयोजित निदेशक मण्डल बैठकों की संख्या	आवश्यकता		आवश्यकता के				
								स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक की घोषणा स्थिति	सापेक्ष वास्तविक उपलब्धता	स्वतंत्र निदेशक	लेखापरीक्षा समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	0.1	0	0	नहीं	4		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	0.4	0	0	नहीं	5		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	1.07	8.32	0	नहीं	4		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2022-23	4.08	41.92	19.57	नहीं	1		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
13	कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2006-07	13.42	113.1	32.11	हाँ	4	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
14	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	6.64	241.72	10.69	हाँ	5	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	28.5	16.77	196.15	हाँ	2	2	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
16	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	16.51	0.94	2.47	हाँ	2	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2.65	0.34	10.9	नहीं	2		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	रा सा क्षे 3 का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	चुकता पूंजी	टर्नओवर	समुच्चय बकाया ऋण, ऋणपत्र एवं जमाराशियाँ	क्या मानदण्ड पूरे किए गये	2022-23 में आयोजित निदेशक मण्डल बैठकों की संख्या	आवश्यकता		आवश्यकता के सापेक्ष वास्तविक उपलब्धता	
								स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक की घोषणा स्थिति	स्वतंत्र निदेशक	2022-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
18	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (लेखा प्राप्त नहीं हुए)	उपलब्ध नहीं किया गया	0	0	0	नहीं	1		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19	उत्तराखण्ड इको-टूरिज्म विकास निगम	2017-18	0.05	0	5	नहीं	शून्य		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर प्रतिवेदन

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.7.1; पृष्ठ 43)

रा सा क्षे उ में आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचे की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा सा क्षे उ का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष*	आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए किसी भी शर्त की पूर्ति		क्या मानदंड पूरे हुए हैं	
				चुक्ता पूँजी ₹ 50 करोड़ या अधिक	बकाया ऋण/ बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से उधार ₹ 100 करोड़ या अधिक जमा राशि		
1	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2021-22	1529.91	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	हाँ
2	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2022-23	2021-22	723.88	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	हाँ
3	यू जे वी एन लिमिटेड	2022-23	2021-22	1396.5	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	हाँ
4	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	2021-22	10	0	0	हाँ
5	ब्रिज, रोपवे, टनल और अन्य अवसंरचना विकास निगम उत्तराखण्ड लिमिटेड	2021-22	2021-22	4	154.13	0	नहीं
6	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2022-23	2021-22	6	120.31	37.09	आवश्यक नहीं है
7	किच्छा शहर कम्पनी लिमिटेड	2022-23	2021-22	17.99	207.4	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है
8	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	1	499.5	0	आवश्यक नहीं है
9	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	0.1	0	0	0
10	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23	2021-22	0.4	0	0	0
11	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	1.07	11.54	3.09	0
12	उत्तराखण्ड बीज और तराई विकास निगम लिमिटेड	2022-23	2021-22	4.08	43.42	19.57	0

क्र. सं.	रा सा क्षेत्र का नाम	2022-23 तक नवीनतम वित्तीय विवरण का वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष*	आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए किसी भी शर्त की पूर्ति				क्या मानदंड पूरे हुए हैं
				चुकता पूँजी ₹ 50 करोड़ या अधिक	₹ 200 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर	बकाया ऋण/ बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से उधार ₹ 100 करोड़ या अधिक	₹ 25 करोड़ या उससे अधिक की बकाया जमा राशि	
13	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2006-07	2006-07	13.42	113.1	32.11	0	
14	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	6.64	241.72	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	हाँ
15	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2017-18	28.5	16.77	196.15	आवश्यक नहीं है	हाँ
16	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2011-12	16.51	0.94	2.47	0	
17	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	2008-09	2008-09	2.65	0.34	10.9	0	
18	सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (खाते प्राप्त नहीं हुए)	उपलब्ध नहीं किया गया	उपलब्ध नहीं किया गया	0	0	0	0	नहीं
19	उत्तराखण्ड इको-टूरिज्म विकास निगम	2017-18	2017-18	0.05	0	5	0	

* वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पिछला वित्तीय वर्ष 2021-22 था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2021-22 से पहले के लिए, उसी वर्ष को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष माना जाता है।

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.1 एवं 4.1.7.1; पृष्ठ 45 एवं 50)

टैरिफ के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणी को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	भार
1.	आर टी एस-1: घरेलू आर टी एस-1 A: स्नोबाउंड	केवल घरेलू उपयोग के लिए बर्फीले क्षेत्रों में घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए
2.	आर टी एस-2: गैर-घरेलू	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों, आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान, 4 किलोवाट तक के छोटे गैर-घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी खपत 50 यूनिट प्रति माह तक हो, मल्टीप्लेक्स, मॉल कॉम्प्लेक्स जिसमें सामान्य सुविधाएं शामिल हैं, वाणिज्यिक स्टैंडअलोन स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग्स
3.	आर टी एस-3: सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता संस्थान	सभी सरकारी उपयोगिताओं जैसे सार्वजनिक लैंप, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, ट्रेफिक सिग्नल, सार्वजनिक पार्क, राज्य नलकूप, पंप नहरें और सिंचाई प्रणाली, सार्वजनिक जल कार्य, जल संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल निगम या अन्य स्थानीय निकाय और प्लास्टिक पुनः उपयोग यंत्र
4.	आर टी एस-4: निजी ट्यूबवेल/पम्पिंग सेट आर टी एस-4A: कृषि संबद्ध गतिविधियाँ	सिंचाई प्रयोजनों के लिए निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों के लिए और आकस्मिक कृषि प्रक्रिया के लिए भूसा कटर, थ्रेशर, गन्ना क्रशर और चावल की पतवार तक सीमित है। नर्सरी, पॉलीहाउस, मत्स्य पालन और मशरूम की खेती सहित फूल/सब्जियां और फल उगाने वाली अन्य इकाइयों के लिए
5.	आर टी एस-5: एल टी और एच टी उद्योग एल टी उद्योग: 75 किलोवाट तक एच टी उद्योग: 75 किलोवाट से ऊपर	1. उद्योग और/या प्रसंस्करण या कृषि-औद्योगिक प्रयोजन हेतु विद्युत करघा तथा चाप/इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग/री-रोलिंग मिलों, लघु इस्पात संयंत्रों तथा अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो किसी अन्य दर अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, 2. सब्जी, फल, फूलों की खेती और मशरूम की एकीकृत इकाइयां जो खेती के साथ-साथ प्रसंस्करण, भंडारण और पैकेजिंग में लगी और जो आर टी एस -4 ए के अन्तर्गत आच्छादित नहीं की गई वे इकाइयां भी इस दर अनुसूची के अन्तर्गत आच्छादित की जाएंगी।
6.	आर टी एस-6: मिश्रित भार	75 किलोवाट से अधिक का एकल बिंदु थोक आपूर्ति कनेक्शन जहां आपूर्ति मुख्य रूप से घरेलू प्रयोजनों (60 प्रतिशत से अधिक घरेलू भार के साथ) और अन्य गैर-घरेलू उद्देश्यों के लिए भी उपयोग की जाती है। यह अनुसूची एम ई एस को आपूर्ति पर भी लागू होती है
7.	आर टी एस-7: रेलवे कर्षण	रेलवे द्वारा कर्षण प्रयोजन हेतु उपयोग की जाने वाली शक्ति के लिए
8.	आर टी एस-8: इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन	वाणिज्यिक आधार पर चार्जिंग सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए।
9.	आर टी एस-9: अस्थायी आपूर्ति	1. रोशनी/सार्वजनिक संबोधन/समारोह और उत्सव/समारोहों/ अस्थायी दुकानों सहित सभी प्रयोजनों जो तीन महीने से अधिक न हो, के लिए प्रकाश, पंखे और बिजली भार की अस्थायी आपूर्ति के लिए।

क्र. सं.	श्रेणी	भार
		<p>2. सरकारी विभागों सहित सभी उपभोक्ताओं द्वारा सिविल कार्य सहित निर्माण प्रयोजनों के लिए ली गई विद्युत के लिए। किसी भी कार्य/परियोजना के लिए निर्माण उद्देश्यों के लिए विद्युत पर निर्माण कार्य के लिए पहला कनेक्शन लेने की तिथि से कार्य/परियोजना के पूरा होने तक विचार किया जाएगा</p>

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1; पृष्ठ 58)

विद्युत वितरण खण्डों में वितरण हानि को दर्शाने वाला विवरण

(मि इ में)

क्र. सं.	विद्युत वितरण खण्ड का नाम	2023-24	2022-23	2021-22
1	धारचूला	37.86	37.77	40.35
2	नारायणबगड़	37.19	39.64	26.60
3	बागेश्वर	34.11	28.05	29.31
4	रुड़की शहरी	33.21	33.66	34.83
5	रामनगर (रुड़की)	31.62	30.04	27.34
6	रुड़की ग्रामीण	31.50	31.09	31.21
7	उत्तरकाशी	30.28	30.12	34.03
8	लक्सर	27.93	28.07	27.99
9	रानीखेत	27.75	18.71	16.70
10	बड़कोट	27.30	27.31	28.29
11	भिकियासैण	27.21	19.79	20.39
12	रुद्रपुर-II	26.16	30.76	34.88
13	नैनीडांडा	24.29	15.60	
14	चम्पावत	21.95	18.63	23.46
15	टिहरी	21.38	21.48	24.34
16	ज्वालापुर	20.61	21.04	23.19
17	पिथौरागढ़	20.54	22.24	25.00
18	पौड़ी	18.68	18.17	17.37
19	रुद्रप्रयाग	18.25	22.71	19.02
20	गोपेश्वर	18.20	26.10	19.58
21	गैरसैण	18.10	24.79	32.54
22	हल्द्वानी शहरी	17.79	17.92	17.94
23	किच्छा	17.59		
24	विकासनगर	17.14	17.76	10.34
25	रामनगर	16.96	14.01	14.02
26	खटीमा	16.84	19.82	14.43
27	भगवानपुर	14.17	15.50	13.92
28	बाजपुर	12.70	13.50	14.94
29	सितारगंज	12.40	14.83	8.50
30	नैनीताल	12.08	12.56	16.56
31	हल्द्वानी ग्रामीण	11.48	11.50	12.18
32	अल्मोड़ा	10.19	13.07	15.09
33	ऋषिकेश	8.16	9.85	9.01
34	देहरादून (उत्तर)	7.88	5.46	5.00
35	जसपुर	7.73	9.24	13.37

क्र. सं.	विद्युत वितरण खण्ड का नाम	2023-24	2022-23	2021-22
36	श्रीनगर	7.66	8.15	10.68
37	काशीपुर	7.54	7.00	6.81
38	रायपुर	7.14	9.63	9.80
39	हरिद्वार शहरी	7.07	5.72	4.05
40	डोईवाला	6.85	6.87	8.59
41	देहरादून (दक्षिण)	6.47	5.46	5.77
42	मोहनपुर	5.60	7.05	7.32
43	देहरादून (मध्य)	5.05	4.40	5.42
44	कोटद्वार	3.73	3.24	4.24
45	रुद्रपुर-I	2.95	8.06	7.01
46	हरिद्वार ग्रामीण	0.02	0.81	0.32

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1; पृष्ठ 66)

आई डी एफ/आर डी एफ/एन ए/एन आर के लिए उ पा का लि के विरुद्ध पारित सी जी आर एफ/ लोकपाल के निर्णय को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	लोकपाल और सी जी आर एफ मामले/ आदेश की तिथि	मामले का संक्षिप्त विवरण	निर्णय का सारांश
1	जगमोहन सिंह राणा बनाम वि वि ख बड़कोट- 28 अक्टूबर 2020	उपभोक्ता को एन ए/एन आर/आई डी एफ आधार पर 112 बिलिंग चक्रों का ₹ 1.89 लाख का अनंतिम बिल जारी किया गया। उपभोक्ता ने सी जी आर एफ में शिकायत की थी। 22 जुलाई 2020 को सी जी आर एफ ने उपभोक्ता के विरुद्ध निर्णय दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल में अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) 2020 के अनुसार उ पा का लि केवल दो या तीन बिलिंग चक्रों की वसूली कर सकती है। उ पा का लि उपभोक्ता से ₹ 6,850 ही वसूली कर सकती है। इसके अतिरिक्त, आदेश दिया कि संबन्धित विनियमों में निर्धारित अवधि के आगे की अवधि के लिए एन ए/एन आर/आ ई डी एफ बिलिंग की अस्वीकृति के कारण होने वाली राजस्व हानि को उ पा का लि द्वारा वहन नहीं किया जा सकता तथा इस हानि को संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूल किया जाना चाहिए।
2	दया पांडे बनाम वि वि ख (शहरी) तिकोनिया हल्द्वानी - 29 जून 2020	उपभोक्ता को आर डी एफ/एन आर के आधार पर 77 माह का ₹ 50,529 अनंतिम बिल जारी किया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 20 जून 2020 को उपभोक्ता के विरुद्ध निर्णय दिया। उसके बाद उपभोक्ता ने लोकपाल में अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) विनियम 2020 के अन्तर्गत उ पा का लि केवल दो बिलिंग चक्रों के बिल वसूल सक हैं। उ पा का लि को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लगातार विद्धुत की आपूर्ति की है इसलिए इस तरह के विद्धुत बिल की लागत को संबंधित कर्मचारियों से वसूल किया जाना ही उचित होगा।
3	सुमन गिरी बनाम वि वि ख लक्सर - 30 अगस्त 2019	एन ए/एन आर/आई डी एफ के आधार पर 39 बिलों का ₹ 50,000 का अनंतिम बिल उपभोगता को निर्गत किया गया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 13 मार्च 2019 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल में अपील की।	लोकपाल ने आदेश में कहा गया कि उ पा का लि को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरह के विद्धुत बिल की लागत को संबंधित कर्मचारियों से वसूल किया जाना ही उचित होगा। अनंतिम बिल की राशि ₹ 50,000 में से उ पा का लि ने ₹ 20,000 संबंधित कर्मचारियों से

क्र. सं.	लोकपाल और सी जी आर एफ मामले/ आदेश की तिथि	मामले का संक्षिप्त विवरण	निर्णय का सारांश
			वसूल किए गए, शेष ₹ 30,000 उपभोक्ता से वसूले जा सकते हैं।
4	पंकज सिंघल बनाम वि वि ख बाजपुर - 27 दिसम्बर 2019	मार्च 2016 से अगस्त 2017 की अवधि के लिए आई डी एफ आधारित ₹1.02 लाख (21,074 यूनिट) का अनंतिम बिल उपभोक्ता को निर्गत किया गया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 03 अगस्त 2019 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में निर्धारित अवधि से अधिक के आई डी एफ बिल को अस्वीकृत कर दिया। उ पा का लि को बिल को 21,074 से घटाकर 3,586 यूनिट तक संशोधित करने का निर्देश दिया।
5	केशरी कान्त नौटियाल बनाम वि वि ख उत्तरकाशी - 16 मार्च 2022	एन आर के आधार पर ₹ 1.12 लाख (12 बिलिंग चक्रों) का अनंतिम बिल निर्गत किया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 16 दिसम्बर 2021 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि 12 में से 10 एन आर बिल, संबन्धित विनियमों के अंतर्गत वसूल नहीं किए जा सकते एवं निर्देशित किया कि इन 10 बिलों की राशि गलती करने वाले कर्मचारियों से वसूली जाए।
6	तीर्थपाल बनाम वि वि ख (ग्रामीण) रुड़की - 31 जनवरी 2020	उपभोक्ता को मई 2009 - जुलाई 2013 के लिए आई डी एफ आधारित ₹ 92,801 का अनंतिम बिल निर्गत किया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 06 नवम्बर 2019 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में संबन्धित विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि से अधिक आई डी एफ बिलिंग को अस्वीकृत कर दिया। उ पा का लि को मई 2009-2013 के आई डी एफ बिल हटाने का निर्देश दिया। ₹ 92,801 में से केवल ₹ 65,184 ही वसूले गए।
7	उमेश कुमार बनाम वि वि ख भगवानपुर - 18 फरवरी 2019	एन आर के आधार पर पाँच वर्षों से अधिक अवधि का ₹ 1.12 लाख का बिल उपभोक्ता को निर्गत किया गया। उपभोक्ता ने इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 30 अक्टूबर 2018 को उपभोक्ता के विरुद्ध	लोकपाल ने अपने आदेश में संबन्धित विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि से अधिक एन आर बिलिंग को अस्वीकृत कर दिया। एवं संबन्धित विनियमों के विरुद्ध पाँच वर्षों से अधिक की एन आर बिलिंग के कारणों तथा जिम्मेदार अधिकारियों की

क्र. सं.	लोकपाल और सी जी आर एफ मामले/ आदेश की तिथि	मामले का संक्षिप्त विवरण	निर्णय का सारांश
		फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	जवाबदेही तय करते हुये उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। अनंतिम बिल की राशि ₹ 1.12 लाख में से अभी भी ₹ 37,083 की वसूली लंबित है।
8	संजय कुमार द्विवेदी बनाम वि वि ख रुद्रपुर- 21 अक्टूबर 2019	नवंबर 2017 में मीटर बदले जाने के बाद भी जनवरी 2018-जनवरी 2019 के आर डी एफ/एन आर बिल जारी किए गए। इसके विरुद्ध सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 30 अक्टूबर 2018 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में दो बिल से अधिक एन आर बिल हटाने के लिए निर्देशित किया।
9	राजकुमार बनाम वि वि ख (शहरी) रुड़की - 08 दिसम्बर 2023	उपभोक्ता को आई डी एफ/एन ए/एन आर आधार पर लगभग 10 वर्ष का ₹ 88,820 का अनंतिम बिल निर्गत किया गया। इसके विरुद्ध उपभोक्ता ने सी जी आर एफ में शिकायत की। सी जी आर एफ ने 25 अक्टूबर 2021 को उपभोक्ता के विरुद्ध फैसला दिया। उपभोक्ता ने फिर लोकपाल से अपील की।	लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) 2020 के अन्तर्गत उ पा का लि द्वारा केवल दो बिलिंग चक्र वसूले जा सकते हैं एवं शेष नियमानुसार नहीं है। आगे, आई डी एफ/एन ए/ एन आर बिल के दो बिलों से अधिक की राशि यदि गणना योग्य है एवं विनियमों एवं टैरिफ आदेशों के विरुद्ध बिल के निर्गत करने वाले संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर ऐसे बिल की वसूली उनसे की जाये।
10	सी जी आर एफ केस: करणपाल सिंह बनाम वि वि ख लक्सर - 17 दिसम्बर 2020	आई डी एफ आधार पर 7 वर्षों का ₹48,896 अनंतिम बिल उपभोक्ता को निर्गत किया गया।	सी जी आर एफ ने निर्धारित विनियमों के अंतर्गत अवधि से अधिक आई डी एफ बिलिंग को अमान्य घोषित किया। उ पा का लि द्वारा उ वि नि आ (आपूर्ति कोड) 2020 के अन्तर्गत केवल दो बिलिंग चक्र वसूले जा सकते हैं।

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1 एवं 4.1.8.3, पृष्ठ 67 एवं 90)

उ पा का लि के खिलाफ लोकपाल के फैसलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियां
1	19 जुलाई 2023 मै किशन ब्रदर्स बनाम वि वि ख (मध्य) सीडी0के000009585	<p>एम आर आई अध्ययन में 318 दिनों के लिए कम/ अनुपलब्ध वोल्टेज। जांच मीटर अध्ययन से पता चला कि मीटर 70 प्रतिशत धीमा चल रहा था। तदानुसार, चेक मीटर अध्ययन के आधार पर ₹ 9.58 लाख का अनुपूरक बिल निर्गत किया गया।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 12 मई 2023 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि मीटर के 70 प्रतिशत तक धीमी गति से चलने की सूचना देने वाले चेक मीटर अध्ययन के परिणामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसलिए ₹ 9.58 लाख की मांग न्याय संगत नहीं है क्योंकि इसमें संगत विनियमों का उल्लंघन है। सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया था और उक्त राशि की मांग को भी रद्द कर दिया गया था।</p>	<p>आदेश में यह भी कहा गया था कि लोकपाल द्वारा प्रबंध निदेशक, उ पा का लि और अन्य अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए कई पत्र लिखे गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामलों के दौरान (जांच मीटर/एन ए बी एल मान्यता आदि की स्थापना के दौरान सम्यक बुद्धिमत्ता का प्रयोग) उनके द्वारा संबंधित उ वि नि आ के नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से किया जाए। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि या तो उ पा का लि प्रबंधन द्वारा अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं या क्षेत्रीय अधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसे मामलों में बार-बार समान या एक ही प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पुनः यह सलाह दी गई थी कि वे प्रकरण की जांच करें और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करें जिसमें उन्हें उ वि नि आ के संगत विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाये।</p>
2.	19 जुलाई 2023 मै. देहरादून प्रीमियर मोटर बनाम वि वि ख दक्षिण एसडी0के00000684	<p>एम आर आई रिपोर्ट (रिपोर्टों) में अनियमितता पाए जाने पर एक जांच मीटर अध्ययन किया गया था और यह पाया गया था कि मीटर रिकॉर्डिंग 27 प्रतिशत धीमी थी, तदनुसार, ₹ 4.70 लाख का अनुपूरक बिल निर्गत किया गया था।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 15 मई 2023</p>	<p>आदेश में, लोकपाल ने, प्र नि, उ पा का लि को एक बार फिर इस प्रकरण की जांच करने और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने की सलाह दी जिसमें उन्हें उ वि नि आ के संगत विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाये।</p>

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियां
		<p>को मामले पर निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि मीटर के 27 प्रतिशत तक धीमी गति से चलने को दर्शाने वाले चेक मीटर अध्ययन के परिणाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और चेक मीटर अध्ययन करने और ₹ 4.70 लाख रुपए की मांग बढ़ाने की संपूर्ण प्रक्रिया संबंधित विनियमों का उल्लंघन करते हुए न्याय संगत नहीं थी। सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया था और उक्त राशि की मांग को भी निरस्त कर दिया गया था।</p>	
3	03 मार्च 2023 मै. फेरेटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम वि वि ख भगवानपुर बीएच0के00000422	<p>वाई चरण का बाहरी सी टी, संतृप्त होने के कारण मीटर को वास्तविक करंट प्रवाहित नहीं कर रहा था इसलिए जांच मीटर अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चला कि मीटर 16 प्रतिशत धीमा चल रहा था। तदनुसार, ₹ 54.68 लाख का अनुपूरक बिल जारी किया गया। उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 30 नवम्बर 2022 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि पूरा जांच मीटर अध्ययन दूषित हो गया था इस प्रकार, इस तरह के दूषित अध्ययन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है इसलिए इसके परिणामों को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।</p> <p>सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया और उक्त मांग की</p>	<p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि संपूर्ण चेक मीटर अध्ययन दूषित था, और इसके परिणाम को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इस तरह के दूषित जांच मीटर अध्ययन के आधार पर कोई पूरक मांग नहीं उठाई जा सकती। उ पा का लि को ₹ 54.68 लाख की मांग वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता द्वारा जमा की गई उक्त आक्षेपित मांग का 50 प्रतिशत वापस करने का निर्देश दिया।</p>

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियां
		गई राशि को भी निरस्त कर दिया गया।	
4	27 फरवरी 2023 सुरजीत कौर जॉली बनाम वि वि ख (दक्षिण) एसडी0के00003216	<p>एम आर आई रिपोर्ट में मई 2019 से आर&बी चरणों पर विद्युत करेंट कम दिखाई दे रहा था। जांच मीटर अध्ययन किया गया और तदनुसार, ₹ 6.01 लाख का अनुपूरक बिल जारी किया गया था।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 17 दिसम्बर 2022 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि प्रासंगिक नियमों और अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि जांच मीटर के रूप में स्थापित मीटर की सत्यता की जानकारी जांच मीटर की स्थापना शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता को नहीं दी गई थी। इसलिए, मीटर के 67 प्रतिशत धीमी गति से चलना दर्शाने वाले जांच मीटर अध्ययन के परिणाम पर संगत विनियमों का उल्लंघन करने के कारण भरोसा नहीं किया जा सकता।</p> <p>सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया और उक्त के सापेक्ष मांग की गई राशि को भी निरस्त कर दिया गया।</p>	लोकपाल ने एक बार फिर प्र नि, उ पा का लि को इस मामले को देखने और सभी फील्ड अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने की सलाह दी और उन्हें प्रासंगिक उ वि नि आ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।
5	20 फरवरी 2023 अनिल कुमार गर्ग बनाम वि वि ख (दक्षिण) एसडी0के000123896	<p>नए संयोजन के जारी होने के पहले दिन से एम आर आई में आर&बी चरणों पर कम वोल्टेज (नवंबर 2019) प्रदर्शित हो रहा था। अनुपूरक बिल ₹ 3.38 लाख का जारी किया गया।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त</p>	प्र नि, उ पा का लि को जांच मीटर अध्ययन संबंधी उ वि नि आ के संगत विनियमों और अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सभी फील्ड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी गई थी।

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियां
		<p>उपभोक्ता के विरुद्ध 18 नवम्बर 2022 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि जांच मीटर के रूप में स्थापित मीटर की सत्यता सुनिश्चित नहीं की गई थी क्योंकि उक्त मीटर का एन ए बी एल मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, इसलिए मीटर को 39 प्रतिशत धीमा घोषित करने वाले जांच मीटर अध्ययन के परिणामों पर संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के कारण भरोसा नहीं किया जा सकता है।</p> <p>सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया और उक्त के सापेक्ष मांग राशि को भी निरस्त कर दिया गया।</p>	
6	<p>27 जून 2022</p> <p>पेस्टलवीड स्कूल ओकहिल एस्टेट बनाम वि वि ख (उत्तर)</p> <p>700के000000610</p>	<p>वाई - चरण शून्य दिखा रहा था। चेक मीटर लगाया गया तो पता चला कि मीटर 35 प्रतिशत धीमा था तथा ₹ 4.70 लाख का मूल्यांकन किया गया था।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 24 फरवरी 2022 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की।</p> <p>चेक मीटर का एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से प्रमाणित नहीं होने के कारण लोकपाल द्वारा मामले को रद्द कर दिया गया था।</p>	<p>लोकपाल ने जले हुए मीटर को बदलने में देरी के लिए ₹ 21,150 का मुआवजा भी दिया। उ पा का लि को ₹4.70 लाख की राशि की मांग वापस लेने और उपभोक्ता द्वारा जमा की गई ₹ दो लाख की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था।</p>
7	<p>25 अप्रैल 2022</p> <p>विंडलास हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम वि वि ख (दक्षिण)</p>	<p>मै. वाई एम पी एल के परीक्षण में, गलत फेज जुड़ जाने के कारण मीटर 34 प्रतिशत तक धीमा चल रहा था। फेज का अनुक्रम RYB से RBY में बदल गया था। फेज अनुक्रम बदलने</p>	<p>आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि उ पा का लि ने उपभोक्ता के मीटर उपकरण का आवधिक परीक्षण (वर्ष में एक बार) नहीं किया। साथ ही उपभोक्ता द्वारा उक्त मांग के विरुद्ध</p>

क्र. सं.	आदेश की तिथि/पक्षकार	कारण और निर्णय	लोकपाल की अन्य विशिष्ट टिप्पणियाँ
	एसडी0के000006639	<p>के कारण 986 दिनों के लिए मीटर द्वारा 34 प्रतिशत कम रिकॉर्डिंग की गयी। उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 17 जुलाई 2021 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि स्थापित मीटरों की शुद्धता और सटीकता का परीक्षण एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नहीं किया गया है और इस तरह के जांच मीटर अध्ययन द्वारा उठाई गई मांग को वास्तविक मांग (₹ 1.81 करोड़) के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।</p> <p>सी जी आर एफ के आदेश को रद्द कर दिया गया और उ पा का लि द्वारा ₹ 1.81 करोड़ की मांग को भी निरस्त कर दिया गया।</p>	जमा की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया।
8	<p>18 फरवरी 2022</p> <p>उप महानिरीक्षक आई टी बी पी अकादमी बनाम वि वि ख (उत्तर)</p> <p>700के00000837</p>	<p>लगाए गए जांच मीटर 52 प्रतिशत धीमे पाए गए और ₹ 14.74 लाख की मांग जारी की गयी।</p> <p>उपभोक्ता ने शिकायत के साथ सी जी आर एफ से संपर्क किया, लेकिन उक्त उपभोक्ता के विरुद्ध 25 नवम्बर 2021 को निर्णय दिया गया। इसके बाद, उपभोक्ता ने लोकपाल के पास अपील दायर की</p> <p>लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षण के परिणाम विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उ पा का लि के मीटर का परीक्षण संबंधित विनियमों के अन्तर्गत एन ए बी एल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नहीं किया गया था।</p>	<p>जांच मीटर अध्ययन को शून्य एवं निरर्थक माना गया था और इसलिए इस तरह के अध्ययन के आधार पर मूल्यांकन भी शून्य माना गया है और मूल्यांकन की राशि को वापस लेने का निर्देश दिया गया है।</p> <p>यह भी निर्देश दिया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गई कोई भी राशि समायोजन के माध्यम से वापस की जाए।</p>

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1; पृष्ठ 69)

अधिक भार/माँग दण्ड लगाने में विलंब के कारण हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	उपभोक्ता संख्या	लोड (किलोवाट ³)	एम डी की रेंज (के वी ए) ⁴	चार गुना जुर्माना
1	370के000004285	70	102 - 173	2,03,658.00
2	370के000004383	38	84 - 232	5,58,131.00
3	370के000024017	75	126 - 754	6,56,986.00
4	370के000030780	75	138 - 174	1,95,796.00
5	370के000098778	70	86 - 120	1,46,132.00
6	370के000098781	75	91 - 200	4,81,429.60
7	370के000098789	75	91 - 149	2,47,444.00
8	370के000098809	75	121 - 146	2,22,045.60
9	370के000098828	75	91 - 124	1,22,605.00
10	370के000098872	75	122 - 188	3,33,712.00
11	890के000021989	26	112 - 143	8,64,904.00
12	880के000022554	70	110 - 161	5,21,146.00
13	880के000026151	75	91 - 156	1,47,286.00
14	880के000029385	75	96 - 137	3,11,976.40
15	880के000029607	75	100 - 164	2,48,752.00
16	880के000030626	75	104 - 298	3,19,660.00
17	880के000193095	75	119 - 167	1,97,754.00
18	880के000193103	70	92 - 209	8,59,083.60
19	890के000003988	75	91 - 179	3,28,874.00
20	890के000004359	75	98 - 153	2,33,164.00
21	890के000004374	75	113 - 204	4,11,710.00
22	890के000024768	75	105 - 134	1,77,790.00
23	890के000024908	75	103 - 205	1,91,930.00
24	890के000025629	50	94 - 504	5,97,556.00
25	890के000026431	75	92 - 200	2,42,704.50
26	890के000028378	73	95 - 150	2,39,960.00
27	890के000029278	75	100 - 137	2,96,090.00
28	890के000243160	75	98 - 167	2,41,257.00
29	एचआर0के000002003	65	103 - 197	5,59,742.00
30	एचआर0के000002648	75	89 - 168	2,36,397.00
31	एचआर0के000118479	28	99 - 121	1,41,491.00

³ किलो वाट।

⁴ किलो वोल्ट एम्पीयर।

क्र. सं.	उपभोक्ता संख्या	लोड (किलोवाट ³)	एम डी की रेंज (के वी ए) ⁴	चार गुना जुर्माना
32	एचआर0के000118592	75	204 - 224	2,16,423.00
33	केएच0के000028530	75	117 - 157	2,28,552.00
34	केएच0के000221017	75	113 - 174	1,83,756.00
35	आरएम0के00700801	74	95 - 132	1,67,568.00
36	जेएस0के000028616	75	99 - 169	3,62,572.00
37	जेएस0के000028613	75	113 - 145	2,77,868.00
38	केएच0के000028347	75	99 - 137	1,41,624.00
39	जेडब्ल्यू0के000009171	75	198 - 497	20,42,376.20
40	जेएस0के000400093	75	94 - 119	1,82,820.00
41	जेएस0के000400085	75	113 - 153	2,40,874.00
42	जेएस0के000400028	70	98 - 163	5,24,076.00
43	आरआर0के000880030	75	138 - 195	8,12,153.80
योग				1,59,17,829.70

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.1; पृष्ठ 70)

जाँच के लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	अधिकारी	मासिक जाँच लक्ष्य	वार्षिक जाँच लक्ष्य
1.	मुख्य अभियंता (डी)	न्यूनतम 20 उपभोक्ता जिनमें से कम से कम 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं का संयोजन भार ≥ 2000 (के वी ए) हों	कार्यपालक अभियंता (वितरण) से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि 50 किलोवाट और उससे अधिक के अनुबंधित भार वाले सभी उपभोक्ताओं की वर्ष में कम से कम एक बार जांच की जाए।
2.	अधीक्षण अभियंता (डी)	20 उपभोक्ता जिनमें से कम से कम 20 प्रतिशत उपभोक्ता ≥ 500 के वी ए संयोजन भार वाले हों।	
3.	अधिशाली अभियंता (डी)	न्यूनतम 30 उपभोक्ता जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं का संयोजन भार ≥ 75 किलोवाट) है।	
4.	उप-विभागीय अधिकारी	न्यूनतम 30 उपभोक्ता जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत उपभोक्ता का संयोजन भार ≥ 25 किलोवाट)	
5.	कनिष्ठ अभियंता (कअ)	400 उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग की 25 किलोवाट तक यादृच्छिक रूप से जांच की जानी है।	

परिशिष्ट-4.7

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.2; पृष्ठ 74)

पाँच प्रभागों की संग्रहण क्षमता दर्शाने वाला विवरण

(प्रतिशत में)

खण्ड का नाम/माह	विकास नगर	हल्द्वानी (शहरी)	रामनगर (रुड़की)	रुड़की (शहरी)	हल्द्वानी (ग्रामीण)
अप्रैल 2021	38.82	31.46	49.63	34.97	30.35
मई 2021	41.41	42.50	61.05	51.96	50.25
जून 2021	48.65	47.68	65.25	58.16	57.70
जुलाई 2021	57.73	51.44	68.05	62.69	59.52
अगस्त 2021	68.74	53.35	74.13	69.01	66.21
सितम्बर 2021	64.64	55.58	74.68	72.28	68.87
अप्रैल 2022	49.19	39.28	45.00	55.52	42.69
मई 2022	53.69	43.92	56.85	61.88	60.23
जून 2022	57.22	51.13	66.99	67.40	67.46
जुलाई 2022	71.68	56.46	69.01	72.54	77.24
अगस्त 2022	77.75	59.53	73.27	75.42	80.15
सितम्बर 2022	78.88	62.77	74.97	76.80	82.80
अप्रैल 2023	50.65	41.08	43.86	55.52	47.82
मई 2023	59.47	52.22	64.67	73.18	66.00
जून 2023	67.54	55.25	69.02	74.69	73.65
जुलाई 2023	67.15	59.27	69.43	73.22	75.99
अगस्त 2023	67.81	62.52	66.07	75.79	76.21
सितम्बर 2023	69.09	65.05	77.12	77.07	79.33

परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.2; पृष्ठ 74)

तिमाही के अंत में बकाया दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

आर टी एस	तिमाही	आर टी एस-1	आर टी एस-2	आर टी एस-3	आर टी एस-4	आर टी एस-4
2021-22	1	801.72	392.48	806.36	189.83	471.10
	2	898.85	412.21	869.06	194.93	539.49
	3	906.68	408.76	883.69	212.68	527.97
	4	661.10	317.39	779.29	188.56	342.25
2022-23	1	794.32	386.51	885.88	211.79	542.50
	2	868.33	379.94	933.71	211.30	557.97
	3	894.90	377.69	990.14	233.55	552.99
	4	750.99	294.18	633.12	208.86	304.57
2023-24	1	851.36	358.21	731.91	218.62	524.22
	2	990.44	385.41	817.05	226.11	526.40
	3	1014.89	385.70	820.63	250.32	503.17
	4	868.85	272.07	705.22	230.40	156.55

परिशिष्ट-4.9

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.2; पृष्ठ 86)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जी एस टी रिटर्न दाखिल करने वाले पी डी उपभोक्ताओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	सेवा कनेक्शन नं.	उपभोक्ता का नाम (मै.)	पी डी तिथि	बकाया राशि	जी एस टी आई एन
1	890के000024280	रुद्रा ऑटो टेक	28.07.2023	1,05,00,060	05AAF6R6126C1ZR
2	एमपी0के000002765	मोडिके प्राइवेट लिमिटेड	29.06.2021	21,62,712	05AAECM0397F1ZM
3	एचआर0के000005673	फ्रेश पेट प्राइवेट लिमिटेड	09.09.2021	19,74,039	05AABCF2039C1ZB
4	890के000003905	विंडल्स ऑटो लिमिटेड	11.01.2022	17,31,979	05AAACW1443L1ZE
5	एलके0के000147275	सिद्धि विनायक माइन	04.01.2023	7,52,958	05ACVFS8717P1Z0
6	6960101088873	राम कुमार मिश्र	16.12.2021	5,45,902	05ACOPM9576D1Z6
7	आरडी61508072972	इरशाद अहमद	24.10.2020	5,11,303	05CEJPA8886D1ZE
8	6901301037553	श्रीमती सत्या देवी	19.12.2022	3,88,977	05EZLPD7589H2ZT
9	जेडब्ल्यू0के000118386	चरण सिंह	31.07.2020	3,41,366	05CNXPS7977L1Zके
10	6960630023275	कमल किशोर सिंह	14.12.2022	3,16,842	05GACPS6192B1Z0
11	आरपी0के000016025	लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड	09.09.2022	3,10,330	05AAACL3449H1Z0
योग				1,95,36,468	

परिशिष्ट-4.10

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.3; पृष्ठ 93)

मानवशक्ति की अतिरिक्त तैनाती को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	खण्ड	पदनाम/पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	आधिक्य	को स्थिति
1	वि प ख शहरी	सहायक अभियंता	3	4	1	नवम्बर 2023
		कनिष्ठ अभियंता	6	17	11	
2	वि वि ख दक्षिण	सहायक अभियंता	5	6	1	दिसम्बर 2023
		कनिष्ठ अभियंता	10	14	4	
3	वि वि ख उत्तर	कनिष्ठ अभियंता	12	16	4	दिसम्बर 2023
		कार्यालय सहायक- द्वितीय	10	13	3	
4	वि वि ख मध्य	कनिष्ठ अभियंता	10	13	3	अक्टूबर 2023
5	वि वि म ग्रामीण (देहरादून)	कार्यालय सहायक	1	2	1	अक्टूबर 2023
6	वि प ख शहरी (देहरादून)	सहायक अभियंता (मीटर)	3	5	2	एन ए
		कनिष्ठ अभियंता	6	12	6	
देहरादून के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती की स्थिति			66	102	36	
7	वि वि ख हल्द्वानी (शहरी)	लेखाकार	1	2	1	दिसम्बर 2023
		कार्यालय सहायक- द्वितीय	5	9	4	
8	वि प ख रुड़की	सहायक अभियंता	3	4	1	एन ए ⁵
		कनिष्ठ अभियंता	6	11	5	
9	वि वि ख विकास नगर	सहायक अभियंता	3	4	1	दिसम्बर 2023
		कनिष्ठ अभियंता	6	15	9	
		कार्यालय सहायक- द्वितीय	5	6	1	
10	वि वि ख ऋषिकेश	कनिष्ठ अभियंता	9	15	6	एन ए
अन्य शहरी क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती की स्थिति			38	66	28	
कुल शहरी क्षेत्रों में तैनाती			104	168	64	
11	वि वि ख टिहरी	कनिष्ठ अभियंता	11	15	4	दिसम्बर 2023
योग			115	183	68	

⁵ जानकारी उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-4.11

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.8.3; पृष्ठ 93)

मानवशक्ति की कमी को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	खण्ड	पदनाम/पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	कमी	को स्थिति
1.	वि वि ख कोटद्वार	कनिष्ठ अभियंता	15	13	2	सितम्बर 2023
		लेखाकार	2	1	1	
2.	वि वि ख श्रीनगर (गढ़वाल)	सहायक अभियंता	6	4	2	नवम्बर 2023
		कनिष्ठ अभियंता	16	9	7	
		लेखाकार	2	1	1	
		कार्यालय सहायक-द्वितीय	17	6	11	
3.	वि वि ख नारायनबगढ़	सहायक अभियंता	5	1	4	एन ए
		कनिष्ठ अभियंता	15	1	14	
		लेखाकार	2	0	2	
4.	विद्युत सिविल डिवीजन, हल्द्वानी	सहायक अभियंता	5	2	3	दिसम्बर 2023
		कार्यालय सहायक-द्वितीय	4	0	4	
		कनिष्ठ अभियंता	12	4	8	
योग			101	42	59	

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/hi>

